तृतीय ..., खण्ड १७--अंक ४५

गुरुवार, १८ अप्रैल, १९६३
२८ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(चौथा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १७ में अंक ४१ से अंक ५० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित* प्रश्न संख्या ६२० से ६३४ . . . ४५१६—४४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ४५४४—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ से ६४० . ४५४८—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०३८ से २०७६ . . ४५५१—६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ४५६७—६६

(१) आंध्र तट के पास अज्ञात जहाजों का देखा जाना

(२) अमेरिका और ब्रिटेन को प्रतिरक्षा शिष्टमंडल

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४५६६—७०

प्राक्कलन समिति

इक्तीसवां प्रतिवेदन . . . ४५७०

सदस्य द्वारा वक्तव्य . . . . . ४५७०—७२

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १६६३—पुरस्थापित . . . ४५७२

वित्त विधेयक, १६६३ . . . . . ४५७२—४६१४

विचार करने का प्रस्ताव

श्री मोरारजी देसाई . ४५७२—७५

श्री अ० क० गोपालन . . . . ४५७५—७७

श्री उ० मू० त्रिवेदी . ४५७७—७६

श्री बाकर अली मिर्जा . ४५७६

श्री कमलनयन बजाज . . ४५८०—८१

श्री अरुणाचलम् . . . ४५८१—८२

श्री कृष्णपाल सिंह . ४५८२—८३

श्री तुलशीदास जाधव . . ४५८३—८६

श्री भी० प्र० यादव . ४५८६—८६

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी . . . . . ४५८६—६२

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

गुरुवार, १८ अप्रैल, १९६३

२८ चैत्र, १८८५ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दामोदर घाटी निगम कार्यालय का बोकारो ले जाया जाना

+

†*९२०. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम कार्यालय का कुछ भाग बोकारो ले जाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से इस मामले में सलाह ली गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो किसके आग्रह पर यह कार्यालय दूसरी जगह ले जाया गया ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन) :** (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व समाचारपत्रों में यह छपा था कि कलकत्ता में दामोदर घाटी निगम मुख्यालय के कर्मचारियों तथा अधिकारियों की इच्छा के विरुद्ध इस कार्यालय के कुछ भाग को कलकत्ता से बाहर भेज दिया गया था, और यदि हां, तो कितने लोगों का स्थानान्तरण हुआ है ?

†**श्री अलगेशन :** कुछ कर्मचारियों को बोकारो, नहीं बल्कि माइथन भेजा गया था, और ऐसा करना वहां स्थित विद्युत् केन्द्रों के हित में था।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा :** चूंकि यह स्थानान्तरण का प्रश्न है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस विषय में पश्चिम बंगाल सरकार का परामर्श नहीं लिया गया, और यदि हां, तो उन अधिकारियों को माइथन क्यों भेज दिया गया है ?

†**श्री अलगेशन :** यह कहना ठीक नहीं है कि पश्चिम बंगाल सरकार का परामर्श नहीं लिया गया। स्वयं मेरी पश्चिम बंगाल के मंत्रियों से इस विषय पर एक बार नहीं बल्कि कई बार बातचीत हुई। सिद्धांत रूप से वह इस से सहमत हो गये हैं, परन्तु आपात की दृष्टि से वे चाहते हैं कि सभी अधिकारियों को एक साथ न भेजा जाय।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या मैं जान सकता हूं कि कलकत्ता से माइथन कितने अधिकारियों का स्थानान्तरण होना था ?

†**श्री अलगेशन :** मैं समझता हूं कि इन की संख्या ६२ है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्, कलकत्ते से माइथन को स्थानान्तरण का जो निर्णय लिया गया था वह कब लिया गया था, और यह जो इधर संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गयी है उस के बाद कब तक पूरा स्थानान्तरण वहां हो सकेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह जानना चाहते हैं कि समूचा स्थानान्तरण कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्री अलगेशन :** मैं निश्चित रूप से इस बारे में नहीं कह सकता। इस के लिये लगभग १६७ लाख रुपये की राशि भी आवश्यक है। इसलिये सन्तुलनात्मक दृष्टि से इस बारे में निर्णय लिया जाना है कि क्या इतनी बड़ी राशि व्यय कर के स्थानान्तरण करना बुद्धिमत्ता होगी अथवा कि इस स्थानान्तरण को कई दौरों में किया जाये। मैं इस समय यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि स्थानान्तरण कार्य कब पूरा हो जायेगा परन्तु इसे यथासंभव शीघ्र पूरा हो जाना चाहिये।

†**डा० रानेन सेन :** क्या माननाय मंत्री का ध्यान पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री के हाल ही के इस वक्तव्य की ओर आकर्षित किया गया है कि मुख्य कार्यालय के बिहार में स्थानान्तरण के संबंध में भारत सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है, और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त वक्तव्य में कितनी सच्चाई है ?

†**श्री अलगेशन :** मैंने इस वक्तव्य को नहीं देखा है परन्तु, जैसा कि मैंने कहा, मेरी मुख्य मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के सिंचाई मंत्री से बातचीत हुई थी। वह सिद्धांतत: इस पर सहमत हो गये हैं। परन्तु उन्होंने आग्रह किया है कि आपात की दृष्टि से और इस पर होने वाले इतने बड़े व्यय की दृष्टि से हमें विचार करना चाहिये कि क्या इस काम को तीव्र गति से पूरा किया जाना उचित होगा। हमने कहा कि हम इस कार्यालय को अविलम्ब हटाने के बारे में इतने इच्छुक नहीं हैं, परन्तु इस काम को कई दौरों में किया जायेगा, और इस स्थानान्तरण का किया जाना आवश्यक है ताकि उचित समन्वय और उचित पोषण आदि में सहायता हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण

†*१२१. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वित्त** मंत्री १५ नवम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २०१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के संबंध में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय हो गया है ?

†**वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : अभी तक कोई अन्तिम नर्णय नहीं किया गया है । आपकी आज्ञा से मैं यह और कह दूं कि हमारा विचार है कि इस दिशा में आपात काल में कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या यह सच है कि न केवल इस देश के अर्थ शास्त्रियों ने ही बल्कि बहुत से अन्य लोगों ने भी कई बार इसका समर्थन किया है और सिफारिश की है कि सामान्य बीमे का यथासंभव शीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार ने जो निर्णय लिया है उसे बता दिया गया है। अब माननीया सदस्या तर्क करने का प्रयत्न कर रही हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या मैं जान सकती हूं कि सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में विशेषतया इस आपात काल में सरकार के सामने कौनसी कठिनाइयां हैं, और राष्ट्रीयकरण न कर सकने के क्या कारण हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : राष्ट्रीयकरण करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा । सामान्य बीमे के राष्ट्रीयकरण के मार्ग में कुछ ऐसी समस्यायें हैं कि उसे आपात काल में नहीं किया जा सकता । उस बारे में सदैव दो दृष्टिकोण रहे हैं । यद्यपि देश में एक दृष्टिकोण यह रहा है कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, परन्तु एक उतना ही जोरदार दृष्टिकोण यह रहा है कि इसका राष्ट्रीयकरण करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा । ये दोनों दृष्टिकोण थे । सरकार इन सभी पक्षों पर विचार करके इस निश्चय पर पहुंची है कि आपात काल में सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण करना बुद्धिमत्ता नहीं होगी ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इसके विशेष कारण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री विभूति मिश्र ।

श्री विभूति मिश्र : जब सरकार ने जीवन बीमा के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को मान लिया है और जब सरकार को इस आपातकालीन स्थिति में रुपए पैसे की जरूरत है तो जनरल बीमा को नेशनेलाइज करने में सरकार को क्या दिक्कत हो रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : जीवन बीमा और सामान्य बीमा दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक नहीं हैं। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण किया है इसलिए सामान्य बीमा का भी राष्ट्रीयकरण करना ही चाहिए यह इसमें से नहीं निकलता। सरकार ने अभी तक यह फैसला नहीं किया है कि इसका राष्ट्रीयकरण करना है। सारे मसले को सोच रहे हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस इमरजेंसी के समय में इसको करना खतरनाक होगा इसलिए इसको अभी नहीं कर रहे।

श्री विभूति मिश्र : कारण क्या है ?

श्री मोरारजी देसाई : कारण बताने की कोई जरूरत नहीं है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : सामान्य बीमा समवायों द्वारा कुल कितना प्रीमियम प्राप्त किया जाता है ? उसमें से विदेशी सामान्य बीमा समवायों और देशीय बीमा समवायों का कितना अनुपात है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : वर्ष १९६१ के आंकड़े उपलब्ध हैं। इस वर्ष में भारतीय बीमाकर्ताओं का सकल प्रीमियम ३१.८५ करोड़ रुपये और अभारतीयों का १२.०६ करोड़ रुपये था।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि बीमा नियन्त्रक को सामान्य बीमा समवायों पर भी नियमों तथा विनियमों सम्बन्धी काफी शक्तियां प्राप्त हैं।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह बात सच है।

श्री ओंकार लाल बैरवा : मैं जानना चाहूंगा कि इस समय देश में जनरल बीमा के व्यवसाय में सरकार की कितनी पूंजी लगी हुई है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : वर्ष १९६१ में भारतीय सामान्य बीमा करने वालों की कुल आतिस्यां ७२.६९ करोड़ थीं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या सभा को अधिक उल्लिखित रूप से बताया जा सकता है कि आपात को इस में क्यों लाया जा रहा है ? यदि यह सारे देश के हित में है तो आपातकाल इसके लिये विशेष तौर पर उपयुक्त समय है, जबकि इस उद्योग में निहित स्वार्थ रखने वालों का भी समर्थन प्राप्त किया जा सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार ने अपना निर्णय दे दिया है। माननीय सदस्य उसकी नीति में परिवर्तन सम्बन्धी तर्क दे रहे हैं। ऐसा भिन्न प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए।

श्री ही० ना० मुकर्जी : जब कुछ काम करने के लिये आपात को बहाना बनाया जाता है तो हमें बताया जाना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी सरकार की नीति पर आपातकाल किन विशेष कारणों से प्रभाव डालता है।

†**श्री मोरारजी देसाई** : आपात को बहाना नहीं बनाया जा रहा है। मैंने तो केवल इतना कहा था कि आपातकाल में चूंकि एक विशेष परिस्थिति होती है इसलिये जिस प्रकार उस पर विचार किया जाना चाहिए इस प्रकार नहीं हो सकता और किसी निर्णय पर पहुंचना सम्भव नहीं होता। इस बारे में अनेकों कठिनाइयां हैं और इन कठिनाइयों को आपातकाल में दूर नहीं किया जा सकता। इसलिये राष्ट्रीयकरण नहीं हो सकता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेडा : चूंकि सामान्य बीमे की बहुत सी शाखायें हैं, जब सरकार आंकड़े एकत्रित करेगी तो क्या वह सभी शाखाओं के सम्बन्ध में होंगे अथवा उनमें से कुछ के सम्बन्ध में या क्या सरकार क्रमबद्ध कार्यक्रम के बारे में सोचेगी ?

†श्री मोरारजी देसाई : यह सभी बातें विचाराधीन हैं ।

राज्यों की आवास योजनाओं में कटौती

+

†*९२२. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती विमला देवी :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिवचरण गुप्त :
श्री दाजी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सुमेन्द्र पाल सिंह :
श्री बासप्पा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों ने आयोजना के अधीन आवास योजनाओं के लिए की गई व्यवस्था में कटौती का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और औद्योगिक आवास और उत्पादन-सम्बन्धी प्रयत्नों पर इसका क्या असर पड़ेगा ; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पू० शे० नास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) आपात के कारण ।

(ग) इस मामले पर १५ और १६ अप्रैल, १९६३ को योजना और वित्त मन्त्रियों से चर्चा हुई थी ?

†श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि केन्द्रीय आवास निगम स्थापित करने के बारे में योजना मन्त्री और वित्त मन्त्री के विचार भिन्न भिन्न हैं ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : यह कहना ठीक नहीं होगा । इस समय स्थिति इस प्रकार है कि केन्द्रीय आवास बोर्ड बनाने के बारे में तृतीय योजना में सिफारिश की गई है । हमें केवल यह देखना है कि क्या ऐसे बोर्ड का कोई लाभ होगा । यदि केवल एक और प्राधिकार ही बढ़ाना है तो इस का कोई लाभ नहीं होगा ।

†श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार का एक परिनियत शर्त लागू करने का विचार है जिस

---

†मूल अंग्रेजी में

के अनुसार नियोजकों के लिये हर वर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिये कुछ प्रतिशत मकानों का उपबन्ध करना पड़ेगा ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इस मामले पर केवल दो दिन पूर्व योजना मन्त्री से बातचीत हुई है और यह विचाराधीन है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विषय में दोनों महान् मन्त्रियों, माननीय श्री मोरारजी देसाई और माननीय श्री गुलजारीलाल नन्दा, में जो इख्तलाफ चल रहा है, वह कब तक खत्म हो जायगा ?

†**वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई)**: मन्त्रियों में आपस में मतभेद अथवा झगड़े का कोई प्रश्न नहीं है । यह सब समाचार पत्र की कहानियों के कारण है । नहीं मालूम वह कहां से उन्हें ले आते हैं ।

श्री यशपाल सिंह : आज का स्टेटसमैन इस से भरा पड़ा है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : अगर कोई पेपर भरा पड़ा है, तो माननीय सदस्य का दिमाग क्यों भरा पड़ा है ?

†**श्री यशपाल सिंह** : मन्त्री महोदय ने न्यूज़पेपर के बारे में कहा है, इसलिए मैंने यह कहा है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या सरकार ठीक ठीक बताने की स्थिति में है कि केन्द्रीय आवास बोर्ड की स्थापना के विषय में जो मतभेद पाये जाते हैं उनकी सीमा क्या है ? योजना आयोग ने जिस बोर्ड के लिये सिफारिश की थी उसकी स्थापना के पक्ष और विपक्ष में जो विचार है उन्हें हम जानना चाहेंगे ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इस बोर्ड की स्थापना का प्रश्न सभा के सामने आया है और दो बार आवास मन्त्रियों के समक्ष आया है । हमने दिल्ली में और बम्बई में इस पर आपस में विचार किया है । मन्त्रियों की यह आम राय है कि यह बोर्ड उपयोगी सिद्ध नहीं होगा । यह राज्य मन्त्रियों की राय है, परन्तु योजना आयोग के विचारानुसार निधियों को लगाने में यह बोर्ड सहायक सिद्ध हो सकता है । हमें इसी बात पर विचार करना है कि क्या यह बोर्ड इस आपातकाल में, जो कुछ वित्त मन्त्री कर रहे हैं उसके अतिरिक्त, निधियां लगाने में सहायक सिद्ध हो सकेगा ।

†**श्री महेश्वर नायक** : मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों के आवास मन्त्रियों द्वारा सरकार को सुझाव दिया गया है कि आवास बोर्ड के लिये निर्धारित धन राज्य सरकारों को दे दिया जाय ताकि कटौतियों को पूरा किया जा सके ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: राज्य सरकारों ने आवंटित राशियों में कटौती करके आवास पर व्यय किये गये धन को अन्य परियोजनाओं पर लगाया है और वह अतिरिक्त निधियों के लिये केन्द्र से अनुरोध कर रहे हैं । वित्त मन्त्री ने उन्हें ठीक ही बताया है कि यदि वह प्रयास करें तो वह उनकी सहायता करने को तैयार हैं परन्तु वह अन्तर को पूरा नहीं कर सकते ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : मैं जान सकता हूं कि ग्रामीण आवास व्यवस्था के लिये जो आवंटन किया गया था क्या उस में भी कटौती की गई है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : सभी दिशाओं में कटौती की गई है और इस का प्रभाव ग्राम आवास व्यवस्था पर भी पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री पु० र० पटेल : मैं जान सकता हूं कि क्या कृषि मजदूरों और कृषकों के लिये आवास व्यवस्था सम्बन्धी अर्थ सहायता देने के लिये कोई आवंटन किया गया है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : मेरा इस से सम्बन्ध नहीं है । यह मामला खाद्य और कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध है ।

†श्री सरोजिनी महिषी : विभिन्न राज्यों में आवास के आवंटन में कितने प्रतिशत कटौती की गई है और आवास योजना का कौन सा भाग इस से विशेषतया प्रभावित हुआ है ।

†श्री मेहर चन्द खन्ना : ५० प्रतिशत कमी की गई है । कुछ गलतफहमी हो गई थी जिस का स्पष्टीकरण केवल दो दिन पहले योजना मंत्री द्वारा कर दिया गया, अर्थात् राष्ट्रीय विकास निगम और योजना आयोग द्वारा जारी किये गये निदेश का शाब्दिक निर्वचन किया गया है । विचार यह है कि जहाँ तक औद्योगिक आवास का सम्बन्ध है इस सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए । जब तक हम औद्योगिक श्रमिकों के लिये मकान नहीं बनायेंगे देश में उत्पादन कार्यक्रम में विकास नहीं होगा ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से आवास योजनाओं के लिये अतिरिक्त साधन जुटाने के लिये कहा है, और यदि हाँ, तो क्या उन्होंने इस बारे में मजबूरी ज़ाहिर की है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : जी नहीं । राज्य सरकारों को केवल इतना कहा गया है कि योजना में आवास के लिये निर्धारित धन को अन्य परियोजनाओं में न लगाया जाय ।

†श्री प० कुन्हन् : क्या यह सच है कि रोपण श्रमिक आवास योजनाओं की प्रगति बहुत धीमी है, और यदि हाँ, तो इसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : आप ठीक कहते हैं । अर्थ सहायता सम्बन्धी कठिनाई रही है । औद्योगिक श्रमिकों को हम लगभग २५ प्रतिशत अर्थ सहायता दे रहे हैं । अब सुझाव दिया गया है कि यही अर्थ सहायता रोपण श्रमिकों को भी दी जाय । इस मामले के निरीक्षण के लिये योजना मंत्री द्वारा एक छोटा सा कार्यकारी दल स्थापित किया जा रहा है ।

गण्डक नारायणी बाढ़ नियन्त्रण योजना

+

†*९२३. { **श्री भागवत झा आज़ाद :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने गंडक नारायणी बाढ़ नियंत्रण योजना के अधीन बाँध बनाने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) इस योजना के सम्बन्ध में नवीनतम प्रगति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री के सभा-सचिव (श्री सें० अ० मेंहदी) : (क) तथा (ख) अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या ११९२/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, इस विवरण से यह जान कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि नेपाल सरकार ने आखिर इस बाँध को बनाने की अनुमति दे दी है, लेकिन क्या यह सत्य नहीं है कि देर से यह अनुमति मिलने के कारण इस काम में बहुत बाधा पड़ी है और हानि हुई है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि देरी से स्वीकृति मिलने के कारण क्या थे ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : यह कहना ठीक नहीं है कि नेपाल सरकार इस मामले में विलम्ब कर रही है । उन के और हमारे इंजीनियर इस प्रश्न पर बातचीत करते रहे हैं । गंडक बोर्ड ने निश्चय कर लिया है कि इसे परियोजना का अधिक भाग बना लिया जाय, और ज्योंही संयुक्त निरीक्षण, जिस का नेपाल सरकार ने निश्चय किया था, हुआ उन्होंने हमें कार्य करने के लिये कहा और आवश्यक राशि जमा करवाने के पश्चात् भूमि ले लेने के लिये कहा । यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है और मुझे आशा है कि निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ हो जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बाँध का निर्माण देर से देर कब तक शुरू हो जायगा और कब तक समाप्त हो जायगा और इस को जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार क्या सहायता दे रही है ?

†**श्री अलगेशन** : इस विषय में सिंचाई मंत्री से मेरी बात हुई थी । वह इस कार्य को यथासम्भव शीघ्र करना चाहते हैं । केवल एक ही प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा कि कोई भी कार्य जो आरम्भ किया जाय कहीं वर्षा ऋतु आने पर निष्फल न हो जाय । यदि यह भय न हो तो वह यथासम्भव शीघ्र इस कार्य को आरम्भ करेंगे ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में अपनी ओर से क्या सहायता दे रही है ?

†**श्री अलगेशन** : केन्द्रीय सरकार कोई सहायता नहीं देगी ।

†**डा० क० ला० राव** : क्या मैं जान सकता हूं कि नदी के पश्चिमी तट पर बाँध के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये जल विज्ञान सम्बन्धी आदर्श अध्ययन किये गये हैं अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

†**श्री अलगेशन** : ऐसे सभी अध्ययनों पर विचार कर लिया गया है और मार्ग रेखा तय कर ली गई है । मैं समझता हूं कि केवल निर्माण कार्य आरम्भ करना बाकी है ।

†**डा० क० ला० राव** : मैं नदी के पश्चिमी तट पर बाँध के प्रभाव सम्बन्धी आदर्श अध्ययन की ओर निर्देश कर रहा हूं । क्या वह कर लिये गये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : जहाँ तक मुझे ज्ञात है इस प्रकार के कार्य से पूर्व जिन अध्ययनों की आवश्यकता होती है वह कर लिये गये हैं और यदि कोई किया जाना शेष है तो वह भी कर लिया जायगा ।

श्री क० ना० तिवारी : इस बारे में नेपाल गवर्नमेंट को राज़ी करने के लिए उस को क्या क्या सुविधायें दी गई हैं ?

श्री सैं० अ० मेहदी : नेपाल गवर्नमेंट को सुविधा देने के लिए उन के इंजीनियर्ज़ वग़ैरह ने उस जगह का मुआयना किया और यू० पी० सरकार के गंडक कंट्रोल बोर्ड के लोगों ने वहाँ पर जा कर उन से बात कर के यह मामला तय किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि नेपाल सरकार की अनुमति प्राप्त करने के लिये क्या उसे कोई सुविधायें दी गई हैं।

†श्री सै० अ० मेहदी : जहाँ तक कनसेशन का ताल्लुक है, उन को एक बाँध दिया गया है, जिस की वजह से नेपाल का बहुत सा हिस्सा फ्लड्ज़ से बचेगा और उस में खेती वग़ैरह हो सकेगी और पावर हाउस से पूरी पावर भी उस को दी जायगी।

†श्री कृ० चं० पन्त : इस परियोजना पर कुल लागत क्या होगी और क्या नेपाल भी इस का कुछ भाग सहन करेगा ?

†श्री अलगेशन : परियोजना का समस्त वित्तीय भार हम पर पड़ेगा। कुल लागत के बारे में मैं नहीं कह सकता।

†श्री श्यामलाल सर्राफ : यह परियोजना पूरी हो जाने पर क्या एक बहुप्रयोजनीय परियोजना होगी ? बाढ़ से बचाव के अतिरिक्त विद्युत् क्षमता कितनी होगी ?

†श्री अलगेशन : बाढ़ से बचाव के लिये बंद भी होगा और एक नहर भी। इस से सिंचाई भी होगी। इस प्रकार यह सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण दोनों के लिये होगी।

चांदी का भाव

*६२४. { +श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री बड़े : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण नियंत्रण आदेश लागू होने के बाद चाँदी का भाव काफी कम होने की बजाय बढ़ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार भाव में इस वृद्धि को रोकने के लिये कदम उठाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) चाँदी की मौसमी माँग के कारण और इसके अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि होने से लगभग जनवरी, १९६३ के मध्य से चाँदी के भाव बढ़ गये हैं।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में सरकार के किसी भी प्रस्ताव को पहले से बताना सम्भव नहीं है।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या चांदी की कीमतों के उतार-चढ़ाव का कोई असर मुद्रा-स्फीति पर भी पड़ता है अगर हां तो किस हद तक।

श्री ब० रा० भगत : कोई सीधा असर नहीं पड़ता है।

श्री ओंकार लाल बैरवा : क्या दुकानों पर इस की भी मूल्य-सूची टांगने के बारे में सरकार का कोई विचार है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री ब० रा० भगत : चांदी के भाव तो रोज़-रोज़ मार्केट में निकलते हैं जो कि रोज़ अखबारों में छपते हैं । इस लिए अलग-अलग दुकानदारों के मूल्य-सूची रखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा ।

श्री बड़े : मंत्री महोदय ने कहा है कि गोल्ड कंट्रोल आर्डर से चांदी की कीमत पर प्रभाव नहीं पड़ा है । लेकिन क्या गोल्ड और सिल्वर की प्राइसिज़ में कोई इन्टर-कनेक्शन है या नहीं और प्राइसिज़ पर इस का भी असर हुआ है या नहीं ? अगर हुआ है तो क्या चांदी की एडवांस स्पेकुलेशन को बन्द करने का सरकार का विचार है ?

श्री ब० रा० भगत : थोड़ा बहुत असर हुआ हो । लेकिन जो बड़े असर हैं वे मैंने बताये हैं । अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में चांदी का भाव बढ़ने लगा है । १९६२ में भाव गिर गया था और १९६३ में बढ़ गया । इसका असर यहां भी पड़ा । सीज़नल डिमांड्ज़ होती हैं जैसे आजकल शादियों और दूसरी वजह से डिमांड बढ़ गई हैं । गोल्ड कंट्रोल होने की वजह से यह हो सकता है कि थोड़ा बहुत चांदी की मांग बढ़ गई हो थोड़ा बहुत उसका असर पड़ा हो लेकिन बहुत बड़ा असर नहीं हुआ है ।

श्री बड़े : बन्द करना चाहते हैं क्या ?

अध्यक्ष महोदय : वह यह चीज़ आपको क्यों बतायेंगे इस वक्त ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम लागू होने से एक सप्ताह पूर्व चांदी के भाव क्या थे और इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् चांदी का भाव क्या था कितने परसेंट उन भावों में अन्तर रहा ?

श्री ब० रा० भगत : एक हफ्ते का तो नहीं लेकिन एक दो दिन पहले का भाव मैं दे सकता हूं । ९ जनवरी, १९६३ को चांदी का भाव करीब २१४ रुपये पर किलोग्राम था और १२ मार्च को २४२ रुपये पर किलोग्राम हो गया । इसी बीच में बाहर दुनिया की मार्किट में भी कुछ ऐसे ही भाव चांदी के बढ़े हैं । इसलिए उसका कोई ज्यादा सीधा असर नहीं पड़ा है ।

श्री काशीराम गुप्त : सोने का अभाव होने के कारण लोगों ने चांदी का विशेष रूप से स्टाक करना आरम्भ कर दिया है, क्या इसलिए भाव तो नहीं बढ़े हैं ?

श्री ब० रा० भगत : हो सकता है इसका भी कुछ असर हो । लेकिन जैसा मैंने कहा है कि चांदी की हर साल जितनी खरीद फरोख्त होती है और जितना चांदी का स्टाक है देश में, उससे वह बिल्कुल नगण्य है । इसलिए उसका असर ज्यादा नहीं पड़ता है ।

नेपाल और भारत के जल-संसाधनों सम्बन्धी संयुक्त बोर्ड

\+

†*९२५. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल की सरकारों ने ऐसे जल-संसाधनों के जिनमें दोनों देशों

---

†मूल अंग्रेजी में

की सामान्य रुचि हो, उत्तम उपयोग की योजना बनाने के लिये एक संयुक्त बोर्ड बनाने का निर्णय किया है ;

(ख) कौन-कौन सी परियोजनायें पूरी हो गई हैं य. पारस्परिक क़रार के अन्तर्गत लागू की जा रही हैं ; और

(ग) इन परियोजनाओं में विनियोजित धनराशि में दोनों देशों का कितना-कितना भाग है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अलगेशन)** : (क) नेपाल सरकार और भारत सरकार के बीच यह तय हुआ है कि जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने संबंधी परियोजनाओं के आयोजन के लिये परस्पर हित की परियोजनाओं और नदियों संबंधी सुसंगत सूचनाओं और आंकड़ों का नेपाल और भारत विनिमय कर सकें इस के लिये एक "सिंचाई तथा विद्युत् परियोजनाओं के लिये भारत-नेपाल बोर्ड" नामक एक तकनीकी बोर्ड स्थापित किया जाय जिस में उच्च-स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ हों ।

(ख) नेपाल सरकार के साथ जो समझौते पहले ही हो चुके कोसी और गडक परियोजनायें कार्यान्वित हो रही हैं । इसके अतिरिक्त भारत सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार नेपाल में त्रिसूली जल विद्युत् परियोजना को कार्यान्वित कर रही है ।

(ग) इन परियोजनाओं संबंधी पूरी लागत का भार भारत सरकार पर होगा ।

†**श्री महेश्वर नायक** : जिन वर्तमान जल संसाधनों में नेपाल और भारत दोनों के हित हैं क्या उनके आकार का निर्धारण भारत सरकार ने किया है ।

†**श्री अलगेशन** : दोनों सरकारों द्वारा आंकड़े इकट्ठे करने संबंधी और उनके विनिमय संबंधी नियमित कार्य इसी प्रयोजनार्थ किया जायेगा ।

†**श्री महेश्वर नायक** : उपलब्ध संसाधनों संबंधी आकार के आंकड़े माननीय मंत्री द्वारा मुझे नहीं दिये गये । क्या मैं जान सकता हूं कि इन सभी साधनों को उपयोग में लाने पर कितना व्यय होगा ?

†**श्री अलगेशन** : इसका अनुमान बताना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इस बोर्ड का विधान और ठीक कृत्य क्या होंगे ?

†**श्री अलगेशन** : यह मैंने अपने मुख्य उत्तर में बता दिया है । इस बोर्ड में दोनों देशों के दो दो प्रतिनिधि होंगे । नेपाल सरकार की ओर से मुख्य इंजीनियर विद्युत् विभाग और मुख्य इंजीनियर सिंचाई विभाग होंगे, और भारत सरकार की ओर से मुख्य इंजीनियर और संयुक्त सचिव सिंचाई तथा विद्युत् मंत्रालय और मुख्य इंजीनियर केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग प्रतिनिधित्व करेंगे ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : यह बोर्ड कब तक कार्य करना आरम्भ करेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह पूछना चाहते हैं कि यह कब कार्य करना आरम्भ करेगा ।

†**श्री अलगेशन** : इस का गठन हो गया है और ऐसा प्रस्ताव है कि इस की बैठकें यथावश्यक शीघ्र हुआ करें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री यशपाल सिंह : गंडक नारायणी पर बांध का काम यह बोर्ड कब तक अपने हाथ में लेगा और उसको शुरू कर देगा ?

अध्यक्ष महोदय : गंडक नारायणी तो अलहदा है ।

श्री यशपाल सिंह : कोई भी जल योजना ऐसी नहीं है जो इसके अन्तर्गत नहीं आती है ।

अध्यक्ष महोदय : आम जो है उस में वह भी शामिल हो जाती है। जो चीज़ गुजर चुकी है उस पर पीछे हम नहीं आ सकते हैं ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या मैं जान सकता हूं कि कोसी परियोजना के बारे में जो कार्य पहले से हो रहा है उसे भी इस नई योजना में सम्मिलित कर लिया जायेगा या इसे अलग से किया जायेगा जैसाकि अब हो रहा है ।

†**श्री अलगेशन** : जैसा कि मैं ने अपने मुख्य उत्तर में कहा कोसी और गंडक परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है । उस के लिये अभिकरण हैं और यह बोर्ड केवल इकट्ठे किये गये आंकड़ों का सर्वेक्षण करेगा और इन परियोजनाओं की कार्यान्विति में सहायता देगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या समय का भी ध्यान रखा गया है और यह सभी परियोजनायें क्या वर्षा ऋतु से पूर्व पूरी हो जायेंगी ?

†**श्री अलगेशन** : यह विशाल परियोजनायें हैं जिन के पूरा होने में कई वर्ष लगेंगे ।

श्री विभूति मिश्र : क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है कि गंडक, कोसी और त्रिशूली के अलावा नेपाल में और भी छोटी-छोटी नदियां हैं जो कि चम्पारन से हो कर जाती हैं और इन नदियों में इस समय तो बांध लगा देते हैं लेकिन जब आषाढ़ का महीना आता है तो उनको हटा देते हैं इस कारण से फसलें बहुत खराब हो जाती हैं और काफी हानि उठानी पड़ती है ? अगर यह बात उनके ध्यान में आई है तो इसके बारे में वह क्या कर रहे हैं ?

†**श्री अलगेशन** : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रश्न क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि नेपाल की ओर से छोटी नदियां आती हैं और जब मानसून आता है तो वह इस ओर बाढ़ को बढ़ाती हैं । वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है ।

†**श्री अलगेशन** : यह सच है कि वर्षा ऋतु में बहुत बाढ़ आती है । इन बाढ़ों को कम करने के लिये हम ने कुछ कदम उठाये हैं ।

†**श्री विभूति मिश्र** : सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री अलगेशन** : एक मुख्य कदम तो बांधों का निर्माण है । एक अन्य चितौनी नारायणी बांध का निर्माण हो चुका है । कोसी बांधों का निर्माण हो चुका है । इन सबसे बाढ़ों में कमी होगी ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया । मैंने पूछा था कि कोसी और गडंक के अलावा भी बहुत सी छोटी नदियां हैं । नेपाल में बांध बने हुये हैं और वर्षा ऋतु में वह कट जाते हैं और चम्पारन जिले में नदियों में बाढ़ आ जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श० ना० चतुर्वेदी** : जिन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ हो चुका है और जिनका समूचा वित्तीय भार भारत सरकार पर है, उनसे जो लाभ होंगे उन का भारत और नेपाल में किस अनुपात से वितरण होगा ?

†**श्री अलगेशन** : कुछ सिंचाई लाभ नेपाल को प्राप्त होंगे । परन्तु अधिकतर सिंचाई लाभ भारत को प्राप्त होंगे । त्रिसूली परियोजना जो हम बना रहे हैं केवल नेपाल के लिये है । हम उस पर अन व्यय करेंगे ।

ट्रैक्टरों पर उत्पादन-शुल्क

+

†*९२६. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री समनानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार वास्तविक कृषकों को बेचे जाने वाले ट्रैक्टरों पर वसूल किया जाने वाला उत्पादन-शुल्क निर्माताओं को वापस देती है ;

(ख) यदि हां, तो १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२ के अन्त तक कम्पनियों के गुड अर्थ ग्रुप को इस मद में कुल कितना धन लौटाया गया ; और

(ग) क्या इस बात की जांच करने की कोई प्रक्रिया है कि इस प्रकार लौटाया गया धन वास्तव में खरीदार को दे दिया गया है या नहीं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी हां ।

(ख)

वर्ष	वापिस की गई राशि
	(रुपये)
१९६०–६१	१,४२,५००
१९६१–६२	४,१२,५००
अप्रैल, १९६२ से दिसम्बर, १९६२ तक	१,६१,७५०

(ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों के अनुसार उत्पादन शुल्क उसी निर्माता को लौटाया जाये जिस ने पहले इसे अदा किया हो ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : मैं जानना चाहता हूं कि ट्रैक्टर वास्तव में किसानों को ही बेचे जाते हैं इसे सरकार कैसे सुनिश्चित करती है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हमारे लिये यह मालूम करना कठिन है कि यह वास्तव में किसानों को ही बेचे जा रहे हैं । परन्तु जब किसान निर्माता से ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उसे रकम की वापसी का दावा करना चाहिये ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : उपमंत्री महोदय ने कहा कि यह सुनिश्चित करना कठिन है कि वह वास्तव

†मूल अंग्रेजी में

में किसान को ही बेचा गया। क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार निर्माता को उत्पादन शुल्क किस आधार पर लौटाती है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जब रकम की वापसी करते हैं तो राज्य कृषि संचालक, खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, जिला कृषि अधिकारी अथवा कृषि विभाग के किसी गजेटेड अधिकारी के प्रमाण-पत्र की मांग की जाती है।

श्री शिव नारायण : क्या मैं जान सकता हूं कि फार्मर और नान-फार्मर ट्रेक्टर में क्या अन्तर है, क्या डिफ्रेंस है ?

श्री ब० रा० भगत : फार्मर और नान-फार्मर के लिये तो उतना नहीं है, । अलग अलग ट्रैक्टरों के मेक होते हैं, हार्स पावर में फर्क होता है, रूप रंग में फर्क होता है और किस तरह का होता है, यह देखा जाता है।

†**श्री रंगा** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बारे में प्रभावपूर्ण प्रचार किया जाता है कि यह रियायत किसानों के हित के लिये दी जा रही हैं और क्या किन्हीं किसानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वास्तव में उन्हें रियायत नहीं मिल पाई है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इसका अधिसूचना द्वारा प्रचार किया जाता है और यह सर्वविदित है। परन्तु हमें प्रतिनिधित्व प्राप्त हुये हैं कि प्रायः निर्मातागण वापसी की रकम रख लेते हैं और वह किसानों तक नहीं पहुंच पाता। इसलिये हम इस समय एक प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जोकि हमारे पास भेजा गया है, कि किसानों द्वारा प्रयुक्त ट्रैक्टर केवल ५० डी० बी० आर० शक्ति के हैं यदि यह साख्यिकीय आधार ठीक है तो हम उन्हें पूरी छूट दे देंगे। इसलिये, इसका हम निरीक्षण कर रहे हैं और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वास्तविक लाभ का उपयोग किसानों द्वारा हो।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या निकट भविष्य में ऐसी आशा की जा सकती है कि ट्रैक्टरों के मूल्य एक आम किसान की क्रयक्षमता के अनुसार हो जायेंगे ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हमें यही आशा है और हम किसानों के उत्थान के लिये सभी कुछ कर रहे हैं।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या सहकारी फार्मों के लिये भी यह रियायत उपलब्ध की जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : यह प्रत्येक किसान के लिये उपलब्ध की गई है।

पलाई सेंट्रल बैंक का परिसमापन

†*९२७. **श्री प० कुन्हन** :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री २४ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलाई सैंट्रल बैंक के खातेदारों को लाभांश देने का प्रस्ताव सरकारी परिसमापक ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष रख दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो खातेदारों को कब लाभांश मिलने की संभावना है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) आशा है कि अप्रैल, १९६३ के अन्त में लाभांश घोषित किया जायेगा और भुगतान जून, १९६३ में शुरू होगा ।

†**श्री प० कुन्हन** : बैंक का परिसमापन अगस्त १९६० में हुआ था । अब तक दूसरा लाभांश घोषित करने में विलम्ब का कारण क्या है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : कोई विलम्ब नहीं हुआ । हमें निर्धारण करना है । सभी आस्तियों का मूल्यांकन करके वसूली करनी है । ४० नये पैसे प्रति रुपया का एक लाभांश घोषित करने के अलावा अधिमानित भुगतान, समापन खर्च, और ऋण प्राप्त करने के लिये अन्य भुगतान भी किये हैं । २५० रुपये से कम रकम के रु० भुगतान कर दिये हैं और इस प्रकार ५,५६,६६,७४७ रुपये तक के भुगतान किये हैं । १२ नये पैसे प्रति रुपया का एक और लाभांश भी घोषित किया जा रहा है ।

†**श्री प० कुन्हन** : क्या बैंक ने दीवाले से पूर्व कुछ लाख रुपया आयकर के रूप में भी इस आधार पर दिया था कि उसे लाभ हो रहा है जबकि कोई लाभ नहीं हुआ था और यदि ऐसा है तो क्या यह रकम निक्षेपकों में बांटने के लिये परिसमापक को दी जायेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह निर्णय उच्च न्यायालय को करना है जो परिसमापक को नियुक्त करता है ।

†**श्री अ० व० राघवन** : क्या सार्वधिक जमा की प्रतिभूति पर ऋण लेने वालों को अपनी प्राप्य रकम में समायोजन करने की अनुमति है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : परिसमापक और उच्च न्यायालय इन विषयों की जांच कर रहे हैं ।

†**श्री मुरारका** : क्या परिसमापक ने निर्धारित कर लिया है कि कितनी पेशगियां वसूल नहीं हो सकतीं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ । दूसरा लाभांश आस्तियों के आधार पर घोषित किया गया है ।

†**श्री केफपन** : अब तक परिसमापन की कुल लागत कितनी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : परिसमापन पर अब तक १२,४४,२७१ रुपया खर्च हुआ है ।

†**श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि केरल उच्च न्यायालय में सरकारी परिसमापक ने निदेशकों से २,८८,००,००० रुपया वसूल करने के लिये अधिकारी है । यदि हां, तो परिसमापक कैसे यह रकम वसूल कर रहा है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह विषय न्यायालय के पास है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देश के तटवर्ती क्षेत्रों में तस्कर व्यापार

†*९२८. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के तटवर्ती क्षेत्रों में तस्कर व्यापार निरोधी कार्यवाही का विस्तार करने की दृष्टि से नौकाओं का एक बेड़ा बनाने के लिये हाल में कोई कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नौकाओं के वर्तमान बेड़े को बढ़ाने के कार्यक्रम पर कितना धन व्यय होगा ।

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) हां । श्रीमान ।

(ख) सरकार ने देश के तटवर्ती क्षेत्रों में तस्कर व्यापार को रोकने के लिए ४ वर्ष के भीतर २६ और नौकाएं खरीदने का निश्चय किया है । नौकाओं को काम पर लगाना न केवल उनके उपलब्ध होने पर बल्कि समय समय पर परिस्थिति की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है ।

(ग) नौकाओं की खरीद पर अनुमित व्यय लगभग ४५ लाख रुपया होगा ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी**: तस्कर व्यापार को रोकने के लिए जो लोग तटवर्ती क्षेत्र पर पहरा देते हैं या नौकाओं का संचालन करते हैं उन्हें इस खतरनाक काम के लिए प्रोत्साहन देने के हेतु कोई विशेष योजना बनाई गयी है या बनाई जा रही है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : वे सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारी हैं और सामान्यत: अधिकारियों से आशा की जाती है कि वे बिना पुरस्कार के काम करें । किन्तु जब वे किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं या बड़ी रकम पकड़वाने में मदद करते हैं या जान पर खेल कर कोई काम करते हैं तो उन्हें उचित पुरस्कार भी दिया जाता है ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी**: इन नौकाओं को खरीदने में जो खर्च होगा उसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी ?

†**श्री ब० रा० भगत** : लगभग सारा ४५ लाख रुपया विदेशी मुद्रा में होगा क्योंकि नौकाएं विदेश से खरीदी जायेंगी ।

वृहद् कलकत्ता के लिये जल संभरण

†*९२९. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृहद् कलकता के हैजा फैलने वाले क्षेत्र में उत्तम जल सम्भरण के सम्बन्ध में विश्व स्वास्थ्य संगठन दल की सिफारिशों की कार्यान्विति में होने वाले व्यय का हिसाब फैला लिया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इसके लिए कोई वित्तीय सहायता देने का है तथा यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) परियोजनाओं के काम की क्या स्थिति है ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) से (ग). यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठन सलाहकार दल ने कलकत्ता नगर की जल सम्भरण और निस्सारण की समस्याओं का पुनर्विलोकन

---

†मूल अंग्रेजी में

कर लिया है और कार्य की योजना तैयार कर ली है तथापि इन समस्याओं की इंजीनियरिंग जांच अभी की जानी है। जब तक यह जांच पूरी न हो वित्त सम्बन्धी गणना नहीं की जा सकती। वृहत्त कलकत्ता परियोजना के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए एक इंजीनियर संघ नियुक्त किया गया है जिसका प्रतिवेदन अभी नहीं मिला।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : गत वर्ष २५ मई को मंत्री ने उत्तर दिया था कि सरकार के पास विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रतिवेदन है जिस पर खर्च का हिसाब लगाना है। ३० अप्रैल, १९६१ को वह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था। तब से इतना अधिक विलम्ब हो जाने का क्या कारण है जबकि उस प्रतिवेदन में ऐसे महत्वपूर्ण विचार प्रकट किये गये थे कि यह तो कुछ नहीं किया जायेगा और यह क्षेत्र बीमारी में ग्रस्त रहेगा या वहां की व्यवस्था को सुधारने का कठिन और खर्चीला काम करना होगा इस नगर के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए इस विलम्ब का क्या कारण है ?

†**डा० द० स० राजू** : विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष दल ने १९६० में प्रतिवेदन दिया था जिसमें एक सिफारिश नगर प्राधिकार का संविहित निकाय स्थापित करने की सिफारिश थी। इसे पश्चिम बंगाल सरकार इस वर्ष के अन्त तक स्थापित करने वाली है। दूसरी सिफारिश के अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय ने कार्य की योजना तैयार कर ली थी और नवम्बर १९६२ में स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये थे। हम अगला कार्य इंजीनयरों का प्रतिवेदन मिलने पर करेंगे। इस बड़ी सम्भरण पर सभी पहलुओं से विचार करना है।

†**श्री हो० ना०मुकर्जी** : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि कलकत्ता में आजकल हैज़ा फैला हुआ है और वहां की स्थिति बहुत खतरनाक है क्या सरकार वस्तुतः प्राथमिकताओं का निर्धारण कर रही है जिसका निर्देश सम्भवतः आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मन्त्री को करना होगा।

†**डा० द० स० राजू** : इस समस्या को आपातकालीन उपाय के रूप में हल करने के लिए नगर योजना संगठन ने ७·५ करोड़ रुपये के अनुमित खर्च का प्रतिवेदन दिया है। स्वास्थ्य मन्त्रालय इस पर विचार कर रहा है।

†**डा० रानेन सेन**: इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि सरकार नगर योजना संगठन की सहायता कर रही है और गत तीन वर्ष से वृहत्तर कलकत्ता के जल सम्भरण में सुधार करने में विलम्ब हो रहा है क्या सरकार के पास जल सम्भरण में सुधार की कोई योजना है ?

†**डा० द० स० राजू** : मैंने अभी योजना संगठन की आपात योजना की ओर निर्देश किया है जिसका सम्बन्ध नलकूपों से है।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : चूंकि हैज़ा संक्रामक रोग है अतः क्या निकटवर्ती गांवों को भी वृहत्तर कलकत्ता में शामिल किया जायेगा ?

†**डा० द० स० राजू** : उसे वृहत योजना में शामिल किया जायेगा ?

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : चूंकि गन्दी बस्तियां हटाने के कारण हाल में ही बहुत से लोगों को कलकत्ता निगम से निकाल कर निकटवर्ती नगरपालिका क्षेत्रों जैसे कि बानगोद में भेज दिया गया था क्या अन्तरिम काल के लिए कोई विशेष कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**डा० व० स० राजू** : कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जा रही। केवल जल सम्भरण की योजना के बारे में विशेष कदम उठाये जा रहे हैं।

†**डा० क० ला० राव** : क्या सरकार ने कलकत्ता के जल सम्भरण के सारे पानी को साफ करने की समस्या का अत्यन्त व्यावहाय हल समझती है और यदि हां तो क्या दल को पानी साफ करने के यन्त्र की अनुमति लागत बनाने के लिए कहा जायेगा ?

†**डा० व० स० राजू** : वृहत योजना के समय इन बातों पर विचार किया जायेगा।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : इस मामले की अविलम्बनीयता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसा समय कुछ निर्धारित करेगी जिसके अनुसार सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय किया जाये और उन्हें कार्यान्वित किया जाये।

†**डा० व० स० राजू** : इंजीनियरिंग प्रतिवेदन ३ वर्ष में मिलने की आशा है। उसके मिलने तक हम आगे कार्य नहीं कर सकते।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क पुनर्गठन समिति

†*९३०. **श्री प्र० चं० बरूआ** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क पुनर्गठन समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). यह प्रतिवेदन लम्बा प्रलेख है जिसमें प्रशासनिक तकनीकी, गठन सम्बन्धी और केन्द्रीय उत्पादन संगठन के सभी पहलुओं को लिया गया है। सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णय प्रकाशित होने से पहले इसकी ध्यानपूर्वक जांच की जायगी।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : समिति ने वर्तमान गठन में क्या कमियां बताई हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : हम प्रतिवेदन का अध्ययन कर रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की कितनी राशि अभी वसूल करनी बाकी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह बहुत ही थोड़ी है। किन्तु उत्तर के लिए अलग सूचना चाहिये।

श्री विभूति मिश्र : एक ही जिले में सेंट्रल एक्साइज़ के कितने ही डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, टोबैको का इंस्पेक्टर है। क्या इन सब को एक साथ कर देने से सरकार का खर्चा कम नहीं हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब० रा० भगत : इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्साइज एक साथ नहीं हो सकता । टोबैको और दूसरे कामों के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट एक ही है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या इस कमेटी ने ऐसी सिफारिश की है कि एग्रीकल्चुरल इंप्लीमेंट्स पर आधी फीस ली जाये ?

अध्यक्ष महोदय : सिफारिशें क्या हैं यह वह अभी बतलाने को तैयार नहीं हैं, वह उनको एग्जामिन कर रहे हैं और वही बात आप पूछ रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देने में कितना समय लगा था और इस पर निर्णय लेने में कितना समय लगेगा ?

श्री ब० रा० भगत : रिपोर्ट देने में तो काफी समय लगा लेकिन निर्णय लेने में ज्यादा समय नहीं लगेगा ।

श्री यशपाल सिंह : इसके लागू होने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या पुनर्गठन समिति की सिफारिशों में जम्मू और काश्मीर राज्य से स्थानांतरित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिकारियों को उपयुक्त देने की भी सिफारिश है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बार बार सिफारिशों के ब्यौरे के बारे में पूछ रहे हैं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : में तो केवल यह पूछ रहा हूं कि क्या उन कर्मचारियों को उपयुक्त पद दिये जायेंगे ?

†**श्री ब० रा० भगत** : उसका सम्बंध संगठन से है और उस पर भी विचार किया जायेगा ।

बन्धक रखे हुये सोने की वापसी

†*९३१. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारियों तथा व्यापार गृहों को बंधक रखे हुये सोने को वापस देने की अनुमति दे दी गई है ; और

(ख) इसकी वापसी के लिये बंधककर्त्ता तथा बंधकी पर क्या शर्तें लगाई गई हैं ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

जिन व्यापारियों ने भारत प्रतिरक्षा नियमों (स्वर्ण नियंत्रण से सम्बंधित) के नियम १२६ इं के अन्तर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिये हैं वे उनका पास बंधक रखे सोने को निम्नलिखित शर्तों के अधीन लौटा सकते है :–

(एक) सोने का जेवर १०.१.१९६३ से पूर्व बंधक रखा गया हो और लाइसेंसधारी व्यापारी द्वारा दिये गये स्वर्ण सरीज संख्या ३ प्रपत्र में शामिल किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) व्यापारी यह बताने के लिए कि सोने का जेवर वास्तव में उसके पास बंधक रखा गया था संतोषजनक लिखित प्रमाण देने के योग्य हो ;

(तीन) विनिमय की वास्तविकता के सम्बंध में ऐसा अधिकार जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निरीक्षक के देने से कम न हो संतुष्ट हो ;

सोने का जेवर व्यापारी द्वारा मालिक को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के ऐसे अधिकारी के सामने जो निरीक्षक के दर्जे से कम न हो लौटाया जाय ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ताओं को अनुदेश दिये गये हैं कि वे गिरवी या बंधक रखने वाले ऐसे व्यापारियों को जिन्होंने स्वर्ण नियंत्रण नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया है, अपनी उपस्थिति और पर्यवेक्षण में जेवर लौटाने की सब उचित सुविधाएं हैं ।

(२) जिन ब्यापारियों ने स्वर्ण नियंत्रण नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र नहीं दिये उन्हें भी गिरवी या बंधक रखे गये जेवर मूल मालिकों को लौटाने की अनुमति दी गई है। इन मामलों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अधिकारी वास्तव में जेवरों के लौटाये जाने का पर्यवेक्षण नहीं करेंगे किन्तु उन्हें इस बात का संतोष करने का अधिकार है कि इस सुविधा का दुरुपयोग न हो।

(३) जो लोग यापारी नहीं उन द्वारा गिरवी या बंधक रखी वस्तुओं लौटाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या इस आदेश के जारी होने के बाद से सोने का लेन देन आसानी से चल रहा है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : विवरण मैं उन शर्तों का व्यौरा दिया गया है जिनके अन्तर्गत गिरवी जेवर उत्पादन शुल्क अधिकारियों की उपस्थिति में लौटाये जा सकते है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : मेरा प्रश्न तो यह है कि क्या गिरवी रखने वाले और मालिक का लेन देन ठीक ठाक चल रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : इस स्पष्टीकरण के बाद कठिनाई नहीं होनी चाहिये।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : सरकार के पास क्या जानकारी है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : मुझे किसी कठिनाई का पता नहीं लगा । यदि माननीय सदस्य वतायें तो मैं जांच करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : किसी हिंसात्मक कार्य की सूचना नहीं मिली ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या सरकार को विदित है कि गिरवी सोने के रूप में झूठे मालिकों को सोना दिया जा रहा है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : यही कारण है कि यद्यपि पहले यह नियम नहीं बनाये गये थे किन्तु अब ध्यानपूर्वक जांच के बाद नियम बनाये गये है ताकि वास्तविक मालिकों को जेवर लौटाये जायें । इस मामलों में ऐसा नहीं किया जायेगा ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : इस प्रकार के कितने आवेदन पत्र सरकार के पास बिचाराधीन हैं और उन्हें निवटाने में अधिकतम कितना समय लगता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब० रा० भगत : सरकार के पास कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं। हो सकता है उत्पादन शुल्क अधिकारियों के पास हो। यह जानकारी देना बहुत कठिन है।

श्री बड़े : कुछ लोगों ने गोल्ड आरनामेंट्स के लिए रूल १२६ ई० के मातहत एप्लाई किया था। उसके बारे में सरकार ने जो सरकुलर निकाला, वह गोल्ड कंट्रोल आर्डर निकालने के कितने रोज बाद निकाला गया और क्या सरकार को मालूम है कि जो डीलर है उनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है और डिक्लेरेशन दिये बगैर वे मारगेज्ड आरनामेंट्स को वापस नहीं दे सकते। इसके बारे में काफी असंतोष है।

श्री ब० रा० भगत : कितने समय बाद निकाला गया यह तो जोड़ना मुश्किल है। वह डेट इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री बड़े : डेट आपके पास होगी। इसमें नहीं दी गयी है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते है कि उनके पास इस वक्त डेट नहीं है।

श्री बड़े : वह देख रहे हैं। उनके पास होगी।

श्री ब० रा० भगत : यह २० मार्च, १९६३ को जारी किया गया था।

श्री बड़े : मैं जानना चाहता हूं कि जिन डीलर्स के पास लाइसेंस नहीं है उनको डिक्लेरेशन देने की जरूरत पड़ती है या नहीं ?

श्री ब० रा० भगत : जो डीलर लाइसेंस लिए हुए हैं और लाइसेंस लेने पर उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है वे लौटा सकते हैं। जिनके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन फिर भी जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है चाहे वे लाइसेंस वाले हों या बगैर लाइसेंस वाले हों, उनको यह सुविधा नहीं मिल सकती।

श्री श्र० ना० चतुर्वेदी : १०-१-६३ के बाद बंधक अथवा गिरवी रखे गये जेवरों का क्या किया गया ?

श्री ब० रा० भगत : उन पर भी वही प्रक्रिया लागू की जायगी।

श्री बड़े : मेरा प्रश्न यह था कि यह २$^{1}/_{2}$ मास बाद क्यों जारी किया गया। उससे पूर्व परिपत्र जारी करने पर क्या आपत्ति थी इसके बारे में कोई रिप्रजेंटेशन सरकार के पास आया है या नहीं ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : आबजेक्शन यही था जो माननीय सदस्य ने पूछा है। कई लोग फेक ट्राजेक्शन बना कर जो पान नहीं है उस को पान बता देते थे यही आवजेक्शन था। उसको देखना पड़ा। उसमें समय चला गया।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी: सरकार का उत्तर है कि उसके पास कोई आवेदन पत्र नहीं। परन्तु वे प्राधिकारी भी तो सरकार के अधीन है और इसलिए सरकार उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकती। वे यह तो कह सकते है कि अभी जानकारी प्राप्त नहीं और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायगी किन्तु जानकारी देने से इन्कार नहीं कर सकते।

श्री मोरारजी देसाई : जानकारी मांगी जायेगी तो हम निश्चय ही उसे प्राप्त करके देंगे। किन्तु आज मेरे पास नहीं है। इसका क्या स्वर्ण बोर्ड करता है। भविष्य में विचाराधीन आवेदन पत्रों का प्रश्न ही नहीं होगा क्योंकि उनका निवटारा स्वतः हो जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार

+

*९३२. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री प० कुन्हन :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार करने का फैसला किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो किस रूप में ?

†**स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू)** : (क) और (ख). अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को बम्बई स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये तथा प्रयोगात्मक आधार पर दिल्ली के कुछ चुने हुये क्षेत्रों में गैर-सरकारी लोगों के लिये चालू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव पर कब तक विचार किया जायेगा और विचार करने के मार्ग में कौन सी कठिनाइयां आ गई है।

†**डा० द० स० राजू** : मैं समझ नहीं सका।

†**अध्यक्ष महोदय** : निर्णय करने में क्या कठिनाई है और वह कब दूर होगी ?

†**डा० द०स० राजू** : निर्णय किया जा चुका है। गत वर्ष हम योजना को बम्बई पर लागू करना चाहते थे किन्तु राष्ट्रीय संकट के कारण नहीं कर सके।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या यह सही है कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए भी अंशदायी स्वास्थ्य योजना लागू करने का विचार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसे सेवानिवृत कर्मचारियों पर भी लागू करने का विचार है ?

†**डा० द० स० राजू** : अभी उन्हें शामिल नहीं किया गया।

†**श्री महेश्वर नायक**: यह योजना केवल बम्बई में स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू क्यों होगी और अन्य नगरों म क्यों नहीं ?

†**डा० द० स० राजू** : अखिर हमें इसका विस्तार कहीं से तो आरम्भ करना है।

†**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे वाणिज्य प्रतिष्ठानों पर भी लागू करने का निश्चय किया है और यदि हां तो कब तक ?

†**डा० द० स० राजू** : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : इस योजना का विस्तार करने पर कितने डाक्टरों की आवश्यकता होगी और बम्बई में इसे सफल बनाने के लिए कितना और धन अपेक्षित होगा ?

†**डा० द० स० राजू** : अनुमान है कि बम्बई में इस योजना का विस्तार करने पर केन्द्रीय सरकार के ३०,००० कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा। इसके लिए एक बड़ा अस्पताल चाहिये और १५०

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्तर का मेसीना अस्पताल खरीदने का हमारा विचार है। उसे खरीदने पर हम दिल्ली की पद्धति पर ८ योजनाएं चालू करेंगे ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मैं पूछ रही हूं कि और कितने डाक्टरों की आवश्यकता होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे संख्या और पैसे के बारे में पूछ रही हैं ।

†**डा० द० स० राजू** : मैं ठीक ठीक आंकड़े नहीं बता सकता। हर औषधालय के लिए ४ डाक्टर चाहियें ३ पुरुष और एक स्त्री ।

†**डा० गायतोंडे** : इसके अंतर्गत कितनी जनसंख्या आयेगी ?

†**डा० द० स० राजू** : केन्द्रीय सरकार के ३०,००० कर्मचारी ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं यह जानना चाहता हूं कि अंशदायी स्वास्थ्य योजना किस आधार पर बनाई जाती है—पापुलेशन के आधार पर बनाई जाती है या कर्मचारियों की संख्या को देख कर बनाई जाती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो बस्ती में रहने वाले कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करता है ।

†**डा० द० स० राजू** : यह कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर करता है ताकि परिवहन संबंधी कठिनाइयां पैदा न हों ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या कलकत्ता में यह योजना लागू करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का कोई अध्यावेदन आया है ।

†**डा० द० स० राजू** : ऐसी कोई जानकारी नहीं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस स्कीम के लिए उन एम० पीज० की तनख्वाह में से भी रुपया काटा जाता है, जो ऐलोपैथिक मेडिसन्ज को टच करना पाप समझते हैं, जो दवाई को छूना भी पाप समझते हैं? इस का "हां" या "न" में जवाब मिलना चाहिए। हम लोग रुपया कटवाते हैं, जब कि हम को उसकी जरूरत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अभी तो आप कटवा रहे हैं । जब आप इन्कार करेंगे, तो सवाल पैदा होगा ।

श्री यशपाल सिंह : वे जबर्दस्ती काट लेते हैं । आखिर किस न्याय से यह रुपया काटा जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : जब इस का नाम ही "कम्पलसरी" है, तो सब का रुपया काटा जायगा ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या योजना के अन्तर्गत नियुक्त डाक्टरों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और क्या उनमें आवास की व्यवस्था भी शामिल है ?

†**डा० द० स० राजू** : जहां कहीं ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हों वहां दी जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण

+

†*९३३. श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी
श्रीमती रेणुका राय :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में खाद्य पदार्थों में ऐसी विषैली वस्तुयें मिले रहने का पता लगा है जिनसे हजारों व्यक्तियों पर धीरे धीरे विष का प्रभाव होता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० द० स० राजू) : (क) और (ख) यद्यपि खाद्य अपमिश्रण का समाचार मिला है किन्तु राजधानी के हजारों व्यक्तियों पर धीरे धीरे विष का प्रभाव होने का समाचार नहीं मिला । दिल्ली नगर निगम, व दिल्ली नगरपालिका और छावनी के प्राधिकारी अपमिश्रण के मामलों का पता लगाने और अपराधियों पर अभियोग चलाने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं । सरकार अपमिश्रण के कारावास का अनिवार्य उपबन्ध करने के लिए खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, १९५४ का संशोधन करने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे रही है ।

श्री यशपाल सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि इस साल में कितने लोगों के चालान हुए, कितनों को सजा हुई और कितने चालान छूट गये ?

†डा० द० स० राजू : मैं इस वर्ष के लिए तो नहीं गत वर्ष के लिए आंकडे दे सकता हूं ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह भी सच है कि यह प्रोसीड्यर इतना लम्बा है कि इस में मुलजिम छूट जाते हैं और क्या कोई ऐसा संशोधन लाया जायेगा कि उनको जल्दी सजा दी जा सके ?

†डा० द० स० राजू इस प्रश्न पर हाल में चर्चा की गयी थी और अभियोग चलाने तथा दंडित करने की प्रक्रिया को तेज करने के कदम उठाये जा रहे हैं ।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या समाचारपत्रों में वरिष्ठ मंत्री का यह कथन ठीक प्रकाशित हुआ है कि देश में अब अपमिश्रण के पदार्थ बड़े पैमाने पर पैदा किये जाते हैं और यदि हां तो सरकार न केवल निवारक बल्कि कठोर उपाय बनाने का और उन्हें लागू भी करने का विचार रखती है । यदि ऐसा है तो इसे लागू करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

†डा० द० स० राजू : दंड अधिक सख्त बनाने के लिए संशोधन किये जा रहे हैं ।

†श्री हरि विष्णु कामत : अपमिश्रण के पदार्थों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के बारे में क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० द० स० राजू** : देश भर में औषधि निरीक्षक है और अपमिश्रण रोकने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वरिष्ठ मंत्री ने तीन दिन पूर्व कलकत्ता में कहा था कि अपमिश्रण की वस्तुएं बड़े पैमाने पर तैयार की जा रही हैं ।

†**डा० द० स० राजू** : यह कहना कठिन है कि वे किस पैमाने पर तैयार की जा रही हैं किन्तु अपमिश्रण हो रहा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दिया जाये ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मैं स्वास्थय मंत्री का ध्यान उन द्वारा कलकत्ता में दिये गये वक्तव्य की ओर दिला सकता हूं जिसमें कहा गया था कि अपमिश्रण की वस्तुएं कारखानों में तैयार हो रही हैं । इसके लिए अलग कारखाने स्थापित किये गये हैं । यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**डा० द० स० राजू** : इन कारखानों का पता लगाने के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत नहीं । इसकी पहले से ही व्यवस्था है और हम इसे मजबूत कर रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान्, यह एक गम्भीर मामला है और मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । यह जनसंख्या को बड़े पैमाने पर निशक्त करने का प्रश्न है । माननीय उपमंत्री कहते हैं कि इस कार्य के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है । फिर, हमारे लोग कैसे रह सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय उपमंत्री के कहने का अभिप्राय यह है कि पहिले से ही पर्याप्त व्यवस्था है और अभी एक दम अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्री हेम बरुआ** : उन कारखानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रथक प्रश्न पूछा जा सकता है । माननीय उपमंत्री उस जानकारी के साथ तैयार नहीं हैं ।

†**डा० द० स० राजू** : मैंने कहा था कि हम वर्तमान व्यवस्था को सुदृढ़ बना रहे हैं ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : श्रीमन्, कुछ रोज पहले स्वास्थय मंत्री ने इस सदन में इस आशय का आश्वासन दिया था कि चूंकि जांच करने के लिए काफी संख्या में इंस्पैक्टर नहीं हैं, इसलिए खाने की चीजों में मिलावट होती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अभी तक कोई कदम उठाया है कि काफी संख्या में इस्पैक्टर बहाल किये जायें । यदि नहीं, तो देर का क्या कारण है ?

†**डा० द० स० राजू** : उदाहरणार्थ, दिल्ली में, उनके १४ खाद्य निरीक्षक थे, परन्तु अब वे बढ़ा कर २४ किये जा रहे हैं । हम निरीक्षक कर्मचारियों की संख्या इसी प्रकार बढ़ा रहे हैं ?

†**श्री शिवनारायण** : मैं यह जानना चाहता हूं कि पायजनस फूड बेचने वालों में से कितनों पर मुकदमे चलाये गये हैं ।

†**डा० द० स० राजू** : मैं १९६१-६२ के आंकड़े दे सकता हूं । १ जुलाई, १९६१ और ३१ मार्च, १९६२ के बीच नौ महीनों की अवधि में लगभग ११,००५ नमूनों का विश्लेषण किया गया है

---

†मूल अंग्रेजी में

और १३५२ नमूनों में ३.४३ लाख रु० का जुर्माना लिया गया है एवं १०८ व्यक्तियों को कारावास का दंड दिया गया है ।

†श्रीमती सावित्री निगम : इस सभा में बताया गया था कि प्रयोगशाला परीक्षण की सुविधाओं के अभाव के कारण से अपमिश्रित वस्तुओं का उचित परीक्षण नहीं हो रहा था। क्या अधिकाधिक प्रयोगशाला परीक्षणों की व्यवस्था करने के लिए कोई प्रयास किया गया है ?

†डा० ब० स० राजू : कार्यवाही की जा रही है । दिल्ली में दो और प्रयोगशालायें, अर्थात् विश्लेषणात्मक प्रयोगशालायें, खोली जा रही हैं ।

†डा० सरोजिनी महिषी : क्या सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि कुछ विशेष दुकानें हैं जो उन वस्तुओं का व्यापार करती हैं जो कि खाद्य के अपमिश्रण में सहायक होती हैं ?

†डा० ब० स० राजू : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

†श्री कमल नयन बजाज : जन साधारण की धारणा है कि अपमिश्रण के मामलों में न्यायालयों में बहुत ही थोड़ा दंड दिया जाता है । अधिकतम दंड क्या दिया जाता है ?

†डा० ब० स० राजू : नये संशोधन में दण्ड और कड़ा कर दिया गया है । कारावास अनिवार्य किया जा रहा है । इसकी अवधि चार मास से दो वर्ष तक की होगी ।

कोसी नदी की धारा को मोड़ना

*९३४. श्री योगेन्द्र झा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोसी नदी की मुख्य धारा को बराज होकर मोड़ने में सफलता मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों तटबन्धों के बीच बसने वाले लोगों की स्थिति में इस से क्या फर्क पड़ेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री के सभा-सचिव (श्री सै० अ० मेहदी) : (क) जी हां, कोसी नदी का कोसी बराज से व्यपवर्तन १८ फरवरी, १९६३ को आरम्भ कर दिया गया था और इसे ३१ मार्च, १९६३ को सफलतापूर्वक पूर्ण कर दिया गया ।

(ख) इससे पूर्व कि दो तट-बन्धों के बीच रहने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है इसको आंका जा सके नदी के बहाव को अगले दो अथवा तीन सालों तक और खास कर बाढ़ों के दिनों में देखना आवश्यक होगा ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कांस्टीट्यूशन हाउस में भोजन-व्यवस्था के ठेके

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५. श्री हरि विष्णु कामत : क्या निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या कांस्टीट्यूशन हाउस में भोजन व्यवस्था के लिये राज सम्पत्ति निदेशक ने हाल ही में टेंडर मांगे थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने टेंडर प्राप्त हुए थे और प्रत्येक टेंडर देने वाले ने जो रेट लिये थे; उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विषय में कोई निर्णय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो कौनसा टेंडर स्वीकार किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) हां।

(ख) पांच।

(ग) हां।

(घ) न्यूनतम टेंडर स्वीकार हो गया है

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

†श्री हरि विष्णु कामत: कांस्टीट्यूशन हाउस में भोजन व्यवस्था के लिए पिछले नवम्बर में टेंडर क्यों मांगे गये थे, फिर इस मामले में कोई निश्चय नहीं किया गया और फिर दुबारा पिछले महीने में, अर्थात् मार्च में टेंडर मांगे गये और और क्यों पुराना ठेका प्रति मास तदर्थ आधार पर, प्राप्त हुए टेंडरों पर निश्चय किये बिना, बढ़ाया गया ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : केवल इस कारण कि हम संकट काल में थे . . . (अन्तर्बाधा)। हां, हां। उस समय हमारा विचार कंस्टीट्यूशन हाउस को विदेशियों या सरकारी कर्मचारियों के लिए एक प्रकार का होस्टल बनाने का था। उस समय मैंने स्वयं वहां रहने वाले १४ संसत्सदस्यों से कहा था कि क्या वे वैस्टर्न कोर्ट में रहना चाहेंगे, जहां उनको आवास दिया जायेगा; मैंने उनसे यह भी कहा कि यदि वे कहीं और जाना चाहते हैं, तो उन्हें अन्य स्थान पर भी आवास दिया जा सकता है यही मुख्य विचार था।

अब इच्छा यह है कि हम वर्तमान प्रबन्ध को लगभग और छः महीने तक रख सकते हैं क्योंकि सम्भव है कि कंन्स्टीट्यूशन हाउस को गिरा कर पुनः बनाया जाये। हम वहां नई योजना लागू कर सकते हैं यह सब विचाराधीन है

अत : अब हमने न्यूनतम टेंडर स्वीकार कर लिया है

†श्री हरि विष्णु कामत : टेंण्डरों की क्या स्थिति है---यदि माननीय मन्त्री इस बारे में न बता सकें तो आपसे इस पर प्रकाश डालने की प्रार्थना करता हूं---टेंडर कब मांगे जाते हैं, वे प्राप्त होते हैं, और उनपर कोई निश्चय नहीं किया जाता, और कोई कारण बताये बिना नये टेंडर मांगे जाते हैं? क्या यह नियमित, उचित और ठीक है ?

†श्री मेहर चन्द खन्ना : टेंडर देने वाला व्यक्ति तथा दर वही है उनमें कोई भी अन्तर नहीं है। वास्तव में, जहां तक टेण्डर देने वाले का सम्बन्ध है, वह बहुत ही लोकप्रिय प्रतीत होता है क्योंकि उसके टेण्डर को जारी रखने के लिए मुझे मौखिक व लिखित अनेक सिफारिशें मिलीं

†श्री हरि विष्णु कामत : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। विधि क्या है ? क्या यह प्रक्रिया ठीक है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वह अन्य मामलों पर विचार विमर्श करना चाहते हैं तो वह मेरे पास आकर कर सकते हैं। अभी यहां अन्य बातें नहीं उठाई जानी चाहियें।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अन्य बातें नहीं, परन्तु जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है पिछले नवम्बर में मांगे गये टेण्डरों पर कोई निश्चय न होने पर भी मार्च में नये टेंडर मांगने का क्या कारण है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर दिया गया है कि संकटकाल के कारण . . .

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह उत्तर पर्याप्त है ? क्या वह इसके लिए संकटकाल की आड़ ले सकते हैं ? इसका संकटकाल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा कि इच्छा कांस्टीट्यूशन हाउस को सरकारी कर्मचारियों या वहां आने वाले व्यक्तियों के लिए आवास में बदलने का था । अतः निश्चय नहीं किया गया। क्या वह कुछ कहना चाहते हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इसी विषय पर पिछले महीने एक प्रश्न पूछा गया था और उस समय उत्तर दिया गया था दिसम्बर में प्राप्त हुए टेण्डर प्रतियोगी नहीं थे। उस समय मन्त्री महोदय ने संकट का कोई उल्लेख नहीं किया उसी समय वेस्टर्न कोर्ट के बारे में जो दूसरा सरकारी होस्टल है जहां तक मुझे विदित है टेण्डर देने वाले व्यक्ति ने टेण्डर दिये और हालांकि वे प्रतियोगी न थे उस पर निश्चय किया गया जबकि कंस्टीट्यूशन हाउस के बारे में उसे उठा रखा गया, नये टेण्डर मांगे गये जो मार्च में प्राप्त हुए

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : कँस्टीट्यूशन हाउस में रहने वाले २४ संसत्सदस्यों को मैंने व्यक्तिगत पत्र लिखे

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यहां संसत्सदस्यों का प्रश्न नहीं है यह सरकारी होस्टल है यह जनता का मामला है और इसी कारण हमारी रुचि है

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : मैंने प्रश्नकर्ता सहित उन्हें लिखा और सुझाव दिया कि वह आवास बदल सकते हैं . . .

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अतिरिक्त बातें हैं

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : क्या अपना उत्तर पूरा कर सकता हूँ ?

यदि वह कंस्टीट्यूशन हाउस से आवास बदलना चाहें तो उन्हें वैकल्पिक आवास दिया जायेगा यहां तक कि मांग की गई थी कि एक कमरे के बजाये दो कमरे दिये जाने चाहियें मैंने यह भी स्वीकार कर लिया परन्तु अब लगभग छः मास से हम वर्तमान प्रबन्ध जारी रखना चाहते हैं और टेण्डर निम्नतम टेण्डर देने वाले को दे दिया गया है जो वर्तमान भोजन व्यवस्थापक है उसने टेण्डर दिया उनके पुत्र ने टेण्डर दिया और मेरा ख्याल है कि एक निकट सम्बन्धी ने भी टेण्डर दिया। परन्तु पांचों में उसका टेण्डर निम्नतम था और वह स्वीकार कर लिया गया

†**श्री हरि विष्णु कामत** : श्रीमान् मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ प्रश्न आवास का बिल्कुल नहीं है यह भोजन-व्यवस्था का प्रश्न है केवल संसत्सदस्यों के लिए ही नहीं यह सरकारी होस्टल है और मैं लोकहित में प्रश्न पूछ रहा हूँ संसत्सदस्य अन्य स्थानों पर भी रह रहे हैं मैं जानना चाहता हूँ कि कंस्टीट्यूशन हाउस के मामले में ही टेण्डर मांगे गये और पहिली बार प्राप्त हुए परन्तु

---

†मूल अंग्रेजी में

कोई निश्चय नहीं किया गया जबकि उसी समय नवम्बर में वेस्टर्न कोर्ट में टेण्डर मांगे गये प्राप्त हुए और उन पर निश्चय किया गया हालांकि वे टेण्डर इतने ही अप्रतियोगी के जैसे कि कंस्टीट्यूशन हाउस के थे। मैं जानना चाहता हूँ कि केवल कंस्टीट्यूशन हाउस के ही मामले में निश्चय नहीं किया गया और मामला उठा रखा या

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं केवल एक बात कह दूं कि हमने चार टेण्डर मांगे थे—नार्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू, वेस्टर्न कोर्ट और कंस्टीट्यूशन हाउस के लिए वेस्टर्न कोर्ट का टेण्डर स्वीकार हो गया। नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू की आवास समितियों ने निश्चय किया कि टेंडर स्वीकार नहीं किये जाने चाहियें, कि वे अपना प्रबन्ध स्वयं करेंगे और मैंने स्वीकार कर लिया जहां तक कंस्टीट्यूशन हाउस का सम्बन्ध है हमने नये टेण्डर मांगे और निम्नतम स्वीकार कर लिया।

†**अध्यक्ष महोदय** आपत्ति यह है यदि उनकी इच्छा कंस्टीट्यूशन हाउस को सरकारी कर्मचारियों का होस्टल बनाने की भी, तो क्या टेण्डर मांगने और स्वीकार करने से कोई अन्तर पड़ता क्योंकि मन्त्री महोदय ने इस पर बहुत जोर दिया है कि टेण्डर इसलिए स्वीकार नहीं किये गये कि कंस्टीट्यूशन हाउस को सरकारी अधिकारियों के लिए होस्टल बनाने का था ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हम कोटा हाउस में भी टेण्डर मांगा करते थे फिर हमें कोटा हाउस प्रतिरक्षा मन्त्रालय के विवेक पर रख दिया। वह ठेका जहां तक हमें विदित है समाप्त हो गया उस समय यह भी विचार था कि समूचे कांस्टीटयूशन हाउस के बारे में भी कोटा हाउस जैसी कार्यवाही की जायेगी। अतः हमने उस समय कोई टेण्डर स्वीकार नहीं किया था। जब हमने यह निश्चय किया कि हम इसे सरकारी होस्टल के रूप में चलाते रहेंगे जैसा कि हम आजकल कर रहे हैं तो नये टेण्डर मांग लिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है। इसे भी प्रतिरक्षा मन्त्रालय के हाथ में देने की इच्छा थी।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: जी हां। कांस्टीट्यूशन हाउस में रहने वाले सभी सँसदसदस्यों को लिखा था।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उत्तर सन्तोषजनक नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् माननीय मन्त्री जी ने अभी उत्तर देते हुए बताया है कि हाउस कमेटी के लोगों से परामर्श नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य है कि कुछ वर्ष पूर्व तक यह प्रथा थी कि हाउस कमेटी अथवा कम से कम उसके चेयरमैन से इस बारे में परामश किया जाता था और यदि यह सत्य है तो इस प्रथा को क्यों समाप्त कर दिया गया है ?

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह बात नहीं है। जनाब बात यह है कि कांस्टिट्यूशन हाउस में १७० कमरे हैं। वहां सिर्फ १४ एम० पी० रहते हैं जिनमें से पांच अपना खाना बनाते हैं नौ हैं जो केटरर से लेते हैं। मैंने हाउस कमेटी से भी कहा और स्पीकर साहब से भी कहा कि तीन चार तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि १२, १३ या १४ एम० पीज जो रहते हैं वे जो भी इन्तजाम करना चाहे मैं सहमत हूँ। अगर वेस्टर्न कोट जाना चाहते हैं तो सहमत हूँ अगर किचनर्स लेना चाहते हैं तो मैं सहमत हूँ। यह जो हम रन कर रहे हैं वह एज ए पार्ट आफ दि हाउस कमेटी नहीं रन कर रहे हैं। यह गवर्नमेंट

---

†मूल अंग्रजी में

होस्टेल रन कर रहे हैं जिसमें एम० पीज भी हैं और १५० या १६० गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी रहते हैं। (अन्तर्बाधा)।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। इसे आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं।

चूंकि मेरा नाम लिया गया है इसलिये मैं श्री भक्तदर्शन से कहना चाहता हूँ कि चूंकि इरादा यह था कि डिफेन्स पर्सोनेल के लिये ले लिया जाये इसलिये मेम्बरों से कहा जाय कि वे दूसरी जगहों पर चले जाय। इस वास्ते जो हाउसिंग कमेटीज हैं उनके दोनों चेअरमैनों ने एग्री कर लिया कि ऐसा कर दिया जाय और हम अपना हक छोड़ते हैं। उनका एग्रीमेंट हो गया। दोनों ने एग्री कर लिया तब यह फैसला इस बारे में कर दिया गया।

श्री बाजी : क्योंकि यह प्रतिरक्षा को चला गया है क्या यह आवास समिति के क्षेत्र से बाहर नहीं निकाला गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे देखूंगा।

शान्ति, शान्ति। मैंने कुछ कागजों को ऊपर प्रेस गैलरी से गिरते देखा है। उन्हें अपने कागजों का अधिक ध्यान रखना चाहिये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली जल संभरण तथा मल अपवहन उपक्रम

†*९३५. { **श्री द्वारका दास मंत्री** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल संभरण तथा मल अपवहन उपक्रम का प्रवन्ध दिल्ली नगर निगम से लेने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड

†*९३६. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री शिवचरण गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल बिल्डिंग कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण-व्यय कम करने में सफल हुआ है ;

†मूल अँग्रेजी में

(ख) क्या कारपोरेशन निर्माण व्यय कम करने के लिये सलाह मांगने वालों को सलाह दे रहा है ;

(ग) क्या इस कार्य के लिये कोई फ़ीस ली जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम निर्माण का व्यय कम करने में कहां तक सफल हुआ है परन्तु नवम्बर, १९६० में इसकी स्थापना होने के बाद, इसे ९.२५ करोड़ रु० के मूल्य के १३० ठेके मिले हैं। ये ठेके प्रतियोगी टेंडर से अन्य ठेकेदारों के मूल्य से कम मूल्य पर मिले हैं।

(ख) निगम का यह कार्य नहीं है ।

(ग) और (घ), प्रश्न ही नहीं उठता ।

नदी घाटियों के जल साधन

*९३७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी घाटियों के जल साधनों का अध्ययन करने का जो प्रस्ताव विचाराधीन था उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ख) उक्त निश्चय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख), घरेलू और औद्योगिक कामों में पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिये नदी-घाटियों के जल-साधनों का प्रस्तावित अध्ययन अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

तापीय विद्युत् केन्द्र

†*९३८. **श्री प्र० च० बरुआ** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलैण्ड ने दरम्यानी किस्म के कोयले का उपयोग करने वाले दो तापीय विद्युत केन्द्र बनाने का प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार का क्या निर्णय है ; और

(ग) ये केन्द्र उपयुक्त रूप से कहां पर स्थापित किये जा सकते हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और तापीय केन्द्रों के लिए ऋण देने में पौलैण्ड ने रुचि प्रदर्शित की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग), मामला विचाराधीन है ।

विदेशी मुद्रा की आवश्यकतायें

†*९३९. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६३–६४ को विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये हाल में ही विश्व बैंक का तीन सदस्यों का एक दल भारत आया था ; और

(ख) क्या विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं के लिए दल से कोई बातचीत हुई थी ?

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** (क) और (ख). भारत की विकास योजनाओं की प्रगति तथा चालू आर्थिक स्थिति में विशेषकर १९६३–६४ में बाह्य वित्तीय सहायता की भारत की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के लिए फरवरी मार्च, १९६३ में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का एक आर्थिक प्रतिनिधि मण्डल भारत आया था । प्रतिनिधि मण्डल ने विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ अनेक विचार-विमर्श किये ।

बाढ़ नियन्त्रण योजनायें

†*९४०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्यों को उनकी स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर व्यय करने के लिये १० करोड़ रुपया मंजूर किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस आवंटन में प्रत्येक राज्य का क्या अंश है ; और

(ग) आवंटन किस आधार पर किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १९६२–६३ के लिए बाढ़ नियन्त्रण प्रोग्राम के अन्तर्गत अनेक राज्य सरकारों को कुल ११८७.१० लाख रु० के ऋण दिये गये ।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ११६३/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) बाढ़ नियन्त्रण प्रोग्राम के अन्तर्गत अनेक राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता का आवंटन प्रत्येक राज्य में समस्या का महत्व, उनके द्वारा बनाये गये बाढ़ नियन्त्रण प्रोग्राम और स्वीकृत योजनाओं पर हुए या होने वाले व्यय का ध्यान रख कर किया जाता है ।

उड़ीसा में परिवार नियोजन

†२०३८. **श्री रामचन्द्र मलिक :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये उड़ीसा सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)**: १९६२–६३ में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये उड़ीसा राज्य सरकार को २ लाख ८३ रुपये की धन राशि की अस्थायी रूप से मंजूरी दी गई थी ।

सिंगापुर तथा लंका से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति

†२०३९. **श्री थेनगोंडर :**
श्री वै० तेवर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगापुर तथा लंका से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को बिना आयात शुल्क दिये हुए लाने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक इसकी अनुमति है ; और

(ग) इस सुविधा के लिये क्या शर्तें लगाई गयी हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). लंका से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों को व्यक्तिगत चल सम्पत्ति तथा घरेलू उपयोग की वस्तुओं को बिना आयात शुल्क का भुगतान किये हुए लाने की अनुमति है । इन रियायतों का लाभ उठाने के लिये, श्री लंका से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति को श्रीलंका स्थित भारतीय उच्चायोग से यह प्रमाणपत्र प्राप्त करना पड़ता है कि इस प्रमाणपत्र को रखने वाला व्यक्ति एक स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति है । जो वस्तुएं लाई जाती हैं वे ऐसी होनी चाहिये जो कि लाने से कम से कम तीन महीने पहले से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के उपयोग में आ रही हों ।

तथापि, सिंगापुर से आने वाले व्यक्तियों के लिये कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित नहीं है । उनके द्वारा लाई जाने वाली वस्तुओं पर सामान्य 'सामान तथा निवास स्थानान्तरण नियम' ही लागू होते हैं ।

उड़ीसा के महालेखापाल के कार्यालय के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

†२०४०. **श्री उलाका :** क्या **वित्त** मंत्री २३ मई, १९६२ को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या १७८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के महालेखापाल के कार्यालय के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये भुवनेश्वर में और अधिक क्वार्टर बनाने के प्रस्तावों पर सरकार ने अब तक विचार कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां ।

(ख) अतिरिक्त क्वार्टरों के निर्माण के लिये योजनाओं तथा प्राक्कलनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में मार्गोपाय स्थिति में सुधार

†२०४१. **श्री उलाका** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को उनकी मार्गोपाय स्थिति में सुधार करने के लिये १९६२–६३ के दौरान कोई ऋण दिया हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पदोन्नति के लिए आरक्षण

†२०४२. **डा० शि० कु० साहा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों को अराजपत्रित पदों से राजपत्रित पदों पर पदोन्नति देने के लिये क्या एक रक्षित कोटा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) कोई कोटा सुरक्षित नहीं किया गया है क्योंकि राजपत्रित श्रेणी के लिये पदोन्नति केवल चयन द्वारा ही की जाती है । तथापि, चयन करते समय अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के मामले में निर्धारित स्तरों में ढील दे दी जाती है ।

धुवारन तापीय विद्युत् केन्द्र

†२०४३. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में धुवारन तापीय विद्युत् केन्द्र को पूरा करने के संबंध में धीमी प्रगति हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन्द्रवती जल-विद्युत् परियोजना

†२०४४. **श्री उलाका :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री ३० मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२७५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालाहांडी जिले (उड़ीसा) में इन्द्रवती जल-विद्युत परियोजना के संबंध में जांच पड़ताल अब तक पूरी हो गई है तथा परियोजना प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं ; और

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हां। योजना के संबंध में प्रारम्भिक जांच पड़ताल पूरी हो गई है तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को एक प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है।

(ख) जैसा कि प्रारम्भिक प्रतिवेदन में दिया गया है, योजना में दो बांधों के निर्माण की परिकल्पना की गई है। १४४ फीट ऊंचा एक बांध इन्द्रवती नदी (गोदावरी की एक सहायक नदी) पर बनाया जायेगा तथा २३६ फीट ऊंचा दूसरा बांध पोडागडा नदी के ऊपर बनाया जायेगा जो कि इन्द्रवती नदी की एक सहायक नदी है। इन दोनों बांधों से एक जलाशय बनाया जायेगा जिसका एफ० आर० एल० (+) २१२० फीट होगा, पूरी क्षमता ५८ अरब ५० करोड़ क्यूबिक फीट होगी, तथा जिसमें (+) २०६४ फीट के प्रस्तावित न्यूनतम ड्रो-डाउन स्तर तक ३८ अरब ५० करोड़ क्यूबिक फीट पानी का भंडार रखा जा सकेगा। यह आशा की जाती है कि जलाशय से ७०२ वर्गमील के स्त्रवण क्षेत्र[1] से निकलने वाले पानी का नियंत्रण किया जा सकेगा तथा विद्युत् बनाने के लिये १६०० क्यूजैक जल निरन्तर दे सकेगा। प्रस्तावित जलाशय तथा तेल नदी में बहकर मिलने वाली हट्टी धारा की तलहटी के बीच उपलब्ध १२०८ फीट के एक औसत ग्रास हैड का उपयोग करने के लिये, एक पांच हजार फीट लम्बी नहर तथा एक आठ हजार फीट लम्बी सुरंग वाली एक जल वाहक पद्धति द्वारा जलाशय से इन्द्रवती के पानी को निकटवर्ती तेल नदी (महानदी घाटी) में ले जाने का विचार है। इस विद्युत स्टेशन पर ६० प्रतिशत लोड फैक्टर पर २ लाख २५ हजार किलोवाट बिजली बनाने की दृढ़ विद्युत क्षमता होने का अनुमान है। साठ-साठ हजार किलोवाट के चार यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। बिजलीघर से जो पानी निकलेगा उसे उड़ीसा के कालाहांडी जिले में १ लाख ३३ हजार एकड़ भूमि को सींचने के लिये उपयोग में लाने का विचार है।

(ग) २५ करोड़ ८४ लाख ९८ हजार रुपये।

उड़ीसा में विद्युतीकरण

†२०४५. **श्री उलाका :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में उड़ीसा के जिन नगरों तथा गांवों में बिजली लगाई गई है उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) इस कार्य के लिये कुल कितनी धन राशि आवंटित की गई थी तथा उसी अवधि में अब तक कितनी धन राशि व्यय की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Catchment Area.

(ख) १९६३-६४ में उड़ीसा के कितने नगरों तथा गांवों में बिजली लगाने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग) जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है तथा यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा के क्षय रोग के अस्पताल

†२०४६. **श्री उलाका** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय कितने क्षय रोग के अस्पताल हैं ;

(ख) उनमें कितनी शय्याओं की व्यवस्था है ; और

(ग) गत पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितना अनुदान अथवा ऋण दिया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) दो।

(ख) २३५। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक अस्पतालों तथा चिकित्सालयों के क्षय रोग कक्षों में ४० शय्याओं की व्यवस्था है।

(ग) केन्द्र द्वारा सहायता प्राप्त / पुरोनिधान की गई चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य योजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों को जो केन्द्रीय सहायता दी जाती है वह सभी योजनाओं को मिल कर एकमुश्त दी जाती है तथा प्रत्येक योजना के लिये पृथक पृथक नहीं। १९५८-५९ से लेकर १९६२-६३ की अवधि में, क्षय रोग कार्यक्रमों को मिलाकर, सभी योजना कार्यक्रमों के लिये उड़ीसा सरकार को कुल मिलाकर २ करोड़ १० लाख १३ हजार ५०० रुपये के सहायक अनुदान एकमुश्त रूप में दिये गये थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के दो क्षय रोग अस्पतालों को ५५ हजार १५२ रुपये के सहायक अनुदान की भी मंजूरी दी गई थी।

लंका के रैड क्रास से कम्बल

†२०४७. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका के रैडक्रास ने भारतीय रैड क्रास को कुछ कम्बल भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने देशों ने भारतीय रैड क्रास को इस प्रकार की सहायता दी है ; और

(ग) अब तक उस में से कितनी सहायता का उपयोग किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) से (ग) भारतीय रैड क्रास को लंका के रैड क्रास से कोई कम्बल नहीं मिले हैं। तथापि, १९ देशों से इस प्रकार की सहायता प्राप्त हुई है तथा उसके अधिकांश भाग का उपयोग कर लिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत इंगलैंड में प्रशिक्षण

†२०४८. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंगलैंड के प्रविधिक सहकार विभाग के महानिदेशक, सर एन्ड्रयू कोहेन, के मूल्यांकन प्रतिवेदन से भारत को मिलने वाली प्रविधिक सहायता को बढ़ाने में कहां तक सहायता मिली है ; और

(ख) इंगलैंड की अतिरिक्त प्रविधिक सहायता किस प्रकार की होगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) सर ऐन्ड्रयू कोहेन तथ्यान्वेषण करने के अपने पहले दौर पर भारत आये थे और उन प्रविधिक सहायता कार्यक्रमों के संबंध में केवल सामान्य चर्चा की थी जो कि पहले ही से कोलम्बो योजना के अधीन इंगलैंड की सहायता से क्रियान्वित किये जा रहे हैं । प्रविधिक सहायता को बढ़ाने के संबंध में किन्हीं प्रस्तावों पर विशेष रूप से चर्चा नहीं की गई थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशी ऋणों पर ब्याज का भुगतान

†२०४९ { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** / **श्री बड़े :** / **श्री कछवाय :** / **श्री रा० बरुआ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो योजना कालों के दौरान भारत को दिये गये विदेशी ऋणों पर १९६३–६४, १९६४–६५ तथा १९६५–६६ में भारत द्वारा कितने ब्याज का भुगतान किया जाना है ;

(ख) पिछले वर्षों में लिये गये ऋणों के संबंध में जो किश्तें दी जानी हैं उनका भुगतान करने के लिये भारत को तीन वर्षों में प्रति वर्ष पृथक पृथक कितने रुपये की आवश्यकता होगी ; और

(ग) इन दायित्वों को पूरा करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ११६४/६३]**

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये व्यवस्था की गयी है कि अनेक ऋणों के मूलधनों को वापस देने के लिये किश्तों तथा लिये हुये ऋणों पर ब्याज और अवशिष्ट रकमों का उधार देने वाले देशों/संस्थाओं को उसी समय भुगतान कर दिया जाय जबकि वह देय हों ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

†२०५०. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२–६३ के लिये उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विद्युतीकरण के सम्बन्ध में कोई योजना मंजूर की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो कितने गाँवों में बिजली लगाई जायेगी तथा उन गाँवों की भी संख्या कितनी है जिन्हें कि तृतीय योजना काल के अन्त तक लाभ पहुंचेगा; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). जी नहीं। तथापि, ८ करोड़ ९९ लाख १५ हजार रुपये की कुल लागत पर ५०० गाँवों का विद्युतीकरण करने की एक योजना केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् बोर्ड से प्राप्त हुई थी। आयोग ने इसकी जाँच कर ली है तथा राज्य विद्युत् बोर्ड से कुछ स्पष्टीकरण माँगे गये हैं। १९६२–६३ में २५२ गाँवों में बिजली लगाने का प्रस्ताव था।

(ग) तृतीय योजना काल में गाँवों का विद्युतीकरण करने के लिये राज्य सरकार को ऋण के रूप में देने के लिये १३ करोड़ ९० लाख रुपये का आवंटन किया गया है। अब तक वास्तव में १ करोड़ २४ लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

दिल्ली में शहीद स्मारक

†२०५१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री १८ अगस्त, १९६० को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ५१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के शहीद स्मारक के निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : शिल्पी द्वारा दिये गये सुझाव पर सरकार इस बात के लिये सहमत हो गई है कि उसके कार्य करने के लिये एक स्टूडियो दिल्ली के स्थान पर कलकत्ता में बनाया जाय। स्टूडियो के लिये स्थल अभी तक नहीं चुना गया है। जिस समय स्टूडियो उसे कार्य करने के लिये दे दिया जायेगा उस समय के ६ वर्ष तथा ४ महीनों के अन्दर अन्दर ही कार्य पूरा किया जाना है। तब तक, वह आकृतियों के चयन तथा कलाकृति में उनकी व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में कुछ प्रारम्भिक कार्य कर रहा है।

मद्रास राज्य में विद्युत जनन

†२०५२. **श्री इलायापेरूमाल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६३–६४ में मद्रास राज्य में विद्युत् जनन करने की योजनाओं पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनके क्या ब्यौरे हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, हाँ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) (१) योजनाओं के नाम नीचे दिये गये हैं जिनके सम्मुख राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित लागत तथा योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गयी लागत दिखाई गई हैं :

क्रम संख्या	योजना का नाम	१९६३–६४	
		राज्य सरकार के प्रस्ताव	योजना आयोग द्वारा सिफारिश की गई लागत
		(लाख रुपयों में)	
१	पेरियार जल-विद्युत् परियोजना .	१.०३	१.०३
२	कुन्ड़ा प्रक्रम १ तथा २ . .	१३४.४९	१३४.४९
३	मेटूर सुरंग बिजलीघर योजना .	१६९.७६	३७९.७०
४	कुन्डा जल विद्युत् योजना प्रक्रम ३ . .	५५७.११	५५७.११
५	पेरियार जल-विद्युत् योजना प्रक्रम २	२४.४१	२८.४१
६	अनामलाई परियोजना (परम्बिकुलम) .	२०४.०४	२०४.०४

(२) यह भी आशा की जाती है कि नेवेली लिगनाइट निगम, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है अपने तापीय विद्युत् स्टेशन में १९६३–६४ के दौरान १०० मैगावाट जनन क्षमता की वृद्धि करेगा ।

मद्रास में सीमाशुल्क कार्यालय के एजेन्ट[1]

†२०५३. **श्री इलायापेरूमल** : क्या **वित्त** मंत्री उन एजेन्टों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन की एजेन्सियाँ १९६० में मद्रास के सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा रद्द कर दी गई थीं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : १९६० में मद्रास के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क कार्यालय के किसी भी एजेन्ट का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया था । सीमाशुल्क कार्यालय अभिकर्ता अनुज्ञापन नियम, १९६० के लागू हो जाने के पश्चात्, सिवाय उन ग्यारह लाइसेंसधारियों के जिन्होंने इन नियमों के अधीन लाइसेंस लेने के लिये प्रार्थनापत्र नहीं दिये थे शेष सभी पुराने लाइसेंसधारियों को नये नियमों के अधीन लाइसेंस दिये गये थे ।

निष्क्रान्त सम्पत्ति का हस्तांतरण

†२०५४ { **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बस्ती सराय रोहिल्ला, देहली की कुछ निष्क्रान्ता सम्पत्ति जो कि विस्थापित व्यक्तियों को अन्तिम रूप से बेच दी गयी थी अब पुनर्वास विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम को उस क्षेत्र में से गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये दे दी गई है;

†मूल अंग्रेजी में

[1]Customs House Agents

(ख) यदि हां, इस प्रकार की कितनी सम्पत्तियाँ हस्तांतरित कर दी गई हैं तथा उनके क्या ब्यौरे हैं; और

(ग) क्या सरकार का ऐसी किसी सम्पत्ति/सम्पत्तियों को नगर निगम से वापस लेने का विचार है और यदि हाँ, तो कब तथा वे सम्पत्तियाँ कौन सी हैं?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) ऐसी कोई भी सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में अभिहस्तांतरण विलेख जारी कर दिया गया था दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित नहीं की गई थी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

दामोदर घाटी निगम में वित्तीय मंत्रणाकार-तथा-मुख्य लेखाधिकारी

†२०५५. **श्री मुहम्मद इलियास** :
श्री प्रभातकार :
श्री दाजी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी बड़ी परियोजनाओं में वित्तीय मंत्रणाकार-तथा-मुख्य लेखाधिकारी का सामान्यतः केवल एक ही पद होता है;

(ख) यदि हां, तो दामोदर घाटी निगम के लिये उसी प्रक्रिया का पालन न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) मुख्य इंजीनियरिंग परियोजनाओं के वित्तीय मंत्रणाकार-तथा-मुख्य लेखाधिकारी के पद के लिये अर्हता तथा अनुभव का सामान्य स्तर क्या है तथा दामोदर घाटी परियोजना की वर्तमान स्थिति की तुलना में यह कैसा है?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं। इस बारे में कोई एकरूप पद्धति नहीं है।

(ख) अपना लेखांकन संगठन स्थापित करना दामोदर घाटी निगम की जिम्मेदारी है जो कि एक स्वायत्तशासी संस्था है। इस प्रयोजन के लिये उन्होंने एक मुख्य लेखाधिकारी नियुक्त किया है। दूसरी ओर निगम के लिये वित्तीय मंत्रणाकार की नियुक्ति दामोदर घाटी निगम अधिनियम की धारा ६ (१) के अधीन की जाती है।

(ग) वित्तीय मंत्राणाकार/मुख्य लेखाधिकारी साधारणतः नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अधीन लेखा विभाग में से लिए जाते हैं परन्तु ऐसे चुनाव के लिये विहित अर्हता तथा अनुभव का स्तर निश्चित रूप से निर्धारित नहीं किया गया है। दामोदर घाटी निगम के वित्तीय मंत्रणाकार तथा मुख्य लेखाधिकारी भी लेखा विभाग से सम्बन्ध रखते हैं।

करों की वसूली

†२०५६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी राज्यों में, राज्य-वार, वसूल किये गये करों की कुल धनराशि क्या है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब राज्य में मेडिकल कालेज

†२०५७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में पंजाब राज्य के विभिन्न मेडिकल कालिजों को राकफीलर प्रतिष्ठान द्वारा दिये गये अनुदानों की राशि क्या है; और

(ख) किन परियोजनाओं के लिए अनुदान दिया गया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) शून्य।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई में हीरों की बरामदगी

२०५८. **श्री ओंकारलाल बेरवा**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के एक जौहरी के घर से एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के हीरे केन्द्रीय आबकारी विभाग ने बरामद किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ये हीरे विदेश से लाये हुए थे;

(ग) यदि हाँ, तो कहाँ से लाये गये थे; और

(घ) इन हीरों पर सीमा शुल्क कितना बनता था ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). बम्बई के एक जौहरी की दुकान में तीन व्यक्तियों के पास से एक लाख रुपये से ज्यादा कीमत के हीरे पकड़े गये, क्योंकि यह विश्वास करने के लिए कारण था कि ये चोरी-छिपे लाये गये थे।

(ग) मालूम नहीं।

(घ) लगभग २५,९५० रुपये।

रामकृष्णपुरम में क्वार्टर

†२०५९. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में 'ई' टाइप के क्वार्टरों की कुल सख्या क्या है;

(ख) उनमें से अभी तक कितने दे दिये गये हैं;

(ग) क्या वे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के स्तर के अनुसार हैं; और

(घ) क्या उनका निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की देख-रेख में हुआ था ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) ११९६।

(ख) सभी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां ।

(घ) जी हां ।

पी० एल० ४८० के अधीन रुपयों की आय

†२०६०. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के साथ पी० एल० ४८० करारों के अधीन आज तक प्राप्त होने वाली रुपयों की कुल आय क्या है ; और

(ख) इसमें से कितना अमरीकी सरकार द्वारा उपयोग के लिये दे दिया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) ३१ मार्च, १९६३ तक ७२८.९६ करोड़ रुपय की कुल राशि प्राप्त हुई ।

(ख) उपर्युक्त में से अमरीकी सरकार के उपयोग के लिये अनुपाततः उपलब्ध राशि, करारों की शर्तों के अनुसार, १६०.३७ करोड़ रुपये है जिसमें कूले संशोधन के अन्तर्गत भारत-अमरीकी फर्मों को ऋण देने के लिये ५६.२९ करोड़ रुपये से नीचे नीचे की एक राशि सम्मिलित है ।

दिल का दौरा

२०६१. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा मेडिकल कालेज के एक प्राध्यापक ने दिल के दौरे से मरने वाले व्यक्ति को पुनः जीवित करने के लिये किसी औषधि का आविष्कार किया है ; और

(ख) क्या इसकी जांच कराई गई है और यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) दिल के दौरे से मरने वाले व्यक्तियों को पुनः जीवित करने के लिये किसी औषधि का आविष्कार हुआ है, भारत सरकार को एसी कोई जानकारी नहीं है । उच्च दाब आक्सीजन से एक कुत्ते को--जिसकी हृदय-गति वायु के अन्तः शिरा इन्जेक्शन द्वारा बन्द कर दी गई थी--पुनः जीवित करने के कुछ प्रयोग भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के ध्यान में लाये गये । दिल और फफड़ों (श्वसन) की गति बन्द हो जाने के बाद उनको पुनः गतिशील करना कुछ और है और तथाकथित "दिल के दौरे" से मरने वालों को पुनर्जीवित करना कुछ और । पहले प्रकार की अवस्थायें एनोक्सिया के परिणामस्वरूप होती है और प्रोफसर का अभिप्राय उन्हें उच्च दाब के अन्तः शिरा इन्जेक्शन से ठीक करना होता है । "दिल के दौरे" में स्वयं दिल पर ही मायोकार्डियम के अधिकतर भाग में रक्त संचार बन्द होने के कारण एनोक्सिया का प्रभाव पड़ता है । क्या प्रोफसर ने इसी प्रकार के प्रयोग पशुओं में प्रायोगिक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उत्पन्न करके भी किये हैं--इस बारे में निश्चित जानकारी नहीं है ।

(ख) सरकार को इस प्रकार के किसी दूसरे प्रयास की कोई जानकारी नहीं है कि ऐसे पशु पुनः जीवित किये गये जिनमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उत्पन्न किया गया हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में आवास योजनायें

†२०६२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में मध्यम तथा निम्न आय वर्ग आवास योजनाओं के अधीन पंजाब राज्य को अब तक दिये गये ऋण की राशि क्या है ; और

(ख) अब तक बनाये गये मकानों की संख्या क्या है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) तीसरी योजना अवधि में मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अधीन पंजाब सरकार द्वारा अब तक ली गई कुल राशि ९० लाख रुपये है । निम्न आय वर्ग आवास योजना के अधीन उन्होंने १९६१–६२ में ७.०२ लाख रुपये लिये । १९६२–६३ के लिये उन्हें तीन योजनाओं के लिय, अर्थात् निम्न आय वर्ग आवास योजना, राज सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना तथा ग्राम आवास परियोजना योजना, केन्द्रीय सहायता के रूप में ३२.४० लाख रुपये की एकमुश्त राशि स्वीकृत की गई थी। इस राशि का योजना-वार वितरण राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने निम्न आय वर्ग आवास योजना के लिये जीवन बीमा निगम से १३ लाख रुपये की एक राशि ली है।

(ख) पजाब में निम्न आय वर्ग आवास तथा मध्यम आय वर्ग आवास योजनाओं के अधीन अब तक बनाये गये मकानों की सख्या निम्नलिखित है :—

निम्न आय वर्ग आवास योजना (३० जून, १९६२ तक)	१५,७८४
मध्यम आय वर्ग आवास योजना (३० सितम्बर, १९६२ तक)	९४३

राज्यों को दी गई निष्क्रान्त भूमि

†२०६३. **श्री दलजीत सिंह :**
श्री कपूर सिंह :
श्री गुलशन :
श्री बूटा सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१, १९६२ और १९६३ के दौरान राज्यों को (राज्य-वार) अब तक दी गई निष्क्रांत भूमि कितने एकड़ है ; और

(ख) किस दर पर यह भूमि दी गई है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रख गया । देखिये संख्या एल० टी० ११६५/६३]**

राष्ट्रीय रक्षा कोष

†२०६४. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय रक्षा कोष में अब तक कुल कितना धन इकट्ठा किया जा चुका है तथा कब तक धन इकट्ठा किया जाता रहेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या केन्द्र द्वारा अथवा स्वयं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किये गय हैं ; और

(ख) आवर्ती दोनों की राशि क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १३ अप्रैल, १९६३ तक ५२.०९ करोड़ रुपये तथा २०·९४ लाख ग्राम सोना । आशा है कि संकटकाल की अवधि में धन इकट्ठा किया जाता रहेगा ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) आवर्ती दानों के पृथक आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं ।

दफ्तरों तथा निवास के लिये स्थान

†२०६५. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देहली तथा नई देहली से विभिन्न सरकारी कार्यालयों के बाहर भेज दिये जाने से निकट भविष्य में कितनी दफ्तरी जगह के खाली हो जाने की संभावना है ; और

(ख) इसी तरह से रहने की कितनी जगह के खाली हो जाने की संभावना है ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) लगभग १·५० से २ लाख वर्ग फुट तक (अनुमानतः) ।

(ख) इस बारे में अभी कोई प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है ।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये देहली में कालकाजी कालोनी

†२०६६. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये, जो कि देहली में लाभप्रद नौकरियों में लगे हुये हैं, कालकाजी कालोनी के संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है ;

(ख) देहली में ऐसे विस्थापित व्यक्तियों के बारे में सरकार का अनुमान क्या है ;

(ग) भूमि के बांटे जाने के लिये प्रस्तावित कसौटी कौन सी है ;

(घ) क्या भूमि के प्लाट एक ही आकार के होंग तथा यदि नहीं, तो क्यों नहीं ; और

(ङ) विकास के बाद भूमि की प्रति वर्ग गज अनुमानित लागत क्या होगी ?

†**निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) भूमि को समतल किया जा रहा है तथा अन्य विकास कार्यों के आरम्भ किये जाने के लिये प्रारम्भिक कार्यवाही तैयार है ।

(ख) ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ग) मुख्य कसौटियां ये हैं कि विस्थापित व्यक्ति पहले ही देहली में बस चुका हो, लाभ प्रद नौकरी में हो, तथा उसका अपना मकान न हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) विभिन्न आय वर्गों से संबंध रखने वाले विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये २००, ४०० तथा ८०० वर्ग गज के प्लाट विकसित किये जायेंगे।

(ङ) विकास हो जाने के बाद ही आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।

आसाम में ग्रामीण विद्युतीकरण

†२०६७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम में ग्रामीण विद्युतीकरण की एक योजना स्वीकार की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के बारे में राज्य सरकार की प्रमुख मांगे क्या हैं ; और

(ग) उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा कहां तक पूरा किया गया है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां। तीसरी पचवर्षीय योजना में अनुमानतः २५·५० लाख रुपये की लागत की ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें आसाम में क्रियान्वित किये जाने के लिये स्वीकार की गई हैं।

(ख) और (ग). राज्य सरकार ने अपनी १९६३–६४ की वार्षिक योजना के लिये जो ९.१८ लाख रुपये के व्यय का जो प्रस्ताव रखा था, उसके विरुद्ध योजना आयोग ने २·१८ लाख रुपये के उपबन्ध की सिफारिश की है।

राज्य सरकार ने १९६१–६२ में १२.६ लाख रुपये तथा १९६२–६३ में लगभग १० लाख रुपये के व्यय की सूचना दी थी। १९६१–६२ में राज्य सरकार को कोई ऋण नहीं दिया गया था। १९६२–६३ में ४ लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया गया था।

केरल में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†२०६८. **श्री प० कुन्हन** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने १९६२–६३ में केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिये कोई बाढ़ नियंत्रण योजनायें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ;

(ग) इस सिलसिले में राज्य सरकार ने जो वित्तीय सहायता मांगी है उसका स्वरूप और सीमा क्या है ; और

(घ) अब तक दी गई सहायता का स्वरूप और सीमा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) और (ख). हां, केरल सरकार ने १९६२–६३ में दो बाढ़ नियंत्रण योजनायें भेजी थीं, अर्थात् (१) लगभग २·१३ लाख रुपये की लागत पर पोल्लूर में भरतफुजा में बाढ़ विरोधी तटों का निर्माण और (२) लगभग ५.१२ लाख रुपये की लागत पर इल्लीक्कल में एक रेगुलेटर का निर्माण।

(ग) राज्य सरकार ने १९६२–६३ में बाढ़ नियंत्रण तथा सागरीय अपरदन[1]-विरोधी कामों पर व्यय करने के लिये ११२.५५ लाख रुपये का एक ऋण मांगा था। यह सहायता बाढ़

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sea erosion.

नियंत्रण तथा सागरीय अपरदन-विरोधी समस्त कार्यक्रम के लिये मांगी गई थी न कि उपर्युक्त दो योजनाओं के लिये ही।

(घ) १९६२–६३ में स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण तथा सागरीय अपरदन-विरोधी योजनाओं पर होने वाले व्यय को वित्तपोषित करने के लिये ८० लाख रुपये का एक ऋण दिया गया था।

कोठार बांध

२०६९. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २८ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १८६२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोठार बांध के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) उसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). कोठार बांध का निर्माण अभी आरम्भ नहीं हुआ है। इस समय योजना अनुसन्धानाधीन है। हो सकता है कि इस जांच को पूर्ण करने के लिए लगभग दो वर्ष लग जाएं।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

†२०७०. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के ऐसे गांवों की संख्या क्या है जिनका तीसरी योजना अवधि के दौरान दिसम्बर १९६२ तक विद्युतीकरण कर दिया गया है ; और

(ख) तीसरी योजना अवधि के अन्त तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है ?

†**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) और (ख). जानकारी राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायगी।

आन्ध्र प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र

†२०७१. **श्री इ० मधुसूदन राव :**
श्री द० ब० राजू :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में परिवार नियोजन कार्यक्रम से अब तक लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या क्या है ;

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६२ को ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में परिवार नियोजन एककों की संख्या क्या थी ; और

(ग) तीसरी योजना अवधि के अन्त तक ऐसे कितने एकक खोले जाने वाले हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या बताना संभव नहीं है जिन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम से लाभ उठाया है क्योंकि गर्भ-निरोधक वस्तुयें खुले बाजार से मिल जाती हैं और वे लोग भी जो औषधालयों या केन्द्रों में नहीं जाते इस कार्यक्रम से लाभ उठाते हैं। अनुमान है कि कई लाख लोगों ने इस कार्यक्रम से लाभ उठाया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ३१ दिसम्बर, १९६२ को ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में परिवार नियोजन एककों की संख्या क्रमशः २१३ और ६४ बताई जाती है ।

(ग) तीसरी योजना के अन्त तक ग्रामों में ४०० और शहरों में २०० ऐसे एकक खोले जायगे ।

उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र

२०७२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी जिला (उत्तर प्रदेश) के करवत गांव में पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक चिकित्सा का जो केन्द्र चालू है उसे केन्द्रीय सरकार ने सहायता देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस केन्द्र की स्थापना तिथि, संचालन प्रणाली व अब तक की प्रगति पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उस केन्द्र को किन कार्यों के लिये किन शर्तों पर सहायता देने का निश्चय किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) यह संस्था २० अक्तूबर, १९५७ को काशी में स्थापित हुई थी और एक मई १९५९ को सोसाइटी पंजीयन अधिनियम १८६० के अधीन इसका पंजीयन हुआ । यह संस्था हाईड्रोपैथी सोलेरोपैथी, योगासन आदि जैसे प्राकृतिक चिकित्सा साधनों से रोगियों का उपचार करती है । बतलाया गया है कि इसके बहरिंग विभाग में मासिक उपस्थिति औसतन लगभग २५० है ।

(ग) रक्तक्षीणता के रोगियों के उपचार के बारे में अनुसन्धान करने के लिये भारत सरकार ने १००० रुपये प्रतिवर्ष, प्रति शैय्या के हिसाब से दो अनुसन्धान शैय्याओं की व्यवस्था के लिये २००० रुपये का अनुदान दिया है । संस्था को उपचार किये गये रोगियों, उपचार-साधनों तथा इस अनुदान से खरीदे गये उपकरणों का समुचित लेखा रखना पड़ता है ।

परिवार नियोजन

२०७३. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेगी कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन के आपरेशन कराने वाले आदमी या औरत को कुछ रुपये दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में १९६२ में कितने आदमियों तथा औरतों को कितने-कितने रुपये दिये गये ; और

(ग) तीसरी योजनावधि में इस प्रयोजन के लिये कितने रुपये खर्च करने की व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) बन्ध्यकरण आपरेशन के लिये स्वयं को प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को कुछ राज्य सरकारें तथा दिल्ली नगर निगम १० से ३० रुपये तक देती हैं । भारत सरकार आपरेशन किये गये व्यक्तियों को कोई वित्तीय अनुदान नहीं देती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) बतलाया गया है कि दिल्ली में दिल्ली नगर निगम ने १९६२ में इस कार्य के लिये पुरुषों और महिलाओं को क्रमशः ५३४० रुपये और ४२५० रुपये दिये हैं ।

(ग) बन्ध्यकरण आपरेशन कराने वाले व्यक्तियों को रुपया देने के लिये तीसरी योजना अवधि में भारत सरकार ने कोई राशि निर्धारित नहीं की है । तीसरी योजना में इस प्रकार रुपये देने की कोई व्यवस्था नहीं है ।

विश्व स्वास्थ्य दिवस

†२०७४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संघ के प्राक्कलन के अनुसार लगभग दस करोड़ बच्चे मिताहार से पीड़ित हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत से सम्बन्धित प्राक्कलन क्या है ;

(ग) क्या विश्व स्वास्थ्य संघ ने भारत में इस विषय पर विश्व स्वास्थ्य दिवस संगठित किया था ; और

(घ) यदि हां, तो उस दिन के समारोह की मुख्य बातें क्या थीं और भारत सरकार ने इस कार्यक्रम में कैसे भाग लिया था ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) हां ।

(ख) विश्व स्वास्थ्य संघ के पास भारत के लिये कोई अलग प्राक्कलन नहीं है ।

(ग) विश्व स्वास्थ्य संघ इस प्रकार से विश्व स्वास्थ्य दिवस नहीं मनाता परन्तु सदस्य देशों द्वारा इस दिन के आयोजित करने और मनाये जाने में साथ देता है ।

(घ) समारोह की मुख्य बातें ये थीं :

(१) स्वास्थ्य मंत्री द्वारा रेडियो-भाषण ।

(२) सभाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन ।

(३) 'भूख : लाखों की बीमारी' विषय पर प्रकाश डालने वाले झण्डों का प्रमुख स्थानों पर लगाना ।

(४) इस विषय से सम्बन्धित इश्तहारों तथा पुस्तिकाओं का वितरण ।

(५) समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में लेखों का प्रकाशन ।

(६) आकाशवाणी द्वारा प्रचार ।

(७) अनुपयोगी भोजन के विनाश के लिये दृढ़ आन्दोलन ।

(८) सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी इन्हीं तरीकों से विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की प्रार्थना की गई थी तथा उन्होंने किस प्रकार 'दिवस' मनाया यह दर्शाने वाले अपने अपने प्रतिवेदन भेजने के लिये कहा गया था । प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चिकित्सा छात्र

†२०७५. **श्री रा० बरुआ** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अधिक छात्रों को मेडिकल कालेजों में दाखिल होने पर उत्साहित करने के लिये कोई विशिष्ट उपबन्ध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर)** : (क) और (ख). मेडिकल कालेजों में दाखिले के लिये अभ्यावेदन करने वाले छात्रों की संख्या मेडिकल कालेजों में उपलब्ध सीटों की संख्या से बहुत अधिक है। इसलिये मेडिकल कालेजों में प्रवेश पाने के लिये छात्रों को प्रोत्साहन देना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड

२०७६. **श्री रामेश्वरानन्द** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड ने किन-किन राज्यों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की सुरक्षा के लिये सुझाव दिये हैं ; और

(ख) प्रत्येक राज्य ने इस संबंध में क्या पग उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अलगेशन): (क) तथा (ख). केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड बाढ़ों और बाढ़ नियन्त्रण उपायों के सम्बन्ध में विचार करता है और साधारण नियम तथा नीतियां बनाता है। इस बोर्ड के सुझावों को सम्बद्ध राज्य अपने बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम बनाने तथा निष्पन्न करने में प्रयोग में लाते हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

आंध्र तट के पास अज्ञात जहाजों का देखा जाना

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर)** : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"आंध्र तट के पास अज्ञात जहाजों का देखा जाना, जिन में से एक पर चीनी नाम लिखा था"

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण)** : १४/१५ अप्रैल, १९६३ की रात को एक भारतीय वाणिक पोत ने जो कलकत्ता जा रहा था, को एक जहाज़ नज़र आया जो मछली पकड़ने वाला जहाज़ मालूम होता था। इस जहाज़ ने जलपुष्प के सिगनल का उत्तर नहीं दिया, जिस पर जलपुष्प ने जांच के लिए उस ओर जाने का रुख कर दिया। इस का नाम चुंग-सुरांग संख्या १६ पढ़ा गया था। जब जलपुष्प इस की ओर बढ़ा, तो वह तेज़ी से ओझल हो गया। तीन और सहायक जहाज़—जो एक एक मील की दूरी पर थे—भी देखे गये थे। वे भी भाग गये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

इस के बाद जलपुष्प अपने मार्ग पर कलकत्ते की ओर चलता रहा और अपने स्वामियों को विशाखापटनम के द्वारा बम्बई में संदेश भेजा। उन्होंने बम्बई में नौसेना अधिकारियों को सूचित किया और यह संदेश नौसेना मुख्यालय में १५ अप्रैल का शाम को पहुंचा।

दो नौसेना के विमान उसी शाम उस क्षेत्र की जांच के लिए निकले। भारतीय विमान बल के विमानों को भी सूचना दी गई थी और उन्होंने १६ को प्रातः उस क्षेत्र पर उड़ान की। उन्हें केवल एक जापानी वाणिक पोत नज़र आया।

यह सम्भव नहीं है कि जलपुष्प ने कौन से देश का जहाज देखा था।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री भारतीय जल सीमा में शत्रु के जहाजों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने की व्यवस्था से संतुष्ट हैं; यदि नहीं, तो वे क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : यह कहना कठिन है कि यह शत्रु का था, क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमा में था। दूसरे पता लगाने की व्यवस्था की आगे जांच की जायेगी। यह सच है कि नौसेना मुख्यालय को जानकारी देर से मिली।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या मैं जान सकता हूं कि यह जगह हमारे क्षेत्र से कितनी दूर थी, और इस तरह के वेसेल्स क्या पहले भी कभी देखे गये हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : यह विशाखापटनम से ३० मील दक्षिण-पूर्व में था।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : क्या हमारी विमान बल और नौसेना को हमारी समुद्री सीमा पर नज़र रखने के लिए सचेत रहने को कहा गया है, यदि नहीं, तो क्या यह सरकार के इस विचार के अनुकूल है कि चीन भारत पर फिर आक्रमण नहीं करेगा, जैसा कि प्रधान मंत्री ने न्यूयार्क टाइम्स के संवाददाता को कहा है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह निस्संदेह सत्य है कि हम अपने समुद्र तट पर चीन द्वारा आक्रमण की आशा नहीं करते।

†**श्री कृष्णपाल सिंह** (जलेसर) : क्या हमारे विमान बल द्वारा या नौसेना जहाज़ों द्वारा समुद्र तट पर गश्त करने की कोई व्यवस्था है ?

†**श्री यशवन्तराव चह्वाण** : अभी तक ऐसी गश्त आवश्यक नहीं समझी गई। यदि ऐसी स्थिति पैदा हुई तो ऐसे जहाज़ों का पता लगाने और उन का पीछा करने के तरीके निकाले जा रहे हैं।

अमेरिका और ब्रिटेन को प्रतिरक्षा शिष्टमंडल

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) : मैं आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

> "भारत की प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के बारे में अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार द्वारा भेजा गया उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिरक्षा शिष्टमंडल"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: १४ अप्रैल, १९६३ को आर्थिक और प्रतिरक्षा मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में पदाधिकारियों का एक दल वाशिंगटन के लिए रवाना हुआ। उस में सेना और विमान बल के प्रतिनिधि भी थे और कुछ दिन अमेरिका में और फिर ब्रिटेन में गुजारेंगे। दल के कुछ सदस्य शायद केनेडा भी जाये। इन दौरों का उद्देश्य यह है कि उन देशों की सरकारों के साथ प्रतिरक्षा सामान के संभरण के मामले में उन के शिष्टमंडलों के साथ की गई बातचीत को बढ़ाया जाये।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या यह शिष्टमंडल सब प्रकार के हथियारों, जिन में आणविक हथियार भी हैं, को लेने के लिए बातचीत करेगा ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : निर्देश प्रतिरक्षा मंत्रालय ने दिया है और यह काफी व्यापक है। हम आणविक हथियारों के बारे में नहीं सोच रहे हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विनियोग लेखे और आपात्कालीन जोखिम बीमा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत निम्नलिखित रिपोर्टों की एक-एक प्रति :—

(क) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), १९६३

(ख) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), १९६३

(ग) राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९६३

(२) विनियोग लेखे (असैनिक), १९६१–६२ की एक प्रति।

(३) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) आपात्कालीन जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ५ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८८५ में प्रकाशित आपात्कालीन जोखिम (माल) बीमा (संशोधन) योजना, १९६३।

(ख) आपात्कालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत, दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८८६ में प्रकाशित आपात्कालीन जोखिम (कारखाने) बीमा (संशोधन) योजना, १९६३।

(ग) आपात्कालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा २० के अन्तर्गत, दिनांक ३० मार्च, १९६३ की एस० ओ० संख्या ८८७।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) आपात्कालीन जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक ३० मार्च, १९६३ की एस० ओ० संख्या ८८८।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये क्रमशः संख्या एल० टी० ११५४/६३ से एल० टी० ११६१/६३]

प्राक्कलन समिति

इकत्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग)—भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति मद्रास के बारे में प्राक्कलन समिति के एक-सौ-बत्तीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का इकत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सदस्य द्वारा वक्तव्य

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : आपकी अनुमति से मैं निम्न वक्तव्य देना चाहता हूं। गृह मंत्रालय की मांगों पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए, श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक बंगाली पुस्तिका का उल्लेख किया था और जो कुछ उन्होंने कहा था उस से यह धारणा पैदा होती थी कि साम्यवादी दल या उसके कुछ सदस्य इस के प्रकाशन के लिए उत्तरदायी हैं। हम ने इस का सबूत मांगा था। इस के बाद गृह मंत्री ने हमारे गुट के तीन सदस्यों से भेंट की। अब हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री ने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया कि पुस्तिका साम्यवादी दल या इसके किन्हीं सदस्यों द्वारा लिखी या प्रकाशित की गई है। इसलिए हम संतुष्ट नहीं हो सके।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: कुछ दिन हुए मैंने श्री गोपालन, श्री कार और श्री इन्द्रजीत गुप्त से इस प्रश्न पर चर्चा की थी। इस के बाद मैं ने समझा था कि मामला बन्द कर दिया जायेगा। मुझे आश्चर्य है कि इसे फिर उठाया गया है।

यह अब अच्छी तरह ज्ञात है कि भारत के साम्यवादी दल में चीन के आक्रमण के बारे में मतभेद था। राष्ट्रीय परिषद् ने जो अधिकृत नीति अपनाई थी, मैं ने उसकी १ अप्रैल को सदन में सराहना की थी। किन्तु तथ्य यह है कि दल के बहुत से सदस्य उस अधिकृत नीति से भिन्न विचार रखते हैं और दल के नेतृत्व के अनुशासन को नहीं मानते। ये उन प्रकाशनों से प्रकट होता है, जो चीनियों के पक्ष में है और दल के हल्कों में परिचालित किये जा रहे हैं।

उदाहरणतया श्री आर० परम दत्त का एक लेख, जो मेकमोहन रेखा की आलोचना करता है, ब्रिटेन के 'लेबर मंथली' में प्रकाशित हुआ था। पश्चिम बंगाल में परिचालित था। एक और पुस्तिका 'दा इन्एविटेबल नेसासिस आफ़ ए राइट विंग सोशलिस्ट' जिस में प्रधान मंत्री की आलोचना थी, उन्हीं हल्कों में परिचालित थी। इस तरह के अन्य पत्र भी हैं, जिन पर मुद्रक या प्रकाशकों के नाम नहीं हैं और जो चोरी छिपे

---

†मूल अंग्रेजी में

परिचालित किये जा रहे हैं। जिस प्रकाशन का मैंने १ अप्रैल को उल्लेख किया था, वह हावड़ा, कलकत्ता और नादिया जिलों में पाया गया था।

अपने भाषण में मैंने कहा था कि मैं साम्यवादी दल के माननीय सदस्यों या उन लोगों पर जिन्होंने उसकी अधिकृत नीति स्वीकार कर ली थी, कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। मैं केवल इतना कह रहा था कि उसके कुछ सदस्य अब भी राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियां कर रहे है। मैंने कुछ उद्धरण दिये थे। उस पुस्तिका में से मैं कुछ और उद्धरण देता हूं :

"संकटकाल का नाम लेकर लोगों पर अधिक अधिक कर लगाये जा रहे हैं और उनको अनेक तरह से परेशान किया जा रहा है, परन्तु धनी लोगों के लाभ और शोषण बढ़ते जा रहे हैं। यह चीन के विरुद्ध युद्ध नहीं, जनता के विरुद्ध युद्ध है। दूसरा यह है :

"क्या चीन पागल हो गया है जो दूसरों के देश पर आक्रमण कर रहा है ? यदि ऐसी बात है तो उसने युद्ध बन्द क्यों किया और सीधी बात की पेशकश क्यों की जिसे भारत सरकार ने ठुकरा दिया।"

मैं सदन से पूछना चाहूंगा कि क्या इस प्रकार के विचार साम्यवादी दल के चीन समर्थक सदस्यों के अलावा और किसके हो सकते हैं।

साम्यवादी दल के मित्रों ने कहा है कि यह पुस्तिका किसी और चरम पन्थी दल का हो सकता है। किन्तु पश्चिमी बंगाल के अन्य चरम पन्थी दल, चाहे उनके कुछ विचार हों, इस बात पर सहमत हैं कि चीन ने आक्रमण किया है और देश को उस आक्रमण का मुकाबला करना चाहिये यद्यपि उस पर लेखक, मुद्रक और प्रकाशक का नाम नहीं है, किन्तु इसमें दिये गये तर्क उस लेख के तर्क से मिलते जुलते हैं, जो फरवरी, १९६३ के मार्कसिस्ट रिवियु में छपा है।

वास्तव में, दल के प्रमुख नेताओं ने माना है कि दल में ऐसे व्यक्ति हैं, जो अधिकृत नीति को नहीं मानते। मैंने अपने भाषण में कहा था कि मेरा उद्देश्य चीन समर्थक गुट की ओर था और सारे साम्यवादी दल की ओर नहीं। साम्यवादी दल अभी तक वाम पक्षी तत्वों पर पूरा नियंत्रण नहीं कर सका। तो वह उसकी ओर से कैसे बोल सकता है ?

माननीय सदस्यों ने, जो मुझे मिले थे कहा है कि वह पुस्तिका साम्यवादी दल के किसी सदस्य ने प्रकाशित नहीं की। मैं उनकी बात मानना चाहूंगा किन्तु इन परिस्थितियों में सदन मेरी कठिनाइयों को अनुभव करेगा।

†**श्री अ० क० गोपालन** : जब हम उनसे मिले थे, तो हमने समझा था कि वे हमारी बात को मान रहे हैं, किन्तु अब उन्होंने ऐसा नहीं कहा। दूसरे उन्होंने आरोप को सिद्ध करने की बजाय, बहुत सी असंगत बातें कहीं है। कांग्रस में भी दो दल हैं, दक्षिण पन्थी और वाम पन्थी। यदि उन में से कोई पुस्तिका छापे, तो यह कैसे कहा जा सकता है किस पक्ष ने इसे प्रकाशित किया है। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि वे यह सिद्ध नहीं कर सके कि यह साम्यवादी दल के किसी सदस्य ने निकाला है। मैं यह कहूंगा कि इन पुस्तिकाओं का साम्यवादी दल से कोई संबंध नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : दोनों पक्ष अब सदन के सामने हैं। माननीय सदस्य अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे विश्वास हो गया था कि इस पुस्तिका को साम्यवादी दल के किसी सदस्य ने प्रकाशित नहीं किया।

---

†*मूल अंग्रेजी में*

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

मैंने यह कहा था कि मैं उन की बात मानने के लिए तैयार हूं यदि वे यह कहें कि इसे साम्यवादी दल या उसकी वामपन्थी शाखा ने प्रकाशित नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा था कि वे इस मामले को लोक-सभा में नहीं उठायेंगे किन्तु बाद में उन्होंने अध्यक्ष को लिख दिया।

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

वित्त विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन वित्त विधेयक पर चर्चा आरम्भ करेगा।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

आय व्ययक और विधेयक में दिये गये वित्तीय प्रस्ताव विदेशी आक्रमण की पृष्ठ-भूमि में बनाये गये हैं, जिससे हमारे ऊपर देश की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने और इसकी अर्थव्यवस्था को विकसित करने का भार आ पड़ा है। इसलिए यह अनिवार्य है कि इस वर्ष के वित्तीय प्रस्तावों के कुछ असाधारण पहलू हों, क्योंकि वित्तीय संसाधन इकट्ठा करने के लिए कुछ असाधारण तरीके अपनाये गये हैं।

वित्त विधेयक बहुत समय से सभा के समक्ष है इस बीच माननीय सदस्यों को उन प्रस्तावों की आलोचना करने तथा अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिला। विधेयक के प्रस्तावों पर कई प्रकार के मत व्यक्त किये गये। विशेषतः क्योंकि इस वर्ष कुछ असाधारण प्रस्ताव रख गये थे। तथापि मुझ इस बात की प्रसन्नता है कि वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के प्रस्तावों को सभा की पूर्ण सहमति प्राप्त हुई है। तथा वित्त के विशिष्ट प्रस्तावों के सम्बन्ध में सभा में सहमति है।

मैं ने सभा तथा लोक सभा के बाहर भी व्यक्त किये गये सुझावों पर सावधानी से विचार किया है। प्रश्न को सभी पहलुओं से विचार करने के उपरांत मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कुछ रियायतें की जानी चाहियें। उन रियायतों को अमल में लाने के लिये आवश्यक संशोधन सभा में पेश किये जायेंगे। मैं उन संशोधनों को सभा में संक्षेप में रखना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहिला संशोधन जो आय कर के संबंध में है। यह व्यवस्था वित्त विधेयक के खंड६ में की गयी है जिसके अधीन कम्पनी द्वारा व्यक्तिगत कर्मचारियों के वेतनों पर किये गये व्यय पर यदि वह ५,००० रु० मासिक से अधिक होगा। तो उस राशि को आय कर लगाने के लिये नहीं घटाया जायेगा। रियायतों के अधीन, अधिक दी गयी राशि को इस उपबंध से हटा दिया जायेगा। इसके लिये यह संशोधन रखा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो भारतीय नागरिक होंगे उनका पारिश्रमिक इस सीमा से अधिक होने पर यह रियायत नहीं दी जायेगी।

दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन आय कर पर अधिभार से संबंध रखता है, वर्तमान उपबंधों के अधीन यह अधिभार रजिस्टर्ड कम्पनियों की समस्त आय पर लगने वाले आय कर का २० प्रतिशत होती है। उक्त उपबंध में इस प्रकार का संशोधन किया गया है कि रजिस्टर्ड फर्मों द्वारा किये जाने वाले वाणिज्य के अलावा अन्य स्त्रोंतों से होने वाली आय में १० प्रतिशत आय कर लिया जायेगा।

वित्त विधेयक के खंड ३ में एक स्पष्टीकरण संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है यह अतिरिक्त अधिभार के संबंध में है, इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि आय कर अधिनियम के अधीन, अतिरिक्त अधिभार से केवल उन्हें ही रियायत मिलेगी। जहां पिछले समय का बकाया वेतन मिला हो या किसी निवासी कर दाता की विदेश में हुई आय पर कर लगाया गया हो।

अगला संशोधन खंड २ के उपखंड ५ पर किया गया है जिसके अधीन यदि कोई निर्माता अपने माल को किसी निर्यातकर्ता को बेचेगा तो उसे भी छूट प्राप्त होगी। तथापि निर्माता को कर की छूट तभी प्राप्त होगी जब कि दूसरे पक्ष ने उन वस्तुओं का निर्यात उसी वर्ष में किया हो जब कि निर्माता से उसे वह सामान बेचा था। उद्देश्य यह है कि केवल विलम्ब के कारण निर्माता छूट से वंचित न रहे अतः उसमें से वे शब्द हटा दिये गये हैं जिसमें पहिले वर्ष के दौरान वस्तुओं के निर्यात का उल्लेख है। अन्य सभी संशोधन शब्दावली के संबंध में है।

आय कर पर अतिरिक्त अधिभा रपर प्रस्तावित उपकर इस आधार पर हटा दिया गया था कि कई सदस्यों ने सभा में उसकी इस आधार पर आलोचना की थी कि इससे छोटे कर दाताओं पर को बहुत भार पड़ेगा। तथापि इस अधिभार पर इस दृष्टि से विचार करना होगा कि देश की प्रतिरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए काफी प्रयत्न करना है। इसके लिये जितनी राशि की आवश्यकता है वह थोड़े से व्यक्तियों से प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः लोगों के दे सकने की क्षमता को ध्यान में रखते हुये हमें उनसे भी प्राप्त करना होगा। यह ज्ञात हुआ है कि कम आय वर्ग वाले अपनी आय के अनुपात में बहुत कम कर देते हैं। ५,००० रु० वार्षिक आय तक के लोग अभी केवल ४२ रु० कर दे रहे हैं यह कुल आय का ८ प्रतिशत है अब अधिभार के रूप में उन्हें जो राशि देनी होगी वह केवल ४ प्रतिशत होगी जिसका ३% बचत के रूप में होगी। अतिरिक्तभार केवल १ प्रतिशत और होगा। अतः इसे बहुत नहीं कहा जा सकता है।

अधिक आय वालों पर अतिरिक्त अधिभार क्रमबद्ध दर पर लगेगा और यह अवशेष आय पर ४ से १० प्रतिशत तक होगा। ६,००० रु० की अवशिष्ट आय तक अनिवार्य बचत करने पर ३ प्रतिशत की कमी की जा सकती है जबकि इसके ऊपर यह कमी केवल २ प्रतिशत है। यह स्मरण रखना चाहिये कि अधिक आय वालों को ८० प्रतिशत तक आय कर व अधि आय कर देना होता है।

सीमा शुल्कों की बहुत कम आय हुई है। मिट्टी तेल को भी जोड़कर सीमा शुल्क से कुल अतिरिक्त आय ८० करोड़ रुपये होगी। सीमा शुल्क के बारे में जो आलोचनायें की गयी हैं मैं उनका उत्तर देना चाहता हूं।

[श्री मोरार जी देसाई]

श्री कृष्ण मेनन ने पूंजीगत माल पर आयात कर की इस दृष्टि से आलोचना की है कि अधिक पूंजीगत माल सरकारी क्षेत्र के लिये ही आयेगा और इससे उत्पादित वस्तुओं की कीमतों में कमी होने की संभावना भी है।

अभी हाल हमारे मशीन निर्माण उद्योग की पर्याप्त वृद्धि हुई है, हम देश में इस उद्योग की वृद्धि करना चाहते हैं। सरकार सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहती है ।

पूंजीगत माल के आयात पर अधिक शुल्क लगाने से विदेशों पर हमारे निर्यात व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं होगा ।

निर्यात शुल्क पर सदैव गौर किया जाता है तथा समय समय पर उसमें आवश्यक परिवर्तन किये जाते हैं। २३ वस्तुओं में से १७ पर बिल्कुल भी शुल्क नहीं लिया जाता है।

आयात शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के संबंध में कई योजनाओं द्वारा छूट दी जाती है। ऐसी योजनायें कई वर्षों से चल रही हैं। ३१ मार्च, १९६३ में ऐसी योजनाओं की संख्या १७६ है। इन योजनाओं के अलावा ऐसी भी व्यवस्था की गयी है कि बिना शुल्क के भुगतान के भी वस्तुओं का उत्पादन पुनः आयात करने के लिये हो सके। ऐसी १८ योजनायें चल रही हैं।

इन रियायतों के अलावा इस बात का भी प्रयत्न किया गया है कि भारत से बाहर किये गये निर्यात से प्राप्त होने वाले लाभ पर आय कर और अधिलाभ कर में रियायत की जाये। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के सामान के निर्माताओं को उनके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा निर्यात किये जाने वाले माल पर करों से रियायत देने की व्यवस्था की गयी है।

सीमा शुल्क के बारे में मैं केवल एक संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका राजस्व पर कोई असर नहीं होगा। यह खंड २२ से संबंध रखता है। इसमें यह उपबंध किया गया है कि प्रति शुल्क का हिसाब लगाते समय दिये गये बुनियादी सीमा शुल्क को भी कर देय आय में शामिल किया जाये।

केन्द्रीय शुल्क के संबंध में सब से अधिक आपत्ति मिट्टी तेल पर शुल्क के बारे में की गयी। वस्तुतः इस संबंध में अधिकतम रियायत की जा चुकी है। इस संबंध में और अधिक रियायत करना संभव नहीं है ।

यह भी कहा गया है कि तम्बाकू पर कर अधिक लगाया गया है। वस्तुतः हुक्के और खाये जाने वाले तम्बाकू पर कर कम नहीं है।

इसमें दिसम्बर, १९५७ तक १.१० रु० प्रति किलो का अन्तर था, यह अन्तर बढ़ कर १.५४ रु० किलो हो गया था. अब यह कर घट कर १.१६ प्रति किलो है। सिगरेटों पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सामान्य किस्म के सिगरेटों पर १० सिगरेटों में २ न० पैसे से ५ न० पैसे शुल्क बढेगा। मैं यह बता देना चाहता हूं कि सिगरैट दैनिक आवश्यकताओं के अन्दर नहीं आती है। तथा उन्हें सभी कहीं भोग का साधन माना जाता है।

कई सदस्यों ने यह पूछा है कि बनस्पति अखाद्य तेलों पर १० करोड़ की छूट क्यों दी गयी है। जनता पर लगाये गये अन्य करों पर विचार करते हुये इस शुल्क से छूट दी गयी। गरीब व्यक्तियों को चिकनाई यही से प्राप्त होती है। इसी से इसे छूट दी गयी है। बनस्पतिक पदार्थ तथा साबुन

और रंगों में शुल्क की दरों में वृद्धि होने से यह अनुमान लगाया गया कि वह शुल्क जो उनके निर्माण के समय लगाया जाता वह उनके तैयार होने के उपरांत लगाया जा रहा है। इस प्रकार वास्तविक घाटे में ४.५ करोड़ की कमी हो जायेगी।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : माननीय मंत्री ने कुछ संशोधनों की पूर्वसूचना दी है। हम उन पर कुछ संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं। तथापि हमारे लिये ऐसे करना संभव नहीं है। कई ऐसी बातें हैं जिनके लिये राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। हम तत्काल राष्ट्रपति की अनुमति नहीं प्राप्त कर सकते हैं अतः इसका कुछ उपचार किया जाना चाहिये ।

हम एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहते थे तथापि यह कहा गया कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिये राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। यदि मैं एक संशोधन पूछ कर रियायत का अनुरोध करूं तो क्या स्थिति होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस संबंध में शुल्क की घोषणा बहुत पहिले ही की जा चुकी थी। केवल छूट की घोषणा परसों ही की गयी अतः माननीय सदस्य पहिले ही अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकते थे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं एक संशोधन प्रस्तुत कर चुका हूं। यदि मैं संशोधन का संशोधन प्रस्तुत करना चाहूं तो क्या स्थिति होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात का निर्णय मैं संशोधन के आने पर करूंगा। भला अनुमान से मैं इस प्रश्न का निपटारा कैसे कर सकता हूं ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : वित्त मंत्री ने करों में जो रियायतें दी हैं उनके लिये हम उनके आभारी हैं। मिट्टी तेल और अनिवार्य बचत के संबंध में रियायतें करने से लोगों की मुसीबतें कुछ कम हुई हैं ।

तथापि वित्त मंत्री जनता की आशाओं के अनुपात में बहुत पीछे रहे हैं। मिट्टी तेल तथा अनिवार्य बचत के संबंध में जो रियायतें दी गयी हैं उनसे जनता का भार नाममात्र को ही हल्का हुआ है।

अतः मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वे विलम्ब होने पर भी इस संबंध में रियायतों की घोषणा करने की कृपा करें। वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित स्वर्ण नीति का सुनारों पर बहुत बुरा प्रभाव हुआ है। फलस्वरूप कई दर्जन सुनारों को आत्महत्या करनी पड़ी है। केन्द्र द्वारा तथा अन्य राज्य द्वारा आरोपित किये गये शुल्कों का यह परिणाम हुआ है कि जनता की दशा सुनारों की तरह ही दयनीय हो गयी है ।

मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि कुछ व्यापक नीतियों के बारे में हम एक हैं। वह यह कि देश की वित्तीय तथा आर्थिक नीतियों का यह आधार होना चाहिये कि उनसे राष्ट्र की प्रतिरक्षा सुदृढ़ बने तथा हमारी योजनाओं की पूर्ति हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री० अ० क० गोपालन]

प्रधान मंत्री ने बार बार यह कहा है कि भारत-चीन विवाद का फैसला युद्ध द्वारा नहीं हो सकता है उन्होंने कहा है कि वार्ता तथा मध्यस्थता के द्वारा सम्मानपूर्ण हल निकाला जाना चाहिये। सच्ची कूटनीति तटस्थता पर आधारित है। यदि हम किसी एक गुट के साथ गठबंधन कर लेंगे तो हम सैनिक दृष्टि से दुर्बल हो जायेंगे।

पाकिस्तान के साथ १६ वर्षों के संघर्ष और चीन के साथ ४ वर्षों के संघर्ष से हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि हमारी कूटनीति को सेना का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। यही कारण है कि सरकार ने प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि कर दी है तथा प्रतिरक्षा से संबंधित उत्पादन बढ़ा दिया हैं। हम प्रतिरक्षा संबंधी इन प्रयत्नों की सराहना करते हैं तथा साथ ही साथ पाकिस्तान तथा चीन के साथ भी वार्ता की नीति का समर्थन करते हैं।

निसन्देह हमें तत्काल इन युद्धास्त्रों की कीमत चुकानी है तथा प्रतिरक्षा उद्योग को खड़ा करना है अतः हम पर वित्तीय एवं आर्थिक भार पड़ेगा।

तथापि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि योजना के १२ वर्ष बीतने पर भी हमारी आशायें पूरी नहीं हुई हैं। मैं इस संबंध में आंकड़े प्रस्तुत करता हूं।

पिछले वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में केवल ३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि हमने २५ वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करने का लक्ष्य रखा था। इसके विपरीत करों का भार पिछले १२ वर्षों में दुगुना हो गया है।

जहां तक बेकारी का प्रश्न है, १९५० में रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों में ३,३०,७४३ व्यक्तियों के नाम दर्ज थे जो दिसम्बर, १९६२ में बढ़ कर २३,७९,५३० हो गये अर्थात् बेकारी में सात गुनी वृद्धि हुई। यह स्मरण रखना चाहिये कि इन रोजगार दफ्तरों में थोड़े से शहरी लोग ही अपने नाम दर्ज करवाते हैं तथा अधिकांश ग्रामीण लोग अपने नाम दर्ज नहीं करवाते हैं। दूसरी योजना के अन्त में अनुमानतः १ करोड़ व्यक्ति बिल्कुल बेकार हैं। यदि प्रगति की रफ्तार यही रही तो देश में करोड़ों व्यक्ति बेकार हो जायेंगे। इस भयावह प्रश्न पर बहुत कम व्यक्तियों का ध्यान गया है।

आयों और जीवन स्तरों में अन्तर को कम करना योजना का ध्येय था, परन्तु यह अन्तर बढ़ गया है। आत्महत्याओं की संख्या भी बढ़ गई है। अब वित्त विधेयक में जो कर आदि लगाये जा रहे हैं, उनके अतिरिक्त राज्य सरकारों के करों में भी वृद्धि है। अनिवार्य लैवी भी लगाई जा रही है। क्या लोग इतना बोझ बर्दाश्त कर सकेंगे?

नए करों से १५ से २० प्रतिशत कीमतें बढ़ गई हैं। इससे कुछ लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

तम्बाकू पर अतिरिक्त शुल्क लगने से केरल में ६००० घटिया तम्बाकू की काश्त करने वाले लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वे भूखे मरेंगे।

राज्य सरकारों के बजटों में भी काफी वृद्धि हुई है। इस से लोगों के निर्वाह परिव्यय में वृद्धि होगी। किसानों पर, विशेष कर बोझ पड़ेगा। गरीब लोगों का जीवन स्तर गिरेगा।

अनिवार्य बचत योजना से गरीबों पर काफी बोझ पड़ेगा।

सरकार ने संसाधनों के सम्बन्ध में पक्षपात रहित रवैया नहीं अपनाया है। जब से पहली योजना बनी है हम यह सुझाव देते हैं कि गरीबों को निचोड़ने की बजाय बड़े जमींदारों और अमीर लोगों के पास जो दौलत है वह लेनी चाहिये।

लोगों पर से बोझ हटाने के लिए सरकार को दो कदम उठाने चाहियें। एक तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करना है। तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। इस से सरकार को बहुत लाभ होंगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भी सरकार को बहुत लाभ होगा जिसे वे प्रतिरक्षा उद्योगों और विकास कार्यों में लगा सकेंगे।

गैर-सरकारी एकाधिकारी जो आयात और निर्यात व्यापार को काबू किये हुए हैं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्रों में छाये हुए हैं। वे काफी अवैधानिक ल मों को छुपा लेते हैं। सोने का तस्कर व्यापार विदेशी व्यापार भी एकाधिकार के कारण पूरे जोरों पर है। यहाँ भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

देशीय व्यापार की महत्वपूर्ण लाइनों पर भी राष्ट्रीयकरण कुछ हद तक लागू होता है। खाद्यान्नों के थोक व्यापार को भी सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। इस से सरकार की कुछ आर्थिक समस्याओं का हल हो जायगा।

सरकार का एकाधिकारियों को रक्षा देने का दृढ़ निश्चय सरकार के पास उस धन के आने में रुकावट है जो धन एकाधिकारियों के पास जा रहा है। इसी कारण गरीबों पर अधिक कर लगाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रशासन पर बहुत व्यय होता है जिसे कम किया जा सकता है।

खादी आयोग, सामाजिक कल्याण मण्डल (सोशल वैलफेयर बोर्ड) आदि संस्थाओं की आवश्यकता नहीं। उनका काम सरकारी विभाग कर सकते हैं। मद्य निषेध की नीति को समाप्त करना चाहिये।

यदि सरकार इस प्रकार कदम उठाती तो हम बड़ी योजनाएं बना सकते और हमारी विकास की गति भी तेज होती।

इन नीतियों के न मानने के कारण सरकार इतने स्वर्णकारों की आत्महत्याओं के लिए उत्तरदायी है। इन करों का लाखों गरीब लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस की ओर भी वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिये। अनिवार्य बचत योजना का जाल भी बहुत बड़ा है। यह कई लोगों की जिन्दगी और भी दुःखमय बनाएगी।

धनी लोगों से, जो करों का अपवंचन करते हैं अधिक से धन लेना चाहिये। जिनके पास सोना बहुत एकत्रित हो रहा है उन से सोना निकलवाना चाहिये।

इस विधेयक के पास हो जाने के बाद गरीबों पर बोझ बढ़ने से सरकार को उन के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : वित्त मंत्री ने मिट्टी के तेल पर छट दे कर बहुत अच्छा काम किया है। कुछ राज्यों के साथ सरकार का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

जबकि अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों को १३ या १५ या २० लाख की अनुदानें दी गईं, मध्यप्रदेश

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

के विश्वविद्यालयों को ६६,००० या ५६,००० की अनुदानें दी गई हैं। यहाँ तक डाक विभाग के सर्किलों का सम्बन्ध है, मध्य प्रदेश यद्यपि सब से बड़ा राज्य है, परन्तु वहाँ पोस्टल सर्किल नहीं है। केरल और गुजरात जैसे छोटे राज्यों में है। सड़कें बनाने और परिवहन के विकास के लिए क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश को कम अनुदान मिली।

औद्योगिक वित्त निगम ने भी मध्य प्रदेश को बहुत कम राशि दी। उसके मुकाबले में महाराष्ट्र, गुजरात को अधिक धन मंजूर किया गया। प्राक्कलन समिति ने भी इसकी ओर ध्यान दिलाया है। १९४८ में सरकार ने निगम को निदेश दिया था कि इसे कम विकसित क्षेत्रों को उनके विकास में सहायता देनी चाहिये। औद्योगिक वित्त निगम ने इस सम्बन्ध में दिए गए निदेशों का पालन नहीं किया है। सरकार को प्राक्कलन समिति की सिफारिशों पर विचार करना चाहिए।

देश इस समय आपातकाल स्थिति में से गुजर रहा है। हमें सरकारी प्रशासन पर व्यय कम करना चाहिये। प्रत्येक श्रेणी के अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है। इसे कम करने के लिये कदम उठाने चाहियें।

अफीम विभाग के कर्मचारियों की हालत बहुत खराब है। उनकी हालत में सुधार किया जाना चाहिये। इस विभाग के प्रशासन की ओर सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिये।

मध्य प्रदेश क्षेत्र में देहली, पंजाब और विदेशी तस्कर व्यापार करते हैं। मनों अफीम पकड़ी जाती है। कई ग्राम हैं यहाँ के लोग बहुत अमीर हैं। सरकार को इस ओर जागरूक होना चाहिये।

बेरोज़गारी बढ़ रही है। ग्रामों में बेरोजगारी अधिक है। अतः लोगों का निर्वाह बहुत कठिन हो गया है। इसके साथ-साथ स्वर्ण नियंत्रण आदेश से लाखों स्वर्णकारों का रोजगार जाता रहा है। आपातकाल स्थिति का अनुचित लाभ उठाया गया है।

हमारे कुछ रीति रिवाज रहे हैं। उनके अनुसार लोग सोने का प्रयोग करते हैं। अब उन्हें मजबूर करना कि स्वर्ण के आभूषणों का प्रयोग न किया जाय उनकी स्वतंत्रता छीनना है।

स्वर्णकारों के मामले पर सरकार को सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिये। उनको अपना काम करने देना चाहिये।

बजाए इसके सोने के गुण को कम किया जाय, किसी व्यक्ति विशेष के पास इतना सोना होना चाहिए इसके सम्बन्ध में सीमा निर्धारित की जानी चाहिये।

कई लोग कर का अपवंचन अपराधों द्वारा करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए तरीके निकालने चाहिएं।

चोर बाजारी से कर अपवंचन भी किया जाता है। फिर निर्वाचन के समय कांग्रेस या अन्य दल को रुपया दे देते हैं। किसी कम्पनी को भी किसी दल को धन देने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए।

आयकर विभाग में भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिये। इस सम्बन्ध में लिखी गई पुस्तकों को मंत्री महोदय को पढ़ना चाहिये।

तम्बाकू के लाइसेंस देने की प्रणाली उतनी ही आसान होनी चाहिए जितनी कि अफीम विभाग में। तभी सरकार को उस से आमदनी हो सकती है। तम्बाकू की फसलों पर कर का निर्धारण नहीं होना चाहिए, परन्तु उत्पादन को ध्यान में रख कर कर का निर्धारण होना चाहिये।

†**श्री बाकर अली मिर्जा** (वारंगल) : जो करों में राहत दी गई है उसके लिए देश वित्त मंत्री का धन्यवादी है।

चीन के अतिक्रमण और पाकिस्तान की हरकतों के कारण प्रतिरक्षा का काफी बोझ पड़ा है। दूसरे देश का विकास भी करना है। इसी कारण वित्त मंत्री को इतने कर लगाने पड़े। सभी लोग इन करों का बोझ उठाने के लिए तैयार हैं।

स्वाधीनता के बाद हमारी सीमा की लम्बाई बढ़ गई है। इसलिये प्रतिरक्षा की समस्या बढ़ गई है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिये सम्भव नहीं कि अंशधारियों को प्रतिकर देना पड़ेगा।

मद्यनिषेध की नीति को रद्द करने से गरीबों पर ही प्रभाव पड़ेगा। उन का रुपया सरकार के पास आयेगा।

हथियारों को मंगवाने के सम्बन्ध में श्री गोपालन ने राष्ट्रीय स्वायत्तता का प्रश्न उठाया है, क्योंकि अमरीका अपने हथियारों के परीक्षण का अधिकार रखना चाहता है। यह तो उनके देश का कानून है। हमें तो हथियारों की सहायता चाहिये।

हमें रूस और पश्चिमी देशों दोनों से सहायता लेनी चाहिये। यह नीति बहुत अच्छी है।

चीन के भारत पर आक्रमण से पाकिस्तान को भी खतरा है। भारत के मैदानों में यदि चीनी आ जायें तो पाकिस्तान पर भी वे हमला करेंगे। यदि अयूब यह समझता है कि चीन से पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं क्योंकि उसने चीन से सीमा का समझौता कर लिया है तो यह उसकी ना-समझी है।

पाकिस्तान की सारी नीति भारत का विरोध करने की है। उसने यह नीति वहाँ के लोगों का ध्यान आर्थिक समस्याओं की ओर से हटाने के लिए अपनाई है।

पाकिस्तान ने जानबूझ कर बातचीत चलते हुए चीन के साथ सीमा के सम्बन्ध में समझौता किया है। इसके बारे में हमें प्रचार करना चाहिये।

हमारे प्रचार की व्यवस्था बहुत ढीली है। बरट्रांड रसल ने अपनी पुस्तक 'अनआर्म्ड विक्टरी' में चीन का कुछ पक्ष किया है। हमारे दूत क्या करते हैं। क्या उन्होंने कभी कोई प्रेस सम्मेलन किए हैं।

हमें काश्मीर की समस्या के समाधान में ऐसा हल नहीं निकालना चाहिये जिससे भारत की धर्मनिर्पेक्षता पर आँच आए।

काश्मीर की घाटी का विभाजन बिल्कुल नहीं होना चाहिये। यह भी उतनी ही पवित्र जगह है जितनी अकसाई चिन।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कमल नयन बजाज** (वर्धा) : एकपक्षीय युद्ध-विराम के पश्चात् भी आपात जारी है और हमारे देश को खतरा कम नहीं हुआ है । प्रस्तुत आयव्ययक इसी खतरे को दृष्टि में रख कर तैयार किया गया है अतः मैं इसका समर्थन करता हूं ।

देश पर बने संकट की दृष्टि से लोग अधिक कर देने में हिचकिचायेंगे नहीं । मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि वित्त मंत्री ने प्रशासन में फिजूलखर्ची कम करने और मितव्ययिता लाने सम्बन्धी कदम उठाये हैं । परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि जनता को भी इन बातों का ज्ञान कराया जाय ताकि वह अधिक करों के लिये शिकायत न करे ।

देश के विकास के लिये हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है । इसलिये निजी क्षेत्र के विकास के लिये भी पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए । या तो हम निजी क्षेत्र को समाप्त करें या यदि हम ने मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की नीति को अपनाया है तो निजी क्षेत्र के विकास के लिये उपयुक्त वातावरण उत्पन्न करना चाहिए ।

वित्त मंत्री ने आयव्ययक प्रस्तावों में कुछ रियायतें दी हैं । यद्यपि वह रियायतें बहुत कम हैं फिर भी उनसे प्रशासनिक और राजस्व एकत्रित करने सम्बन्धी बहुत सी कठिनाइयों को दूर कर दिया है । वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि यदि इन करों से देश के विकास में बाधा पड़ी तो वह स्वयं उनको वापिस लेने के लिये आगे आयेंगे । इस से देश में विश्वास का वातावरण उत्पन्न हुआ है ।

अधिलाभ कर में बैंकिंग संस्थाओं के साथ साथ व्यापार करने वाले समवायों को भी रियायत दी जानी चाहिए थी । औद्योगिक विकास भी व्यापार संस्थाओं पर निर्भर करता है । वास्तव में विकास अवहार, अवक्षयण और अन्य निधियों के कारण औद्योगिक संस्थाओं में विकास होना आसान है । यदि इन व्यापार संस्थाओं का विकास नहीं किया जायेगा और विकास के लिये इन्हें बचत नहीं करने दी जायेगी तो प्रगति में बाधा पड़ेगी ।

आयव्ययक प्रस्तावों पर हमें तीन दृष्टियों से देखना है : क्या इन से मूल्य स्थिर बने रह सकेंगे, क्या इन से मुद्रा स्फीति कम होगी, और क्या देश में इन से समुचित विकास हो सकेगा ? मैं समझता हूं कि अभिलाभ कर से उत्पादन मांग के अनुसार नहीं बढ़ सकेगा । और यदि उत्पादन मांग के अनुसार न बढ़ा तो मूल्यों के स्तर को बनाये रखना कठिन होगा । वास्तव में यह साधारण लाभ पर ही अतिरिक्त कर है । इस से निश्चय ही देश की प्रगति में बाधा पड़ेगी । जब तक औद्योगिक विकास काफी मात्रा में नहीं बढ़ेगा तब तक विकास भी नहीं हो सकता और राजस्व में भी वृद्धि नहीं हो सकती ।

साम्य अंशों पर लाभांश ६ प्रतिशत तक निर्धारित किया गया है । साम्य अंश अधिक जोखिम वाले होते हैं । नकद ऋणों पर भी बैंक ६ प्रतिशत से ९ प्रतिशत तक ले रहे हैं । देश में ब्याज की दर के इतना ऊंचा होते हुए साम्य अंशों के लाभांश की सीमा ६ प्रतिशत निर्धारित करना देश के विकास की दृष्टि से अनुचित और अलाभदायक सिद्ध होगा ।

प्रतिरक्षा बांडों के लिये व्यापार और औद्योगिक समुदाय पर प्रभाव डाल कर और बलपूर्वक धन प्राप्त किया जाता है । व्यापारियों के पास नकद पैसा नहीं होता । उन्हें अपने व्यापार पर भी उधार ले कर धन लगाना पड़ता है । अतः यहां धन जो औद्योगिक विकास पर लगाया जा सकता है प्रतिरक्षा बांडों के लिये ले लिया जाता है । व्यापारियों को सुझाव दिया जाता है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

वह इन बांडों को कम दर पर बैंकों को बेच कर धन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह कहा जाता है कि व्यापारी अधिक बांड खरीद रहे हैं। वास्तव में उन्हें बैंकों की सहायता लेनी पड़ती है। अतः ऐसा करना देश के हित की दृष्टि से अनुचित है। स्वयं मुझ पर और मेरे साथी पर भी बांड खरीदने के लिये प्रभाव डालने का प्रयत्न किया गया परन्तु मैंने झुकने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।

उद्योगपतियों को रक्षा कोष में दान देने में क्या कठिनाइयां आती हैं इसकी चर्चा करने का मेरा विचार नहीं था परन्तु सभा में चूंकि यह प्रश्न उठाया गया इसलिये मैं वह कठिनाइयां आप के सम्मुख रखूंगा। इसमें सन्देह नहीं कि गरीब लोगों ने काफी दान दिया जिसके परिणाम-स्वरूप देश में उचित वातावरण भी उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उन्होंने काफी सराहनीय काम किया। परन्तु उद्योगपति को २,०००, ५,००० अथवा १०,००० व्यक्तियों को वेतन देने होते हैं और साथ ही साथ उन्हें अपने व्यापार को भी चलाना होता है। उद्योग आदि में विकास की दृष्टि से धन बचाना भी होता है। एक गरीब व्यक्ति के ऊपर केवल अपने परिवार का बोझा होता है परन्तु एक उद्योगपति के ऊपर सारे उद्योग का बोझा होता है। मैं उद्योगपतियों की ओर से न तो स्पष्टीकरण दे रहा हूं और न यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने समुचित दान दिया। परन्तु उद्योगपति के मार्ग में जो कठिनाइयां आती हैं उन की अवहेलना नहीं होनी चाहिए।

बहुत से माननीय सदस्यों ने "नर-भक्षी" शब्दबन्ध का प्रयोग किया। इस प्रकार के नर-भक्षी निसंदेह पाये जाते हैं परन्तु मैं समझता हूं कि यह नर-भक्षियों सम्बन्धी भय निराधार है। इतिहास में हमें व्यक्तिगत स्वार्थ से काम करने वालों के उदाहरण मिलते हैं। स्वार्थ की भावना स्वयं मानव के चरित्र में पाई जाती है। और उसे दूर करने की चेष्टा स्वयं व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। परन्तु मैं समझता हूं कि इस प्रकार नर-भक्षियों की चर्चा कर के देश का वातावरण दूषित किया जाता है। इससे द्वेष और अविश्वास बढ़ता है और सहयोग और मित्रता की भावना कम होती है। अतः ऐसे शब्दबन्धों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

†**श्री अरुणाचलम** (रामनाथपुरम्) : इस समय हम अपने सभी साधन देश की प्रतिरक्षा की दृष्टि से सशक्त बनाने के लिये जुटा रहे हैं। आपात का प्रयोग प्रादेशिक और भाषाई विवादों को समाप्त कर देश में एकता स्थापित करने के लिये करना चाहिए। देश का सम्मान और स्वतंत्रता हमारे लिये सर्वोच्च महत्व का विषय है।

आयव्ययक प्रस्तावों में वित्त मंत्री द्वारा कुछ रियायतें दी गई हैं परन्तु वह बहुत कम हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि गरीबों पर बोझ कम करने के लिये और रियायतें दी जानी चाहिएं। आय पर अधिभार से सरकारी कर्मचारियों और निजी स्थापनाओं के कर्मचारियों पर जो बोझा पड़ेगा उससे उनका जीवन-निर्वाह नहीं हो सकेगा। मध्यम और निम्न आय श्रेणी के लोगों पर इस अधिभार का बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि दूसरी ओर निर्वाह-व्यय भी बढ़ता जा रहा है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में यदि स्थिरता लाई जाती और इन्हें बढ़ने न दिया जाता तो स्थिति में और सुधार हो सकता था।

अधिलाभ कर से नये समवायों और थोड़ी पूंजी वालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मंत्री महोदय ने जो रियायतें इस में दी हैं वह पर्याप्त नहीं हैं।

बर्मा, श्रीलंका, मलाया और इन्डोचाइना, आदि देशों में बहुत से भारतीय काफी समय से रह रहे थे। परन्तु इन देशों में कुछ प्रतिबन्धात्मक विधान बनने से इन लोगों को भारत लौटना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कमल नयन बजाज]

पड़ा। इन में से बहुत से लोग मद्रास के हैं जो अब बेकार हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि छोटे उद्योग स्थापित करने के लिये और अन्य प्रकार से रोजगार प्राप्त करने के लिये इन लोगों को सहायता दी जाये।

मैं रामनाथपुरम् जिले से आता हूं जहां भूमि ज़रखेज़ नहीं है और सिंचाई सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं। इसी कारण वहां के लोग पड़ौसी देशों में कारोबार की खोज में गये थे। स्वतंत्रता-प्राप्ति के १५ वर्ष पश्चात् भी इस क्षेत्र में समुचित विकास नहीं हुआ है। फलतः गरीबी वहां बढ़ रही है। अतः स्थिति में सुधार के लिये वहां छोटे छोटे उद्योग स्थापित किये जाने चाहिएं, कारखाने स्थापित किये जाने चाहिएं ताकि वहां के लोग अन्य क्षेत्रों के साथ प्रगति कर सकें। मान क्षेत्रों का विकास होना चाहिए और सेथु सामुद्रम परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिए।

†श्री कृपाल सिंह (जलेसर): हमारी वर्तमान कर-व्यवस्था बहुत पेचीदा हो रही है। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, स्थानीय कर, पंचायत कर, भू-राजस्व आदि अनेकों प्रकार के कर हैं। मेरा सुझाव है कि इस कर-व्यवस्था को अधिक सीधा-सीदा होना चाहिए ताकि आम व्यक्ति इसे समझ सकें।

औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित देशों में एक तो भारत की तुलना में राष्ट्रीय आय अधिक है और दूसरे कर कम लगाये गये हैं।

कर अपवंचन की तो बहुत चर्चा की जाती है परन्तु कुछ लोगों पर जो मनमाने ढंग से आय कर लगा दिया जाता है उसके लिये कोई उपचार नहीं है। मुकद्दमेबाजी आप को मालूम है कितनी महंगी रहती है। अतः मेरा सुझाव है कि जिन व्यक्तियों पर अनुचित ढंग से अधिक आय कर लगा दिया जाता है उनके लिये कोई अधिक आसान उपाय होना चाहिए।

अप्रत्यक्ष करों का बोझ सीधे गरीब व्यक्ति पर पड़ता है। तम्बाकू पर कर लगा कर आप ने गरीब पर अधिक बोझ डाला है। जब आप इस प्रकार कर बढ़ायेंगे तो स्वभावतः कर अपवंचन की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

डीज़ल तेल पर कर के बढ़ने से कृषकों पर बोझ पड़ा है जो ट्रैक्टर चलाते हैं, और उनके अतिरिक्त जो छोटे-मोटे मोटरगाड़ियां चलाने वाले हैं वह भी इस से प्रभावित हुए हैं।

अधिलाभ कर लगाना राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भी अनुचित है। इससे कुशल प्रबन्धकों पर प्रभाव पड़ेगा। विदेशी धन लगाने वाले भी इस से भयभीत होंगे। इससे देश में पूंजी बढ़ने में बाधा होगी। प्रतिरक्षा विकास के लिये विशेष तौर पर हमें विदेशी धन लगाने वालों की आवश्यकता है और यदि आप करों में वृद्धि करके उन्हें डरा देते हैं तो उद्योगों का विकास नहीं हो सकेगा।

आप की अनिवार्य बचत योजना से उन ग्रामीण लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा जो आगे ही तंगदस्त हैं। भू-राजस्व में उन्हें कुछ रियायत दे कर राहत पहुंचाने की बजाय आप उन पर अनिवार्य बचत का बोझा डाल रहे हैं। इस समय उनकी जोतें अलाभप्रद हैं और उन्हें इन्हीं जोतों पर काफी भू-राजस्व देना पड़ता है और उस के ऊपर आप उन्हें अनिवार्य बचत के लिये कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एक तो आप इन बचतों सम्बन्धी जो लेखे बनायेंगे वही ग्रामीणों को स्वीकार करने होंगे; दूसरे लेखे रखने सम्बन्धी काफी व्यय आयेगा।

†मूल अंग्रेजी में

इन करों को समाप्त करके जो अन्तर होगा उसे असैनिक व्यय को कम करके पूरा किया जा सकता है। हमने असैनिक व्यय को कम करने की बजाय ७३ करोड़ और बढ़ा दिया है। आवश्यकता इस बात की है कि इस व्यय को तुरन्त कम किया जाय। असैनिक व्यय को कम करने के लिये हमें अपने राज्यों में और केन्द्र में मंत्रालयों को कम करना होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। योजना के लिये योजना आयोग है, योजना मन्त्रालय है और फिर सामुदायिक विकास मन्त्रालय है। इसके साथ ही साथ प्रतिरक्षा और आर्थिक समन्वय मन्त्रालय बना दिया गया है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि मन्त्रालयों की संख्या को कम किया जाये। असैनिक व्यय में कमी करने के लिये एक उच्चशक्ति प्राप्त आयोग स्थापित किया जाना चाहिए। दूतावासों की संख्या में भी कमी हो सकती है। कुछ दिन पहले हम ने सुना था कि एक दूतावास के लिये २६ लाख का फर्नीचर खरीदा गया। कीमती मोटर कार भी खरीदी जाती हैं। जबकि हमारे गांवों में लोग साईकल भी नहीं रख सकते आप दूतावासों के लिये कीमती कार उपलब्ध करते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि असैनिक व्यय में काफी कमी हो सकती है।

इसके अतिरिक्त हमारे देश में अमरीका, रूस, इंग्लैण्ड आदि देशों की तुलना में मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक है। इन मंत्रियों पर खर्चा कम करने की बजाय आप कर लगा रहे हैं और जनता का खून चूस रहे हैं। एक गरीब किसान के लिये डाक्टर उपलब्ध नहीं है, विटामिन उपलब्ध नहीं है। इस कदर मजबूर ग्रामीणों से आय कर वसूल करने की आशा करते हैं। वह लाचार हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं। आप कर लगायेंगे तो उन्हें देने पड़ेंगे परन्तु ऐसे लोगों पर कर लगाना अन्याय हैं।

श्री तुलसीदास जाधव (नांदेड़) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है कि उसके लिए हमको पैसा चाहिए और इसलिए यह टैक्सेशन हाउस के सामने रखा गया है। आप देखें कि हमारा खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है। सन् १९५४–५५ में हमारा खर्चा था ७२५ करोड़, सन् १९५५–५६ में ९८३ करोड़, सन् १९५९–६० में १५१६ करोड़, सन् १९६०–६१ में १७१५ करोड़, सन् १९६१–६२ में १८२० करोड़ और सन् १९६३–६४ में होगा १८५२ करोड़। इस तरह से आप देखें कि हमारा खर्चा बराबर बढ़ रहा है। सन् १९६२–६३ में जो ईल्ड हुई वह रुपया सन् १९६३–६४ में खर्च होगा और उसकी राशि १८५२ करोड़ है। इसमें २५६ करोड़ जितनी कमी पड़ती थी, इसलिए इतने नए कर लगाए गए। इस १८५२ करोड़ में से ८६७ करोड़ डिफेंस के लिए है। सन् १९६२–६३ में रक्षा के लिये ३७६ करोड़ जितना खर्च के लिए निकाला था उसकी जगह ५०५ करोड़ खर्चा हुआ। तो आजकल जो देश पर आक्रमण हुआ है उसका खर्चा निकालने के लिए यह टैक्सेशन बिठाया है।

कल हमारे वित्त मन्त्री जी ने कैरोसीन पर कुछ कर कम कर दिया और कुछ दूसरे कर भी कम कर दिए। इसके लिए उनको धन्यवाद। कैरोसीन पर कर लगने से जो गरीब आदमियों को नाराजी थी वह इस टैक्स के कम करने से दूर हो गयी ऐसा मेरा कहना है। उसके लिए धन्यवाद है।

दो तीन बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हम देश में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं और यह उद्देश्य हमने अपने सामने रखा है। किस तरह से यह हो सकता है, इसका उपाय किया जाना चाहिये। लेकिन आजकल जो कुछ हो रहा है, वह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। आजकल कई जगहों पर देखा जाता है कि कारखाने बन्द हो रहे हैं या हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में बेरोजगारी बढ़ गई है। हम चाहते हैं कि हमारे देश का उत्पादन बढ़े। यह ठीक है। उत्पादन अवश्य बढ़ना चाहिये। लेकिन अगर कारखाने बन्द होने की नौबत आती है तो उत्पादन किस तरह से बढ़ सकता है। लोग इस आपत्तिकाल में आपको कर देते हैं और ऐसा करते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते। ऐसी सूरत में हम लोगों का यह धर्म है कि लोगों की हालत ठीक रहे, इसको

[श्री तुलसीदास जाधव]

भी हम देखें। महाराष्ट्र में कौन कौन से कारखाने हैं जो बन्द हो गए हैं, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। कुछ कारखाने हैं जो कि बन्द होने के रास्ते पर हैं, उन कारखानों के बारे में भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिमी महाराष्ट्र, इन तीन एरियाज़ में शोलापुर, बारसी, बड़नेरा, जलगांव, नांदेड़, अकोला, हिंगनघात, धुलिया में जो मिलें हैं, वे बन्द हो गई हैं। इनके अलावा और भी मिलें बन्द हैं। जैसे माडर्न मिल्ज़, नागपुर; नरसिंह गिरजी, शोलापुर; सेकसीरिया, बाम्बे; धनराज मिल, बम्बई; मेहता मिल्ज़, अकोला; प्रताप मिल्ज़, इत्यादि। इन मिलों को महाराष्ट्र सरकार चलाती है। उसके पास इतनी ताकत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि वह और भी उनको चला सके। इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। और जो दूसरी मिलें हैं, जो बन्द हुई हैं और कई होने के रास्ते पर हैं, उनके नाम भी मैं आपको कुछ बतलाना चाहता हूं। ये बन्द न हों, इसका उपाय किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि इनको सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चलाये। ये मिलें हैं, एस० आर० मिल्ज़, अकोला; उसमानशाही मिल्ज़, नांदेड़; दबरार मैनुफैकचरिंग कम्पनी, बडनेरा; बंसीलाल अमर चन्द मिल्ज़, हिंगनघात; राजन मिल्ज़, बारसी; टैक्सटाइल मिल्ज़ धुले। जब मिलें बन्द हो जाती हैं, तो इनसे कई किस्म की कम्पलीकेशन्ज़ पैदा होती हैं। देहात में जो मजदूर बेकार हैं, उनकी हालत बहुत खराब है जो लैंडलैस लेबरर्ज़ होते हैं, जो कि देहातों में रहते हैं, वे भी वहां काम न मिलने से शहरों की तरफ दूसरे लोगों के साथ आना शुरू कर देते हैं जिससे शहरों की इकोनोमी पर बुरा असर पड़ता है, वहां पर जो काम होते हैं, उनमें बाधा पैदा होती है। हमारा उद्देश्य उत्पादन बढ़ाने का है। लेकिन जब मिलें और कारखाने बन्द हो जाते हैं, तो उत्पादन में बाधा पड़ती है। स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए और खास तौर पर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह पांच पांच और छः छः मिलें, जिनमें पांच पांच और छः छः हजार मजदूर काम करते हैं, चलाये। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इण्डस्ट्रियल डिवेलेपमेंट रेग्युलेशन एक्ट है, इसको सुधारा जाना चाहिये। पांच बरस के बजाय दस बरस तक सरकार के तावे मिलें रहनी चाहिये। साथ ही साथ रूल मेकिंग पावर, एप्वाइंटमेंट आफ आथोरिटी टू कण्ट्रोल एण्ड बोर्ड आफ एडवाइजर्ज़ नियुक्त करने का जो अधिकार है वह भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिये। यह चीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रहनी चाहिये। छोटी छोटी बातों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दौड़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिये।

शोलापुर से मैं आया हूं। शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल जो है उसकी दस बारह साल से हालत बहुत खराब हो गई है। वहां पर उस मिल में जहां पहले तेरह हजार वर्कर काम करते थे, अब केवल दो हज़ार वर्कर ही काम करते हैं। उस मिल की बहुत बुरी हालत है। स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने हाथ में लेने को तैयार है। लेकिन यह काम सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिये। आप देखें कि शोलापुर की तीन साढ़े तीन लाख की आबादी है। जैसे किसी आदमी को अर्द्धांग हो जाता है, वैसे ही उस शहर को अर्द्धांग हो गया है। मैं चाहता हूं कि इस शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल को जिस तरह से हो सरकार चलाये।

ट्रक्स के ऊपर आपने जितना टैक्स लगाया है, उससे ट्रक वालों को बड़ी हैरानी और परेशानी हुई है। उन पर आज तक जितना टैक्स लगता है, उससे हर महीने अब एक ट्रक के आपरेशन पर चार सौ रुपये अधिक कर लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कम से कम ४८०० रुपया ज्यादा कर एक ट्रक के लिए उनको साल में देना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट्स जो टैक्स लगाती है, वे अलग से हैं। इन ट्रक वालों की जो फैडरेशन है, उसने माननीय वित्त मंत्री जी को खत दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की है, कि जो उनको इससे दिक्कत पैदा हुई है, इसको वह दूर करें। हमारे प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि ९० परसेंट ट्रांसपोर्ट आपरेटर ऐसे हैं, जो पूअर हैं, जो गरीब हैं, जो एक आध ट्रक लेकर अपना गुजर बशर

करते हैं। मैं वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इस हैरानी को कम करने का कोई न कोई उपाय अवश्य करें।

हम सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं। इस दृष्टि से जो परसनल ओनरशिप है, वह कम होनी चाहिये। इस चीज़ को दृष्टि में रखा जाए तो मालूम होगा कि बैंकों का और बड़े बड़े कारखानों का नेशनलाइज़ेशन करना बड़ा आवश्यक है। आप देखें कि पांच लाख के नीचे जिन ज्वायंट स्टाक कम्पनीज़ का पेड अप कैपीटल है, वह कितना है और एक करोड़ के ऊपर जिनका पेड अप कैपीटल है वे कितनी ज्वायंट स्टाक कम्पनियां हैं। जिनका पेड अप कैपीटल पांच लाख के नीचे है, उन कम्पनियों की तादाद २४,८२३ है और जिनका पेड अप कैपीटल एक करोड़ के ऊपर है, है, उनकी तादाद १२६ है। इन २४,८२३ कपनियों का कुल पेड अप कैपीटल १६१.१ करोड़ है और १२६ जो कम्पनियां हैं जिनका पेड अप कैपीटल १ करोड़ से ऊपर है, उनका कुल पेड अप कैपीटल ३५५.८ करोड़ है। इसका मतलब यह हुआ कि एक करोड़ के ऊपर जिन कम्पनियों का पेड अप कैपीटल है, उनके पास अधिक कैपीटल रहता है और जो छोटे छोटे लोग होते हैं, उनके पास थोड़ा पैसा रहता है और पैसे का सेंट्रलाइज़ेशन भी इसमें अधिक होता है। ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी ही है जिनके पास पैसे का सेंट्रलाइज़ेशन हो गया है। अब आप देखें कि किन फैमिलीज़ के पास कम्पनियों की डायरेक्टरशिप्स हैं.....

श्री मोरारजी देसाई : सब कम्पनियों की बात कर रहे हैं या बैंकों की ही बात कर रहे हैं? क्या आपका मतलब है कि ज्वायंट स्टाक कम्पनीज़ को नेशनलाइज़ किया जाए?

श्री तुलसीदास जाधव : देश में किन लोगों के पास पैसा इकट्ठा हो रहा है, यह मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसके परिणामस्वरूप बेकारी बढ़ती है, मिलें बन्द होती हैं और आम लोगों का काम काज ठीक नहीं चलता है। सरकार की जो यह मिक्स्ड इकोनोमी की पालिसी चल रही है, इसके नुकसान भी कई हालतों में बहुत ज्यादा हो रहा है। किस तरह से कुछ आदमियों के हाथों में पैसा चला जाता है, इसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। सिंघानिया हाउसिस जो हैं, उनके पास १०७ डायरेक्टरशिप्स हैं। डालमिया जैन के पास १०३ की डायरेक्टरशिप्स हैं। रूइया के पास ८० की, बिड़ला के पास ६० की, गोयनका के पास ५५ की, पोद्दार के पास ५५ की, वांगुर के पास ५२ की, जत्ती के पास ५१ की, थापर के पास ३५ की और टाटा के पास २१ की डायरेक्टरशिप्स हैं। सिंघानिया, डालमिया जैन, तथा बिड़ला हाउसिस जो बड़े बड़े हाउसिस हैं, इनमें डायरेक्टरशिप्स उनके ही घर में चलती जाती हैं। मैं चाहता हूं कि इसका डिसेंट्रलाइजेशन हो। यह आज हो नहीं रहा है। इसकी तरफ भी हमारे वित्त मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिये। उनके विचार भी समाजवादी हैं, ऐसा मुझे उनकी दो तीन स्पीचिज़ से मालूम पड़ा है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस ओर भी ध्यान दें।

ऐग्रीकल्चर के बारे में मेरा कहना यह है कि प्लैनिंग ठीक नहीं है। आज देहातों तक प्लैनिंग के पहुंचने की आवश्यकता है। जहां तक मैंने देखा है, पंजाब के अन्दर जरूर थोड़ी प्लैनिंग है गांवों के अन्दर लेकिन और जगहों पर गांवों में कोई प्लैनिंग नहीं है। हम देखते हैं हम को १० टन अनाज चाहिये इसके लिये हम प्लैनिंग जरूर करते हैं लेकिन जो हमारे आंकड़े होते हैं उनको हमें गांवों में जाकर ही इकट्ठे करने चाहियें। ग्राम पंचायतें होती हैं, सोसायटीज होती हैं उनके द्वारा हर जमीन की उपज का पता लगा कर हमको अपने आंकड़े बनाने चाहियें। आज इस तरह की हमारी प्लैनिंग नहीं है बहुत सी जगहों पर। इसका फल यह होता है कि हिन्दुस्तान में प्रति एकड़ जितने अनाज का हिसाब लगाया

[श्री तुलसीदास जाधव]

जाता है उतना होता नहीं है। अगर आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत में राइस और देशों की तुलना में कितना होता है यह हिसाब १०० किलोग्राम पर हेक्टेअर के हिसाब से है :

भारत	१५.२
जापान	४८.६
एशिया	१७.३
यू० ए० आर०	५०.१
यू० एस० ए०	३८.४
फ्रांस	३१.६

जिस प्रकार से राइस का यह हाल है उसी प्रकार से दूसरे जो अनाज हैं उनका भी हाल है। यहां पर इतना फर्टिलाइजर खर्च होता है, इतनी प्लैनिंग की जाती है फिर भी पता नहीं क्यों यहां का उत्पादन नहीं बढ़ता है। इसमें जो खराबियां हों उनका संशोधन करना चाहिये और जो भी कठिनाई इसके रास्ते में हो उसको देख कर दूर करने का इन्तजाम करना चाहिये। खेती का उत्पादन बढ़े, बेकारी कम हो और आजकल जो सम्पत्ति का कंसेट्रेशन हो रहा है वह अधिक से अधिक कम हो, इसका प्रबन्ध सरकार को करना चाहिये।

श्री भी० प्र० यादव (केसरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने मुझे जो समय दिया इस के लिये में आपका आभारी हूं। सदन के सामने आज जिस वित्त विधेयक पर चर्चा चल रही है, मैं रही है, में उसका स्वागत करता हूं। साथ साथ इस वित्त विधेयक के जरिये व्यापक कराधान को व्यापक क्षेत्र में फैलाने के लिये हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो साहसिक तथा व्यावहारिक कदम उठाया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी देश के सभी वर्गों पर समान रूप से है।

जिस पृष्ठ भूमि को ध्यान में रख कर यह वित्त विधेयक तैयार किया गया है यदि उस पृष्ठ-भमि को ध्यान मेंन रख कर हम इस पर विचार कर तो इस विधेयक के प्रति बेइन्साफी कही जायेगी। चीनी आक्रमण से उत्पन्न परिस्थिति ने देशवासियों को अनायास ही यह महसूस करा दिया है कि सब को, चाहे वह जिस तबके के हों, अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शक्ति के मुताबिक त्याग करना ही पड़ेगा। बुनियादी तौर पर हम देखते है कि आजादी की रक्षा देशवासियों के त्याग से ही हो सकती है। इस प्रकार का आशय हमारे प्रधान मंत्री भी बराबर व्यक्त करते आये है कि आजादी की रक्षा किसी भी राशि में बाहर से मांग गये कर्जों से या किसी भी राशि में मंगाये गये शस्त्रों से नहीं की जा सकती। बल्कि आजादी की रक्षा देशवासियों के त्याग की भावना से ही हो सकती है और मैं समझ ता हूं कि इस विधेयक के द्वारा हमारे माननीय वित्त मंत्री ने इसी त्याग की याचना की है।

रक्षा के महत्वपूर्ण कार्य के साथ ही देश की आर्थिक प्रगति के लिये योजनाओं को भी पूर्ण रूप से चलाने का जो फैसला हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय ने किया है वह उन का एक साहसिक कदम है क्योंकि देश के साधनों का जुटाव देश की प्रगति के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। इस लिये केन्द्रीय सरकार की योजनाओं पर १२२६ करोड़ रु० खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। माननीय वित्त मंत्री ने बतलाया है कि सन् १९६३–६४ में करों के वर्तमान आधार पर १५८५.७३ करोड़ रु० के मकाबले १८५२.४० करोड़ रु० के अनुमानित व्यय की व्यवस्था है, जिस के फ ल-

स्वरूप २६६.६७ करोड़ रु० की कमी हो जायेगी। इसके अलावा अभी एक दो रोज पहले हमारे माननीय मंत्री ने करों में कुछ कटौती की घोषणा भी की है जिसके फलस्वरूप करीब करीब १६ करोड़ रु० का घाटा और बढ़ जाता है। इस घाटे की रकम को पूरा करने के लिये हमारे माननीय वित्त मंत्री ने जो वर्तमान कर प्रणाली में वृद्धि या नये करों का बोझ डाला है या कुछ नई योजनायें चलाने का प्रयत्न किया है, वह अनिवार्य है। लेकिन आज इस प्रकार का प्रश्न उठाया जा रहा है कि कोई राष्ट्र करों का कितना बोझ संभाल सकता है क्योंकि आखिर उसकी भी कोई सीमा है। देश के सामने आज जो चुनौती है और उस के सामने जो संकट है अगर हम उसको अलग कर दें तब तो यह ठीक हो सकता है कि इस देश की गरीब जनता के लिये यह एक बहुत बड़ा बोझ है और वह ऐसा बोझ है जिसको जनता संभाव नहीं सकती है, लेकिन करों की यह वृद्धि ऐसे समय में लाई जा रही है जब देश संकट की घड़ियों से गुजर रहा है तथा राष्ट्र अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये संघर्ष कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में देश के लिये लाजिमी हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा त्याग करे, जितना त्याग कर सकता है उतना त्याग करे। जब तक हमारी मनोवृत्ति ऐसी नहीं होगी तब तक इस देश को संकट की घड़ियों में हम अपने देश को सैनिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली नहीं बना सकते।

इस पृष्ठभूमि में मैं अधिलाभ कर के संबंध म भी कुछ कहना चाहता हूं। जहां तक अधिलाभ कर लगा कर घाटे को रकम को पाटने का प्रश्न है, यह टैक्स लगा कर हमारे माननीय वित्त मंत्री ने इस कर प्रणाली को एक प्रगतिशील रूप दे दिया है, क्योंकि जब हम पिछले कई वर्षों की कर प्रणाली की ओर दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं कि देश में अधिकांशतः एक्साइज ड्यूटी में ही क्रमशः वृद्धि की जाती रही है। जिसका भार अन्ततोगत्वा देश के गरीब निवासियों पर ही पड़ता आया है। इस पृष्ठभूमि में अधिलाभ कर का इस सदन के सभी सदस्यों ने, कुछ प्रतिक्रियावादी लोगों को छोड़कर, स्वागत किया है। देश की जनता ने भी इस योजना के औचित्य को समझा है और यह भावना व्यक्त की है कि यह जो टैक्स है वह अनिवार्य है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि देश का यह धनी वर्ग जिनका अखबारों के ऊपर कब्जा है, स्टाक एक्स्चेंजों पर जिनका एकाधिकार है जो मिल मालिक और करोड़पति हैं वे आज इस कर का विरोध करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कल ही हमारे माननीय वित्त मंत्री ने उस में काफी कटौती की घोषणा की है जिस से कि उन को काफी राहत मिल सकती है, फिर भी, जैसा अखबारों से पता चला, उन में इस बारे में काफी निराशा देखने को मिलती है। मैं समझता हूं कि इस तरह की निराशा व्यक्त कर के वे इस देश के निवासियों की भावनाओं के ऊपर कुठाराघात करते हैं क्योंकि इस संकट की घड़ी में जिस तरह से गरीब से गरीब लोग महसूस करते है उस तरह से शायद वे लोग महसूस नहीं करते हैं। यदि वे इस प्रकार से महसूस करते तो शायद उनको इस तरह की निराशा व्यक्त करने का मौका नहीं मिलता। जो छोटे से छोटे किसान हैं अगर उन पर सालाना लगान का ५० फी सदी कर लगता है तो इन लोगों को भी, अगर कुछ बोझ इन पर पड़ता है, उसे बर्दाश्त करना चाहिये। अधिलाभ कर में दी गयी रियायत की पृष्ठभूमि में यदि हम अनिवार्य बचत योजना में दी गयी छूट को देखें तो यह छूट बहुत ही नगण्य है, क्योंकि केवल उन्हीं किसानों को रियायत दी गयी है जो ५ रुपये से कम वार्षिक लगान देते है। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री से बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि देश की एक विशाल आबादी ऐसी है, जिसमें अधिकांश ऐसे छोटे छोटे किसान हैं, जो एक शाम हैं खाते तो दूसरी शाम उन्हें कहां से रोटी मिलेगी यह भी निश्चित नहीं है। जो लगान वह देते हैं वह या तो कर्ज लेकर देते हैं या कहीं मजदूरी करके देते हैं या अपने मवेशियों को बेच कर देते है। ऐसी हालत में मैं माननीय वित्तमंत्री जी से बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि जो छूट उन्हें दी गयी है उसको और बढ़ा दें। क्योंकि उनका छूट देने का जो यह मकसद है कि जो छोटे छोटे गरीब किसान है उसको

[श्री भी० प्र० यादव]

इस छूट से राहत मिले, लेकिन इस छूट से वह मकसद हासिल नहीं होता। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस रकम को कुछ और ज्यादा बढ़ा दें ताकि जो छूट का मकसद है वह पूरा हो सके।

कैरोसीन तेल पर जो हमारे माननीय वित्त मंत्री ने छूट की घोषणा की उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं क्योंकि गरीबों के लिये या मजदूरों के लिये कैरोसीन ही एक मात्र रोशनी का आधार है। में माननीय वित्त मंत्री से यह भी निवेदन करूंगा कि जो छूट दी गयी है वह वास्तव में गांवों तक पहुंच जाये, मुनाफाखोरों की जेबों में न चली जाये इसके लिये वह हर संभव उपाय करें।

जिस प्रकार सरकार का यह अधिकार और कर्त्तव्य है कि वह जनता पर कर लगावे, उसी प्रकार उसका यह भी कर्त्तव्य है कि शासन में ज्यादा से ज्यादा मितव्ययता दिखायी जाये। हमारे माननीय वित्त मंत्री को इसमें काफी सतर्कता से काम लेना चाहिये। मैं उन से यह कहना चाहूंगा कि नान इसेंशियल एक्सपेंडीचर में जहां भी कटौती की गयी है या की जा रही है, उन चीजों को जनता के सामने आना चाहिये ताकि जनता महसूस कर सके कि इस संकट की घड़ी में मितव्ययता दिखाने के लिये काफी प्रयास किया जा रहा है। साथ ही वह यह भी महसूस और भरोसा कर सकें कि हमारी गाढ़ी कमाई का जो पैसा है उसका सही सही सदुपयोग हो रहा है।

इस बिल में करों की वसूली के लिये उद्योगपतियों को इंसेंटिव दिया गया है ताकि सरकार को कर समय पर वसूल हो जायें यह बड़े सन्तोष की बात है। फिर भी मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि टैक्स के रूप में जो करोड़ों रुपया बाकी पड़ा हुआ है उस पर उन्हें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा मुस्तैदी से उसे वसूल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये ताकि उस धन का इस संकट कालीन स्थिति में ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सके।

मेरा तीसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि दामों को बढ़ने से रोकने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जायें और वह कदम ऐसा हो जो गांवों तक पहुंच जाये। यह बात निर्विवाद है कि नये करों की घोषणा के फलस्वरूप चीजों के मूल्यों में काफी वृद्धि हो गयी है, पर सब से ताज्जुब तो इस बात का है कि जिन चीजों पर कर नहीं लगाया गया है उनके भी दाम बढ़ गये हैं। इसलिये सरकार प्रभावशाली कदम उठाये ताकि जो जीवन के लिये आवश्यक चीजें हैं उनके मूल्य न बढ़ सकें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट प्रस्ताव के साथ आर्थिक समीक्षा की जो एक पुस्तिका दी गयी है उसमें यह स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि खेती के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और खान के क्षेत्र में हमने काफी तरक्की की है। जो तरक्की हमने की है वह बड़े सन्तोष की बात है, लेकिन प्रगति की जो रफ्तार है वह काफी धीमी है। इस रफ्तार से चल कर जो हमारा लक्ष्य है कि सन् १९६५–६६ तक हम खेती के उत्पादन में स्वावलम्बी हो जायेंगे, उसमें कम सफलता और आशा नजर आती है। यद्यपि चीनी आक्रमण के बाद खेती को प्राथमिकता दी गयी है लेकिन खेती के उत्पादन में तब तक हम स्वावलम्बी नहीं हो सकेंगे जब तक सरकार लघु सिंचाई जैसी योजनायें, समय पर खाद, उन्नत बीज, सुधरे हुये औजारों तथा ऋण की व्यवस्था की योजनायें कागज से उतर कर छोटे से छोटे किसान तक नहीं पहुंचायी जायेंगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के इस वर्ष तक देश की एक बड़ी आबादी की आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। स्वयं हमारे प्रधान मंत्री ने सोशलिस्ट फोरम के सेमीनार का उद्घाटन करते समय इस विषम आर्थिक स्थिति पर आश्चर्य प्रकट किया था। इसलिये कृषि और उद्योग के क्षेत्र में जब तक उत्पादन में काफी वृद्धि नहीं होती तब तक समाज के आम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता, और जब तक समाज के आम लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक हर बजट में,

वह बड़ा हो या छोटा हो, शांति काल का हो या संकट काल का, आम लोगों के लिये बोझ जैसा ही मालूम होगा ऐसा मेरा विश्वास है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुये यह अनुमान था कि भारी कर लगाये जायेंगे किन्तु फिर भी इन नये कर प्रस्तावों की घोषणा होने के बाद देश भर में हलचल मच गई है। इस का कारण यह है कि इन करों का अधिक भार निर्धन-वर्ग और निम्न-मध्य वर्ग पर ही पड़ेगा।

मुझे बहुत से स्थानों से गुमनाम पत्र मिले हैं। एक पत्र में लिखा है कि इन करों को लगाने के बाद बहुत से वेतन भोगी कर्मचारी अपनी और अपने परिवार की हत्या कर देंगे और इस पाप के लिये वित्त मंत्री ही उत्तरदायी होंगे। इस का अर्थ यह है कि वेतन भोगी व्यक्ति इन करों के लागू होने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। बजट पर हुये बाद-विवाद का उत्तर देते समय मंत्री महोदय के रूख से यह प्रतीत हुआ था कि वह अधिलाभ कर में कुछ फेर बदल करने के अतिरिक्त और कोई राहत देने के लिए तैयारी नहीं है। किन्तु यदि वह इस बात पर भी विचार करते कि इन प्रस्तावों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो वह कुछ अधिक राहत देने की घोषणा कर सकते थे। मिट्टी के तेल और पोस्ट कार्ड आदि छोटी छोटी चीजों पर तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता थी। मिट्टी के तेल के विषय में उन्होंने जो राहत दी है वह पर्याप्त नहीं है। मिट्टी के तेल और पोस्ट कार्ड पर प्रस्तावित लादे कर हटा लिये जाने चाहिये, क्योंकि इनसे अधिकतर सामान्य वर्ग पर ही प्रभाव पड़ता है। इनके स्थान पर वह विदेशी शराब की आयात शुल्क बढ़ा दें।

अनिवार्य बचत के विषय में उन की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। किन्तु किसानों के विषय में ५ रुपये वार्षिक भूराजस्व की सीमा को बढ़ा कर ५० रुपये कर दिया जाये, क्योंकि ५० रुपये वार्षिक लगान देने वाला किसान भी इस स्थिति में नहीं होता कि वह कुछ बचा सके।

वेतन भोगी कर्मचारियों के विषय में भी छूट दे कर उन्होंने अच्छा ही किया है। इससे ऐच्छिक बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐच्छिक बचत हमेशा अनिवार्य बचत से अच्छी ही होती है। इस प्रकार ऐच्छिक बचत बढ़ने से उन की विनिधान-क्षमता में भी वृद्धि होगी।

मैं वित्त मंत्री के इस विचार से भी सहमत हूं कि आय करदाताओं को और अधिक रियायत न दी जाये।

अधिलाभ कर लगाने से निजी क्षेत्र को काफी क्षति होगी, पूंजी लगाने के लिये कोई प्रलोभन नहीं रहेगा और विकास रुक जायेगा। किन्तु फिर भी इससे अत्यधिक लाभांश का वितरण रुक जायेगा। इस दृष्टि से यह लाभकारी उपाय है। जो रियायत दी गई है उससे छोटे उद्यमियों को सहायता मिलेगी। किन्तु रियायत की घोषणा करते समय उन्होंने कहा था कि इस विषय में परम्परागत पद्धति में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। संभवतः बजट के भाषण में उन्होंने जो कुछ कहा उसमें वह परिवर्तन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह परिवर्तन स्थायी रूप से ही किया जाये। केवल आपात काल के लिये ही नहीं। यह कहना ठीक नहीं कि अधिक लाभ होने का अर्थ अधिक कार्य कुशलता और उच्च व्यक्तिगत आय का अर्थ असाधारण योग्यता है। समवाय के कर को समवाय के लाभ से सम्बंधित करने का सिद्धांत बना लिया जाना चाहिये।

†**श्री मोरारका** (झुंझनू) : पहले से ही ऐसा है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : किन्तु इस तरह नहीं जिस तरह अब हमने किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवदी]

किन्तु इन रियायतों के उपरांत भी इन करों का समूचे देश पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पहले से ही मूल्यों में काफी वृद्धि हुई है चाहे उनके पास ऐसे आंकड़े उपलब्ध न हों किन्तु एक व्यावहारिक व्यक्ति के रूप में वित्त मंत्री भी यही अनुभव करते होंगे। मूल्यों को स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिये। दूसरी बात यह है कि प्रतिरक्षा के और देशभक्ति के नाम पर लोग यह भार उठाने के लिये तैयार हो जायेंगे किन्तु उन्हें भी यह ध्यान रखना होगा कि एक-एक पैसे का उचित उपयोग हो। प्रशासन द्वारा भी लोग बलिदान की आशा करते हैं। इसलिए अनुत्पादी योजनाओं में रुपया नहीं लगाना चाहिये। कर प्रस्तावों के साथ ही यदि वित्त मंत्री इस बात की भी घोषणा करते कि प्रशासन-व्यय कम करने के लिये उनकी योजना क्या है तो उन का अधिक स्वागत होता। क्या इस आपातकाल में भी मंत्रियों आदि की संख्या इतनी ही बनी रहेगी ?

[श्री तिरुमलराव पीठासीन हुए]

गृह-कार्य मंत्रालय ने ४ करोड़ रुपये की बचत करने का निश्चय किया है। विभिन्न मंत्रालयों के कर्मचारियों की संख्या में कटौती करके ६७ लाख रुपये की बचत का सुझाव एक संबंधित समिति ने दिया है। व्यय निरन्तर बढ़ रहा है। इस संबंध में कौन-से ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ? कुछ दिनों पूर्व कहा गया था कि चपरासियों आदि की संख्या में कमी की जा रही है। किन्तु इसके लिये समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। अन्यथा व्यय बढ़ता जायेगा। और फिर लोगों से रुपया वसूल किया जायेगा। तब संभव है कि वह ऐसे प्रशासन को रुपये देने के प्रति विरोध प्रकट करें, जो मितव्ययिता न करता हो।

वित्त मंत्री एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हैं किन्तु उनका प्रशासन सुचारू नहीं है। उन्हें इसमें सुधार करने के लिए तुरन्त आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

वित्त मंत्री ने सिराजुद्दीन एण्ड कम्पनी के विषय में अपराधी व्यक्ति को पता लगने पर दण्डित किये जाने की जो घोषणा की थी उसका मैं स्वागत करता हूं। देश में कुछ ऐसे लोग कार्य कर रहे हैं, बड़े व्यापारियों और कथित प्रगतिशील व्यक्तियों में इस प्रकार का गठजोड़ है, कि यह पता ही नहीं चलता कि समाजवाद का यह सिद्धांत हमें किधर ले जा रहा है।

मैं इस विरोध का उल्लेख कुछ गलतफहमियों को दूर करने के लिये कर रहा हूं। २१ फरवरी को इस मामले का उल्लेख करते समय मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, केवल कलकत्ता के समाचार-पत्रों में प्रकाशित उस समाचार का जिक्र किया था जिसमें यह कहा गया था कि कलकत्ता की एक फर्म द्वारा लाखों रुपयों का लेन-देन हुआ है जिसमें कुछ केन्द्रीय और राज्य मंत्री भी सम्मिलित हैं। मैंने प्रधान मंत्री को लिखे अपने पहले ही पत्र में यह स्पष्ट कर दिया था कि मैं केवल विपक्षी होने के कारण ऐसा आरोप नहीं लगा रहा, सर्वसाधारण के ही मन में सरकारी अधिकारियों के प्रति संदेह भरा पड़ा है। इसलिए मैं चाहता था कि इस मामले की सावधानी से जांच हो और लोगों के संदेह को दूर कर दिया जाये। प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कुछ विरोधी दल इसका लाभ उठा कर मंत्रियों पर व्यक्तिगत आरोप करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके बाद वित्त मंत्री ने जो वक्तव्य दिया उसका मैं स्वागत करता हूं। क्या समाजवाद यही है कि कुछ पत्रों को अपने पक्ष में कर के आप अपने निरर्थक विचारों का प्रचार ही करते रहें ?

मैंने अपने पत्रों में श्री मालवीय का उल्लेख नहीं किया। फिर किस प्रकार उनका नाम इस मामले में आ गया ? वह स्वयं इस मामले में आये। उन्होंने स्वयं एक वक्तव्य दिया।

श्री सिराजुद्दीन को गिरफ्तार करते समय उनके यहां से मंत्रियों, केन्द्रीय मंत्रियों के कुछ व्यक्तिगत पत्र प्राप्त हुये हैं। दूसरे मंत्री कौन से हैं, इस विषय में अभी कुछ पता नहीं चला । यह मामला केवल दस हजार रुपये का है अथवा लाखों का, यह बात भी पूरी जांच के बाद ही मालूम होगी । इसलिए मैंने प्रधान मंत्री से इस विषय की न्यायिक जांच करवाने का आग्रह किया था । श्री कृष्णमाचारी ने भी एक वक्तव्य दिया । उन्होंने कुछ नई बातें भी बताई कि एक लाइसेंस आदि देने का प्रस्ताव था; किन्तु साथ ही यह भी कहा कि उस समय श्री मोरारजी देसाई इस विषय से संबंधित थे । इस प्रकार एक-एक करके मंत्रीगण सामने आ रहे हैं ।

श्री मालवीय एक सत्यनिष्ट व्यक्ति ही होंगे । किन्तु वह इस मामले में इतने फंसे हुये मालूम देते हैं कि वह यह कह कर कि एक उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के विषय में १०,००० रुपये लिये हैं, मामले को समाप्त कर देना चाहते हैं । केन्द्रीय गुप्तचर विभाग का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यह राशि लाखों रुपये तक की हो सकती है । किन्तु इस रहस्योद्धाटन से यह सिद्ध हो गया कि यह अनौचित्य का प्रश्न है । मंत्री एक ऐसे फर्म से जो इसके अधीन विषय खनिज का कार्य करता है, एक उम्मीदवार के लिये रुपया मांगते हैं । श्री मालवीय को चाहिये था कि अपना दोष स्वीकार कर लेते । इंग्लैंड की एक घटना है कि एक लड़की एक मंत्री से भेंट के लिये जाने के कारण कोर्ट से अनुपस्थित हुई थी । मंत्री को संसद में अपने आचरण के विषय में स्पष्टीकरण देना पड़ा । इस प्रकार प्रजातंत्र का स्तर ऊंचा रखा जाता है । और यहां सभा में मंत्री महोदय सब को चुनौती देते फिर रहे हैं ।

उन्होंने १९५६ के दिसम्बर में रुपया लिया था । अप्रैल, १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार किसी भी गैर-सरकारी फर्म को मेंगनीज अयस्क का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता; किन्तु जैसा उन्होंने कल स्वीकार किया है १९५७ और १९५८ में एक नया लाइसेंस दिया गया । क्रोम के कारखाने के विषय में भी लाइसेंस दिया गया । क्या इन तथ्यों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि श्री मालवीय निर्दोष हैं ? और श्री सिराजुद्दीन ने खनिज निकालने के सम्बन्ध में एक दो नहीं अपितु ६०–७० आवेदन पत्र दिये थे । यह तथ्य स्वीकार कर लिया गया है । फिर सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

लोग प्रश्न को उलझाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसमें समाजवाद का कोई प्रश्न नहीं । प्रधान मंत्री कुछ कूट समाजवादियों के प्रभाव में आ गये हैं । कल श्री मालवीय ने कहा था कि मैं ने मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात के विषय में वाणिज्य मंत्रालय को किसी का आवेदन पत्र नहीं भेजा । किन्तु यह सच नहीं है । मैं ने श्री मनुभाई शाह से यही प्रश्न पूछा था । उन्होंने कहा कि फर्म की स्थिति संदेहास्पद थी इसलिये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया । फिर श्री मालवीय ने प्रश्न को और उलझाने की कोशिश की । उन्होंने कहा कि मैं ने इस पर अपनी सिफारिश नहीं दी । किन्तु उनके संयुक्त सचिव ने आवेदन पत्र पर लिखा था कि इस पर विचार किया जाये । यह सिफारिश नहीं तो और क्या है ?

†**श्री त्यागी** : मंत्री ने नहीं लिखा ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : किन्तु उन्हें जानना तो चाहिये कि उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मंत्री अपने मंत्रालय की हर बात नहीं जानता । शक्तियां सचिव और संयुक्त सचिव को प्रत्यायोजित की जाती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : किन्तु उन्हें सभा के समक्ष यह स्वीकार कर लेना चाहिये था ।

इसलिये मैं कहूंगा कि इस मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिये और वास्तविक स्थिति सबके सामने लाई जानी चाहिये । तब इन तथाकथित प्रगतिशील और समाजवादी तत्त्वों का भंडा फोड़ हो जायेगा ।

इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये और केवल यह कह कर कि राजनैतिक दल ऐसा कर रहे हैं, इस विषय को समाप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिये । आखिर प्रजातंत्रीय सरकार में विरोधी दलों का कर्तव्य यही होता है कि यदि कहीं भ्रष्टाचार हो तो उसे प्रकट करें ।

†**श्री मोरारका** : उन्होंने माननीय मंत्री पर यह आरोप लगाया था कि उन्होंने सभा को ठीक जानकारी नहीं दी । इसके सबूत में उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री का पत्र पढ़ कर सुनाया । किन्तु उस पत्र से यह सिद्ध नहीं होता कि श्री मालवीय ने वह आवेदन पत्र उन्हें भेजा था अथवा उस पर सिफारिश की थी । फिर वह किस प्रकार ऐसा आरोप लगा सकते हैं ?

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मेरे पास सबूत है, किन्तु उसे तब तक सभा पटल पर नहीं रख सकता जब तक मुझे उसकी अनुमति नहीं मिल जाती जिससे मुझे यह सबूत मिला है ।

श्रीमती गंगा देवी (मोहनलालगंज) : सभापति महोदय, इसके पूर्व कि मैं आज की बहस में भाग लूं, ऐसे संकट के समय में, जब कि एक बाहरी देश ने हमारे देश पर हमला किया है, उस समय की आवश्यकता के अनुसार देश की सभी मांगों को पूरा करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय ने यह वित्त विधेयक पेश कर के जिस बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है, मैं उसकी प्रशंसा किये बग़ैर नहीं रह सकती ।

वैसे तो जब से हमने अपने देश की स्वतंत्रता प्राप्त की है, हमारे देश में बहुत उथलपुथल हुई है, बड़े-बड़े संकट आये हैं और हमारे देशवासियों ने उन सब का बड़ी आसानी से और गम्भीरता से मुकाबला किया है । हमारी सरकार ने, छः सौ के लगभग देशी राज्यों का विलीनीकरण कर के देश में एक बड़ा महान कार्य किया है । इस के साथ ही देश का आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए योजनायें भी बनाई गईं ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

पहली और दूसरी पंच-वर्षीय योजनायें समाप्त हुईं, जिनके द्वारा देश ने काफ़ी उन्नति की है, लेकिन फिर भी हम उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सके, जिसको लेकर हमने पंच-वर्षीय योजनाओं की रचना की थी । यह तीसरी पंच-वर्षीय योजना का समय है । इस में भी सरकार करोड़ों रुपये ख़र्चकर रही है, लेकिन उसका मतलब, उसका अभिप्राय यह नहीं है कि हमने अपने सामने जो नक्शा तैयार किया था, हम उस के अनुसार चल रहे हैं । इस समय यह प्रश्न हमारे सामने आता है, कि हम समाजवाद के लक्ष्य के कौन से अंश को पूरा कर सके हैं और समाजवाद की सीढ़ी पर हम कितने कदम ऊपर आये हैं । हमने यह भी देखना है कि हम ने अपने पिछड़े हुए क्षेत्रों में कितना विकास किया है और अपने देश के उन उजड़े हुए कारीगरों और किसानों को, जिनकी कलायें समाप्त हो चुकी थीं, कितने लोगों को उद्योग-धंधों में लगाया है । इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे देश के वे किसान, जो शहरों के इर्द-गिर्द बसे हुए थे और सैकड़ों सालों से, सदियों से, खेतों को जोतते और बोते चले आ रहे थे, हमारे मास्टर प्लानों और शहरों के

†मूल अंग्रेजी में

एक्सपेंशन से उजड़ गये और देहातों में रहने वाले दूसरे किसान अब चकबन्दी के प्लान से उजड़ रहे हैं। चकबन्दी जैसी स्कीम जिन्होंने बनाई, वह बना कर हमने सरकारी अफ़सरों के हाथों में छोड़ दी। इस बात का हमें बड़ा खेद है कि जो भी प्लान हम तैयार करते हैं देश के उद्धार के लिए और देश की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए उन सबको बना कर सरकारी कर्मचारियों के हाथ में छोड़ दिया जाता है।

हमारे प्रान्तों में यह हालत हो रही है कि सरकारी अफ़सरों ने खेतों को इधर उधर करने में सैकड़ों रुपये बनाये, लेकिन जिन्होंने चकबन्दी की इस योजना को तैयार किया था, उन्होंने निकल कर यह भी नहीं देखा कि हमारे किसानों की क्या हालत हो रही है। जो कोई भी प्लान बनते हैं, वे सरकारी अफ़सरों के हाथों में छोड़ दिये जाते हैं और जनता पर ज़बर्दस्ती थोप दिये जाते हैं और उसका फल भुगतना पड़ता है हम जैसे जन-सम्पर्क रखने वालों को।

इसी प्रकार बजट तैयार कर के करों का ब्यौरा हमारे सामने आता है। सदन के सभी सदस्य उस के ऊपर काफ़ी टीका-टिप्पणी भी करते हैं और अपने सुझाव भी रखते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उसमें कितना संशोधन होता है। देश की आर्थिक अवस्था इन्हीं करों को लगाने के ढंग और इन की वसूली की व्यवस्था पर निर्भर करती है। हमारा देश गरीब नहीं है। इसी देश का एक व्यक्ति करोड़ों रुपयों से खेल रहा है और इसी देश का दूसरा व्यक्ति दाने-दाने और पैसे-पैसे को मोहताज हो रहा है। आश्चर्य तो इस बात का है कि जो व्यक्ति एक तिनका भी उठा कर इधर से उधर नहीं रख सकता है, जो परिश्रम करने का आदी नहीं है, आज वही अमीर है। जो व्यक्ति केवल मेहनतकशों की मेहनत के उत्पादन को इधर से उधर कराने में पैसा पैदा करने में लगा हुआ है, वही आज देश का पूंजीपति है। देश के कारीगरों और कलाकारों के तैयार किये हुए माल का आयात-निर्यात कौन करता है ? उन के कठिन परिश्रम से उत्पन्न माल का विदेशों से व्यापार करने का लाइसेंस भी सरकार इन्हीं इने-गिने व्यक्तियों को देती है, जिस से वे मिनटों में लाखों रुपये पैदा करते हैं। हम समाजवाद की बात तो करते हैं, किन्तु उस मार्ग पर नहीं चलते हैं, न चल सकते हैं। सीधी सच्ची बात यह है कि जो व्यक्ति जिस सामान को तैयार करता है, यदि उसी व्यक्ति को उस का व्यापार करने की इजाज़त मिले, उसी को उसके लिए मार्केट मिले और उसी को विदेशों से व्यापार करने की इजाज़त मिले, तो हम देश की गरीबी को आसानी से दूर कर सकते हैं। जब तक सरकार इस पर नियंत्रण नहीं करेगी तब तक अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वह पट नहीं सकती है।

डेमोक्रेसी या वैलफेयर स्टेट में फ्री कम्पीटीशन होना चाहिये। लेकिन हमारी इस डेमोक्रेसी में यह भी नहीं है। चन्द लोगों ने स्माल स्केल इंडस्ट्रीज़ और हैवी इंडस्ट्रीज़ पर मोनोपली कर ली है। जैसे मैनुफैक्चरिंग आफ कार्ज़ एंड ट्रक्स। इसी की वजह से स्माल कार्ज़ आज तक भी मैनुफैक्चर नहीं हो सकी हैं। और इसी कारण तथा फ्री कम्पीटीशन न होने के कारण प्राइसिस भी दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। इन प्राइसिस के कम होने की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है।

जहां तक करों का सम्बन्ध है नये और पुराने बढ़े हुए कर अधिकतर गरीब जनता से वसूल होते हैं। उनकी आय कुछ भी हो या कतई भी न हो, किन्तु कर तो उसे देने ही होते हैं।

समाजवादी समाज के लक्ष्य को पूरा करने के लिए करों द्वारा सम्पत्ति एकत्रित कर देश का उत्थान करना है। इसी कारण लोक-सभा करों के लगाने की स्वीकृति प्रदान करती रही है। लेकिन करों की वसूली की व्यवस्था और करों के लगाने के ढंग सुधारने की तुरन्त आवश्यकता है। कारण कि सरकार कर लगाती तो है, किन्तु उसे वसूल नहीं कर पाती। अरबों रुपया ऐसा पड़ा है जोकि वसूल ही नहीं हुआ है, न ही सरकार उसकी रिकवरी कर पाती है। आप जिस

[श्रीमती गंगा देवी]

समय एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ाते हैं कारखानेदार उसी समय अपने तैयार माल को स्टाक में जमा कर देते हैं और गिनती के समय उसको कर से मुक्त दिला देते हैं और सेंट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू उस माल पर कर लगाने से छोड़ देती है। कितने ही इस प्रकार के उदाहरण हैं और कितने ही ऐसे कारोबार चल रहे हैं। चूंकि वह कर ठीक तरह से वसूल नहीं कर पाती है, इसीलिए आज हमारी सरकार को पैसे की कमी पड़ती है। लाखों और करोड़ों रुपया इस तरह का पड़ा हुआ है। कंज्यूमर्स करों का भार वहन करते जा रहे हैं लेकिन वह सारा रुपया सरकार के खजाने में नहीं पहुंच रहा है। स्वतंत्रता से आज तक करों के लगाने और वसूल करने का जो ढंग चल रहा है, वह इस प्रकार है। कस्टम्ज़ ड्यूटी का जहां तक ताल्लुक है, १९४७-४८ के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९५१-५२ में २३१ करोड़ ६९ लाख, १९६१-६२ में १९९ करोड़ ६० लाख और १९६२-६३ में १९९ करोड़ ६८ लाख रुपये इसमें वसूल किये गये और ज्यादातर ये गरीब लोगों ने ही दिये। सैंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी भी ज्यादातर गरीब लोगों से ही वसूल की जाती है। १९४७-४८ में ३८ करोड़ ८९ लाख रुपये इस मद में वसूल किए गए, १९५१-५२ में ८५ करोड़ ७८ लाख रुपये, १९६१-६२ में ४७० करोड़ ९५ लाख रुपये, और १९६२-६३ में ४९२ करोड़ २८ लाख रुपये वसूल किए गए। जिनकी बहुत आमदनी है, जो अमीर लोग हैं, वे जो आयकर के रूप में देते हैं, वह इस प्रकार है। १९४७-४८ में के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। १९५१-५२ में उन्होंने १८७ करोड़ ६० लाख रुपया दिया, १९६१-६२ ३०२ करोड़ और १९६२-६३ में ३१६ करोड़ दिया। सैंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी ही वह कर है जो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है और जिसको गरीब लोग अदा करते हैं। इसी से अरबों रुपया सरकारी ख़ज़ाने में आता है, और जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे हैं, उन से स्पष्ट है।

यह देखा गया है कि सरकार गरीबों के प्रयोग की जो वस्तुएं हैं, उन पर ही कर लगाती और बढ़ाती चली जा रही है। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि कर लगाया ही न जाय। लेकिन नियम इस प्रकार का बनाया जाना चाहिए कि जो जीवन की आवश्यक वस्तुएं हैं, उन पर कम कर लगे या बिल्कुल भी कर न लगे। बहुत सोच-समझ कर लगाया जाये। अब आप देखें कि गरीब जनता के प्रयोग की कौन-कौन सी चीज़ें हैं। उसके प्रयोग की चीजों में मिट्टी का तेल, पीने का तम्बाकू, कोर्स कपड़ा आदि आता है। कोर्स कपड़े के नाप पर कर लगता है। इसको गरीब आदमी पहनता है। जिस कोर्स कपड़े का दर प्रति गज़ एक रुपया होता है, उस पर २५ नए पैसे प्रति गज़ कर लगता है। इसके मुकाबले में आप सुपरफाइन कपड़े को देखें। सुपरफाइन पर ३७ नए पैसे प्रति गज़ कर होता है और इसका दाम अगर पांच रुपये प्रति गज़ होता है और इसको अमीर आदमी ही खरीद सकता है इसका अर्थ हुआ कि अमीर लोग साढ़े सात प्रतिशत ही कर देते हैं और जो गरीब आदमी हैं उनको पच्चीस प्रतिशत कर देना पड़ता है।

तम्बाकू का भी यही ढंग है। फिजिकल फार्म के आधार पर कर की दर होने से एक रुपया छब्बीस नए पैसे प्रति किलोग्राम कर पीने के तम्बाकू पर लिया जाता है। हुक्का तम्बाकू को अकसर देहात में पिया जाता है, और गरीब लोग ही इस को अधिकतर पीते हैं लेकिन चबाने का तम्बाकू जो एक सौ रुपये का दस ग्राम और एक हज़ार रुपये का एक किलोग्राम होता है और जिसे अमीर आदमी ही खरीद सकते हैं, उस पर एक रुपया २६ नए पैसे ही सरकार द्वारा कर वसूल किया जाता है। मेरा सुझाव है कि कपड़े की कीमत पर और तम्बाकू के मूल्य पर कर की दरें निर्धारित कर के गरीबों को राहत दी जानी चाहिये। इस प्रकार मूल्य पर कर की दरें निर्धारित करने से, कीमतों को तय करने में, उनको जांचने में सरकार को महंगाई रोकने में बड़ी सहायता मिल सकती है।

तम्बाकू इंडस्ट्री को यदि अच्छी तरह से देखा जाय तो उपभोक्ता के मूल्य बढ़ाए बिना ही सरकार को करीब दो सौ करोड़ रुपया अधिक मिल सकता है। इस उद्योग का अगर राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय तो सरकार को दो सौ करोड़ रुपये की हर साल अधिक आमदनी हो सकती है।

अन्त में मैं फिर हाउस से यह प्रार्थना करती हूं कि समाजवादी लक्ष्य को अमल में देखने के लिए वित्त मंत्रालय के पूंजीवादी नियमों को शीघ्र ही बदला जाय ताकि सरकार द्वारा लगाये गए कर उसके खजाने में आ सकें।

†**श्री रा० गि० दुबे** (बीजापुर उत्तर) : माननीय वित्त मंत्री ने देश की जनता की आवाज़ का सम्मान करते हुए जो कर में रियायत दी है उस के लिये मैं उन की अभ्यर्थना करता हूं।

अनिवार्य शुल्क के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे राज्यों पर छोड़ दिया जाये। वे स्वयं इसे वसूल करने का उपाय निकाल लेंगे। बिहार में १० बीघा भूमि के लिए ५० रुपये किराया देना पड़ता है और उसकी वसूली भी बकाया रहती है। मैसूर में भी दो तीन वर्ष से वसूली नहीं की जा सकी और वहां की सरकार ने अतिकर भी लगाया है। इस प्रकार दोहरा कर लगा गया है। सिद्धान्ततः देश की रक्षा के लिए पैसा देना चाहिये किन्तु इन परिस्थितियों पर विचार करना ज़रूरी है।

स्वर्ण नियंत्रण के संबंध में वित्त मंत्री ने कहा है कि वे चाहते हैं कि विदेशी मुद्रा की बचत हो और रुपये का मूल्य कम न हो। किन्तु सरकार के विवरण के अनुसार ५ लाख सुनार बेरोज़गार हो गए हैं। उनकी हालत दयनीय है। उनके लिए कोई ठोस कदम उठाना चाहिये।

चीनी आक्रमण के दिनों में अधिक कर लगाने पर कोई आपत्ति तो नहीं कर सकता किन्तु हमारा उद्देश्य यहां समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना है। अतः उसी दृष्टि से कर लगाने चाहियें और योजना आयोग को इस समस्या का अध्ययन करना चाहिये।

आपातकाल में भले ही यह संभव न हो किन्तु दीर्घकालीन नीति के रूप में बीमा और बैंक का राष्ट्रीयकरण करना ज़रूरी है तभी सरकार के संसाधन बढ़ सकते हैं। आप लोगों पर कर के बोझ को अधिकाधिक नहीं बढ़ा सकते।

यह कहना गलत है कि गैर-सरकारी और सरकारी उद्योग क्षेत्र में कोई अन्तर नहीं। गैर-सरकारी उद्योग मुनाफे के लिए उत्पादन करते हैं। मांग कम होने पर उत्पादन कम हो जाता है और तब संकट उपस्थित हो जाता है। सरकारी उद्योग क्षेत्र में भी कुछ त्रुटियां हो सकती हैं किन्तु उन्हें प्रोत्साहन देना आवश्यक है। गैर-सरकारी उद्योग को सरकार औद्योगिक वित्त निगम द्वारा ऋण देती है। भारत में गैर-सरकारी उद्योग सरकार पर निर्भर करता है अतः क्यों न उस धन से सरकारी उद्योग को ही प्रोत्साहन दिया जाये।

हमें प्रतिरक्षा मंत्री के भाषण को सुन कर प्रसन्नता हुई कि सेना को दुगना किया जा रहा है और ५ डिवीजन पहाड़ी सेना तैयार की जा रही है किन्तु उन्होंने अन्त में कहा कि निश्चय और आत्म-बल से शत्रु का मुकाबला किया जा सकता है। भला भावुकता के अनुरोध से विश्व की सब से बड़ी सेना का कैसे मुकाबला किया जा सकता है। श्री जे० जे० सिंह के एक लेख में कहा गया है कि चीन भूटान सिक्कम नेपाल में घुसपैठ कर के वहां अपनी पिट्ठू सरकारें स्थापित करेंगे और उनके द्वारा इस देश में नेहरू के निधन के पश्चात् गड़ बड़ करेंगे। हमारे सामने सेना से भी अधिक बड़ी समस्या इस घुस पैठ

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रा० गि० दुबे]

की है जैसे असम में सरकार के अनुमान के अनुसार ३ लाख और लोगों के अनुमान के अनुसार १० लाख पाकिस्तानी घुस आये हैं मेरा सुझाव है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना को हिमालय के प्रदेश में भी लागू करना चाहिये । इस से लाभ होगा ।

प्रसन्नता की बात है कि प्रतिरक्षा की तैयारी हो रही है किन्तु हवाई आक्रमण से रक्षा के लिए क्या किया गया है । सीमा पर अड्डे बनने चाहिये । देश भर में राडर स्थापित करने चाहिये । ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है । यदि अकस्मात आक्रमण हो जाये तो हमारी स्थिति क्या है ?

कृषि और औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि आपात को दृष्टिगत रखते हुए इसे बढ़ाना आवयश्यक है । कृषि उत्पादन अभी ७९० लाख टन तक पहुंचा । १९६५ तक १००० लाख टन का लक्ष्य कैसे पूरा होगा ? सार्वजनिक कार्यकर्ता इस में कैसे सहयोग दे सकते हैं । महाराष्ट्र में तो ज़िला परिषद् एक्ट है किन्तु मैसूर में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं । ग्राम स्वयं सेवी दल होना चाहिए जो गांव गांव में जा कर ठोस काम कर सके । मुझे आशा है कि श्री पाटिल उत्पादन बढ़ाने में कर्मशील हैं । कृषि उत्पादन बढ़ाने से हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था का विकास हो सकता है ।

श्री विश्वनाथ राय (देवरिया) : अध्यक्ष जी, चीन के भारत पर आक्रमण के कारण जो स्थिति देश में उत्पन्न हुई उसका सामना करने के लिए कर वृद्धि होना और उसके सम्बन्ध में इस बिल का आना स्वाभाविक था ।

एक तरफ जहां देश के सब लोग और सब दल यह कहते हैं कि राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हुआ है और उस का मुकाबला होना चाहिये, लेकिन वहां उसके तुरन्त ही बाद यह भी कहते हैं कि उस के मुकाबले के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वे दोषपूर्ण हैं और गलत हैं । इन विरोधी बातों का उत्तर देने से पहले मैं इस सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि इस संकट के कारण जो राष्ट्र में एकता आयी और उसके साथ जो जनता में जोश उत्पन्न हुआ उस जोश का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास नहीं हो रहा है । यह सही है कि कर वृद्धि कर के और उस से उत्पादन बढ़ा कर हम अपने देश की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं और इस में सक्रिय हैं, लेकिन जहां तक देश की आम जनता के जोश के उपयोग का सवाल है, उसको हम उत्पादन बढ़ाने के काम में नहीं लगा पाए हैं ।

यद्यपि धनी और गरीब यह एक रिलेटिव टर्म है, एबसोल्यूट टर्म नहीं है, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि देश में जिन लोगों के पास कम पैसा है, जिसके पास जितना ही कम पैसा है, उनका उतना ही अधिक उत्साह देश के लिए त्याग करने में दिखायी देता है । इस तरफ के एक माननीय सदस्य ने भी यह स्वीकार किया है कि जहां गरीबों की तरफ से सर्वस्व दान के उदाहरण देखने को मिले हैं वहां बड़े लोगों, मिल वालों की तरफ से, चाहे वे छोटे मिल वाले हों या बड़े, उस प्रकार का त्याग और बलिदान के उदाहरण सामने नहीं आये हैं । जो लोग सम्पन्न हैं वे राष्ट्र के संकट के समय अपने साधन राष्ट्र के सामूहिक हित के लिए न दे कर उससे केवल उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं । वे जो अधिलाभकर है उस की कम करवाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि उस से पूंजी के निर्माण में कमी आयेगी । ये लोग केवल उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन जहां तक अपने साधनों को देश के हित में लगाने की बात है उसमें ये आगे नहीं आ पाये हैं ।

अधिलाभकर के बारे में लोगों को आपत्ति है । लेकिन यह अधिलाभकर क्या है ? जिस कम्पनी या फ़ैक्टरी को ६ प्रतिशत से अधिक लाभ होगा उस पर यह कर लगेगा । जिनको ६ प्रतिशत से कम लाभ होगा उन पर यह नहीं लगेगा । ६ प्रतिशत लाभ से ऊपर वाले लाभ पर यह कर लगने से

उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों पर यह कर लगे उन को अपने व्यय को कम कर के इस टैक्स को देना चाहिये। इस संकट के समय लोगों को ६ प्रतिशत से अधिक लाभ करने की बात नहीं सोचनी चाहिये। उन को तो उलटे राष्ट्र हित के लिए अपने साधन अर्पित करने चाहियें। यह बात उन वर्गों के अपने हित में भी है। यह कर उन लोगों के लाभ के लिए है जिन को ६ प्रतिशत से अधिक लाभ होता है। चाहे वे उद्योग प्राइवेट सैक्टर के हों या पबलिक सेक्टर के। उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ इस प्रकार के कर की भी आवश्यकता है। इसलिए मैं इस कर वृद्धि का समर्थन करता हूं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस के साथ ही साथ मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि सब राज्यों में कर वृद्धि के मामले में समानता होनी चाहिए जो इस समय नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की बात कहूंगा। वहां की सरकार ने भूमि कर, यानी लगान पर २५ प्रतिशत कर पहले ही बढ़ाने का कानून पास कर दिया है। उस के बाद केन्द्रीय सरकार की यह योजना है कि किसानों से ५० प्रतिशत लगान का अनिवार्य बचत के रूप में और लिया जाय। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के किसानों को लगान का ७५ प्रतिशत अधिक देना पड़ेगा और इस प्रकार उन को अपना उत्पादन बढ़ाना कठिन हो जायगा। इस सदन में कहा जाता है कि किसान फरटीलाइज़र इस्तेमाल नहीं कर पाते, इस से सिद्ध होता है कि उन के पास इतना पैसा नहीं है कि कृषि के लिए अनिवार्य चीजों को खरीद सकें। इस कर वृद्धि से उन की यह असमर्थता और भी ज्यादा हो जायगी। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस में ऐसा संशोधन करें कि जिस से यदि किसी प्रदेश में पहले से ही लगान वृद्धि कर दी गयी है तो उस में यह कर वृद्धि न की जाय या उतनी की जाय जिस से सब राज्यों में यह समान रूप से लागू हो।

हमारे देश की अस्सी प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और कृषि संबंधी जो भी कठिनाई उत्पन्न होती है, उसका असर उस पर अधिक होता है आप को मालूम होगा कि हमारे देश की पचास प्रतिशत से भी अधिक राष्ट्रीय आय कृषि के द्वारा होती है मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि यह संकट-कालीन स्थिति साल, दो साल तक ही चलने वाली नहीं है। हो सकता है कि वह बहुत दिनों तक कायम रहे। चीन जैसे विशाल राष्ट्र की बढ़ती हुई ताकत का सामना करने के लिये हमारे राष्ट्र को एक दो साल के लिये ही नहीं, बल्कि बहुत दिनों तक के लिये तैयार रहना है। इस लिये कृषि को, जिस के द्वारा राष्ट्र की आधी आय होती है, सबल और सक्रिय तथा अधिक उपयोगी और लाभकर बनाने के लिये उस के मार्ग की छोटी-मोटी कठिनाइयों को भी सरकार दूर करे। जहां किसान इस बात के लिये तैयार हैं कि यदि करों में वृद्धि होती है, तो उनको दे कर हम राष्ट्र को सबल बनायें, वहां सरकार और विशेषतया वित्त मंत्री को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि इन छोटी मोटी कठिनाइयों को दूर किया जाये, ताकि कृषक समाज, राष्ट्र की आधी आय पैदा करने वाला समाज, लाभान्वित हो कर अपने उत्पादन को बढ़ाये और देश को अधिक कर दे सके।

मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूँ। आज उत्तर प्रदेश में लगभग आठ करोड़ रुपये सेल्ज टैक्स के बाकी हैं, जो व्यवसायियों और उद्योगपतियों के जिम्मे हैं। इसी प्रकार लगभग आठ करोड़ रुपये का परचेज टैक्स गन्ना खरीदने वाले लोगों के जिम्मे है इस प्रकार केवल एक प्रदेश में इस समाप्त होने वाले फिनांशल यीअर में करीब सोलह करोड़ रुपये सेल्ज टैक्स और परचेज टैक्स के अभी बाकी हैं। यही नहीं इसी सेशन में गत फरवरी में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में सरकार की ओर से बताया गया था कि जो गन्ना १९६१–६२ के सीजन में जुलाई, १९६२ के पहले ही दिया गया था, जनवरी, १९६३ के अन्त में ९९ लाख रुपये से भी कुछ अधिक उस गन्ने का मूल्य मिल मालिकों के जिम्मे बाकी था। यह एक साल की बात नहीं है, बल्कि कई सालों से ऐसी बात चल रही है कि कई लाख ही नहीं, बल्कि लगभग एक करोड़ रुपये तक गन्ने का मूल्य

[श्री विश्वनाथ राय]

एक एक साल बाद तक बाकी रहता है। उस के कारण गन्ने के उत्पादन में भी कमी होती है और साथ ही गन्ने की फैक्टरियों में गन्ना जाने से चीनी उत्पादन पर जो एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट को मिलती है, उस में भी कमी होती है। पिछले साल चीनी के उत्पादन के बारे में सरकार की जो नीति रही है, उस के फलस्वरूप चीनी का उत्पादन कई प्रतिशत घटा और साथ ही केन्द्रीय सरकार को भी एक्साइज ड्यूटी में नुक्सान हुआ।

इसके साथ ही खंडसारी को सरकार और कृषि मंत्रालय की ओर से गतवर्ष प्रोत्साहन मिलने के कारण राष्ट्रीय अहित हुआ, क्योंकि जहां हिन्दुस्तान की फैक्ट्री की शूगर की औसत ९.६ है, वहां खंडसारी के जरिये ६.६ के करीब होती है और इस तरह से तीन प्रतिशत के करीब चीनी का राष्ट्रीय घाटा होता है, नैशनल लास होता है, केन्द्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी से वंचित होती है, राष्ट्र का भी नुक्सान होता है। जिस प्रदेश से मैं आता हूँ और जहां पर मुख्यतया चीनी का ही व्यवसाय है, सरकार उसकी ओर विशेष ध्यान दे और किसानों को, जिन पर सरकर कर बढ़ा रही है और जिन को फिनांस बिल पास होने के बाद ७५ प्रतिशत रुपया अधिक देना पड़ेगा इस लायक बनाये कि वे अधिक उत्पादन कर सकें और सरकार को अधिक कर दे सकें।

जहां तक ऋण के बारे में छोटी मोटी कठिनाइयों का संबंध है, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह रिजर्व बैंक से ऐसी सुविधा करायें, जिस से ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे मोटे बैंक कायम हों चूंकि ऐसे को-आपरेटिव बैंक अधिक सुविधाजनक होंगे, इस लिये सरकार उनको अधिक से अधिक संख्या में देश में स्थापित कराने की व्यवस्था करे, जिस से कृषकों को और देश को भी लाभ हो।

इस सदन में कई बार सरकार ने यह एलान किया है कि जहां और बचत होती है और खर्च कम किये जाते हैं, वहां भूतपूर्व राजाओं के प्रिवी पर्सेज में कमी नहीं होनी चाहिये, क्योंकि उन के साथ हमारा एक प्रकार का कँट्रैक्ट है और विलीनीकरण के समय यह तय किया गया था कि उन में कमी नहीं की जायगी चाहे यह सरकार हो और चाहे कोई भी अन्य सरकार आये, जनता के समक्ष उसकी सब से बड़ी जिम्मेदारी देश की रक्षा की होती है। अगर छः सौ या आठ सौ परिवारों के प्रिवी पर्सेज कम करने से लाभ हो सकता है--और जरूर होगा--तो उसको भी करना चाहिये, क्योंकि आज देश की सुरक्षा और अखंडता का महत्व ज्यादा है बनिस्वत इन छः सौ या आठ सौ परिवारों के साथ किये गये पुराने वादों को पूरा करने के। इस विषय में राष्ट्र के हित और उस की सुरक्षा के दृष्टिकोण से सोचना चाहिये, उस दृष्टिकोण से नहीं कि १९४७-४८ में देश की क्या हालत थी। उस समय एकीकरण हुआ, लेकिन आज तो हमारी आजादी को खतरा है, स्वतंत्रता पर संकट है। मेरा निवेदन है कि हम इस बारे में इस दृष्टिकोण से सोचें और उस के अनुसार इस पर पुनर्विचार करें।

इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूँ कि कभी चर्चा होती है मुदड़ा कांड की, कभी चर्चा होती है विवियन बोस रिपोर्ट की और कभी चर्चा होती है रूबी तथा न्यू एशियाटिक इन्शोरेंस कम्पनी की। इस तरह की बातें आती हैं और अब प्राय आने लगी हैं। विरोधी पार्टियों के लोग, चाहे जान कर या अनजाने, चाहे जिम्मेदारी से या जैसे भी हो, उन के बारे में प्रचार करते हैं। इस लिये सरकार एक ऐसी एजेंसी कायम करे--विरोधी लोग कह सकते हैं कि अधिक खर्च के कारण उस की क्या आवश्यकता है--जो बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े उद्योग धंधों, बड़ी बड़ी कम्पनियों, और जहां आवश्यकता हो, छोटी कम्पनियों की भी बराबर देख-रेख करे। वह सरकारी आडिटर या चार्टर्ड एकाउंटेंटस की तरह से न हो, बल्कि इस विषय में पूरी तरह से देख-रेख करने के लिये एक सरकारी

एजेंसी हो (अन्तर्वाधा) सदन उससे बच नहीं जायेगा। सदन देश के भीतर ही है, बाहर नहीं है।

यहां भी और इस सदन के बाहर भी विरोधी दलों की ओर से यह कहा जाता है कि ये कर बढ़ें, देश को कर देना है, लेकिन ये कर इतने क्यों बढ़ाये गये, क्यों नहीं पहले से इस के लिये प्रयास हुआ। इसी प्रकार की बातें देश की सुरक्षा और तेजी से उत्पादन बढ़ाने के बारे में भी कही जाती हैं। बात सही है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विरोधी दल के लोग और कभी कभी तो बड़े नेता कहलाने वाले लोग भी एक समय पर एक बात कहते हैं और साल दो साल के बाद उस से बिल्कुल उल्टी बात कहने लगते हैं। मैं आप को इस सदन में कही गई कुछ बातों की याद दिलाना चाहता हूं। आचार्य कृपालानी जी ने, जो प्रजा समाजवादी दल के साथ बहुत दिनों तक थे और विरोधी बेंच पर बैठते थे, १४ मार्च, १९५८ को कहा था कि हमारा विश्वास था कि अहिंसावादी भारत कभी भी सैनिक बजट में वृद्धि करने का विचार नहीं करेगा।

†**श्री काशी राम गुप्त** : वे सभा में उपस्थित नहीं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : वे सभा के सदस्य थे और उन्होंने सभा में कहा था। अतः माननीय सदस्य को उद्धरण देने का अधिकार है।

श्री विश्वनाथ राय : उन्होंने आगे कहा कि सैनिक बजट में हाल में जो १०० करोड़ रुपये की वृद्धि हुई उस से राष्ट्र के पिता की आत्मा को दुःख होगा। ऐसी बहुत सी लाइन्ज हैं, लेकिन उन को क्वोट करने का समय नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस ओर बैठने वाले सदस्य या नेता एक तरफ तो यह कहते हैं कि रक्षा पर खर्च किया जाने वाला रुपया बहुत बढ़ रहा है, रक्षा के लिये इतना रुपया खर्च नहीं करना चाहिये और इसकी पुष्टि में राष्ट्र-पिता महात्मा गांधी का भी नाम लेते हैं, और दूसरी तरफ कुछ सालों के बाद—आचार्य कृपालानी ने ये शब्द १९५८ में कहे थे और पांच सालों के बाद १९६३ में—वे यह कहने लगे हैं कि देश की सुरक्षा के लिये तैयारी नहीं हुई। तयारी क्यों नहीं हुई? तैयारी साधनों से होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा, दृढ़ संकल्प और एकता से होती है, केवल तलवार घुमाने से नहीं होती है। आज की दुनियां एटामिक एनर्जी और एटम बम की है। विरोधी दल के सदस्य—चाहे वे इस सदन में हों और चाहे बाहर हों—एक समय जो बात कहते हैं, उस में और किसी दूसरे समय कही जाने वाली उन की बात में मौलिक अन्तर होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी बातों से भारतीय जनतंत्र के लिये खतरा पैदा होता है। जनतंत्र में विभिन्न विचारों की सुविधा होती है, स्वागत होता है टीका-टिप्पणी का स्वागत होता है ऐसे दल का, जो किसी समय देश का शासन चला सकें, लेकिन वह इस लायक तो हो। वह स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है, जब विरोधी दल जिम्मेदारी के साथ बात करें और जो नीति वे जनता के सामने रखें, उस पर कायम रहें और उसको कार्यान्वित करें ऐसा न हो कि साल दो साल में उस नीति में मौलिक परिवर्तन हो और एक बात का दूसरी बात से इतना विरोध हो जाये कि दोनों में सामन्जस्य न हो पायें।

मिनिस्ट्री आफ फ्युअल एंड माइन्ज की डिमांड्ज पर विचार के समय जो व्यक्तिगत बातें कही गई थीं, वही बातें इस बिल के समय भी कही गई हैं। उस दिन एक बात यह कही गई थी कि कांग्रेस के लोगों के लिये माननीय मंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी ने रुपया लिया और वह बात गलत सिद्ध हुई। दूसरी बात यह है कि उस मंत्रालय द्वारा कुछ लाइसेंस सिराजुद्दीन एंड कम्पनी को दिये गये किन्तु यह बात भी कल हाउस में जो उतर दिया गया उससे स्पष्ट हो गई जो दो मुख्य चार्जिज थे,

†मूल अंग्रेजी में

[श्री विश्वनाथ राय]

वे दोनों ही असत्य साबित हुये। आगे के लिये जो कुछ होगा उसका तब जवाब दिया जायेगा लेकिन अभी तक तो ये असत्य सिद्ध हो गये हैं। जो बातें चैलेंज देकर कही गई थीं वे दोनों गलत साबित हुई हैं।

श्री काशी राम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य भाषण दे रहे थे, उस में उन्होंने विरोधी दलों की कुछ चर्चा की और कहा कि वे गैर-जिम्मेदारी की बातें करते हैं जिस महानुभाव की उन्होंने चर्चा की उसको मैं छोड़ता हूँ लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो कांग्रेसी महानुभाव इस समय चुनाव उस क्षेत्र से लड़ रहे हैं, उसके बारे में किस तरह से पैंतड़ा बदला गया है, एक नाम दे कर बाद में दूसरा...

†**श्री रघुनाथ सिंह** : यह चुनाव की सभा नहीं है किन्तु मेरे मित्र अमरोहा के चुनाव की बात कर रहे हैं।

श्री काशी राम गुप्त : इस तरह के जो तरीके हैं, उनको वे आगे लाते हैं, यही मेरा कहने का तात्पर्य था।

हमारे वित्त मन्त्री महोदय को कांग्रेसी सदस्य ने बधाई दी है और विरोधी दलों के कुछ सदस्यों ने भी अपने दृष्टिकोण से बधाई दी है। मेरा दृष्टिकोण जो बधाई देने का है वह यह है कि वह इस बात में सिद्ध-हस्त हो गए हैं और बड़े नाटकीय ढंग से सफल हुए हैं कि किस तरह से करों को लगाया जाए और बाद म किस तरह से उनमें संशोधन किया जाए ताकि उनकी पार्टी के लोगों को करने के लिए कुछ काम मिल सके, उनकी पार्टी को कुछ बल मिल सके और वे पिटाई से बच सकें। जिस प्रकार से उन्होंने मिट्टी के तेल पर कर लगाने की बात कही थी उसमें बाद में जाकर संशोधन किया, वह इसका प्रमाण है। उन्होंने कहा था कि फारेन एक्सचेंज को बचाने के लिए उन्हें यह कर लगाना पड़ रहा है और उसके एवज में जो खाद्य और अखाद्य तेल हैं, उनमें रियायत जो दी गई है, उससे गरीबों को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। जिस समय बजट में यह घोषणा हुई और हम यहां से बाहर निकले तो एक कांग्रेसी सदस्य ने कहा कि और तो कुछ नहीं, तुम विरोधी दल वालों को दो बातों का जिक्र करने का मौका मिल गया है, एक तो तुम मिट्टी के तेल की चर्चा करोगे और दूसरे कम्पलसरी सेविंग्ज स्कीम जो किसानों पर भी लगी है, उसकी चर्चा करोगे। इसके जवाब में मैंने कहा कि हम करेंगे या नहीं करेंगे आप इस का उपयोग जरूर करोगे, लोगों से कहोगे कि घबराओ नहीं, हम ठीक करवा देते हैं और अब एन वक्त पर कुछ ऐसी घोषणा करवा दी कि वह जो बात मैंने तब कही थी वह बिल्कुल सत्य साबित हुई।

श्री त्यागी (देहरादून) : हम लोग असर डाल सकते हैं, यह इससे स्पष्ट हो जाता है।

श्री काशी राम गुप्त : इसको हथकंडेबाज़ी का नाम चाहें तो दिया जा सकता है दूसरा नहीं। इसमें आप माहिर हैं।

मैं पूछना चाहता हूं कि अब मिट्टी के तेल पर जो कर घटा है, उससे फारेन एक्सचेंज वाली बात कहां चली गई है, क्यों वह प्रश्न हट गया है। राहत की बात तो छोड़िये, इसको लगाने का सवाल ही नहीं था। इस सब का एक ही नतीजा निकलता है कि आप इस तरह से अपनी नीति को बनाते हैं कि आपके कार्यकर्त्ता जिनकी कुछ पूछ नहीं होती है, जो बदनाम होते हैं, उसको ढका जाए किसी तरह से..

श्री स० मो० बनर्जी : यह तो पहले फांसी देने की बात हुई.

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री काशी राम गुप्त : फांसी की सज़ा पहले देने की बात हुई फिर कहा अपील करो इम्प्रिज़नमैंट फार लाइफ दे देंगे। यह तरीका है जो कि मिट्टी के तेल के बारे में अपनाया गया है। जो दलील फारेन एक्सचेंज की दी गई थी, वह तो ज्यों की त्यों कायम है। मैं समझता हूं यह पहले से बनाई हुई बात थी कि हम ऐसा करेंगे पहले और बाद में उसको ऐसे कर देंगे। यदि ऐसा न होता तो सीधी सी बात थी कि मिट्टी के तेल पर कर लगता ही नहीं, कमी वेशी करने का सवाल तो दूर। कर लगने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिये था। जनता को जो थोड़ी बहुत उन्होंने राहत दी है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। इससे अधिक मैं इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

दूसरा प्रश्न किसानों से लेने का आया। एक तरफ कहा जाता है कि सवा सौ रुपये जिसकी इनकम है उस आदमी से हम कम्पलसरी सेविंग के रूप में कुछ लेंगे, किन्तु किसान की इनकम सवा सौ कब होती है, इसको आप देखें। पांच रुपये लगान से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर सवा सौ इनकम देखनी है तो यह देखना होगा कि वह कम से कम तीस चालीस रुपये लगान के देता हो और वह भी उस ज़मीन के जो कि आबपाशी वाली जमीन है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उसकी सवा सौ इनकम नहीं हो सकती है। उसके साथ भेदभाव किस आधार पर किया जाता है, कौनसा सिद्धान्त अमल में लाया जाता है और उसको कम्पलसरी सेविंग में हिस्सा देने की बात कही जाती है, यह बताया जाना चाहिये। कम्पलसरी सेविंग तब हो सकती है जब बचत हो और लगान के आधार पर बचत को जोड़ना तभी हो सकता है जब आमदनी के आधार पर लगान को जोड़ दिया जाए। पांच रुपए जो लगान देता है उसको अगर छोड़ दिया जाता है तो उसका कोई तात्पर्य नहीं होता है। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी किया गया है वह केवल प्रचारमात्र है और यह कहने के लिए किया गया है कि ज्यादातर लोग पांच रुपये देते है, इसलिए बहुत से लोगों को हमने राहत दे दी हैं। एक तो यह दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि इसके ज़रिये से हम लोगों तक पहुंच कर उनकी बातों को सुनें, उनसे कुछ कहें और कुछ काम हो। वैसे तो इनके पास कुछ करने धरने के लिए रहा नहीं है, इस तरह से ही कुछ कर धर ये लेंगे। मैं समझता हूं कि ये दोनों जो दृष्टिकोण हैं, इन दोनों से कोई विशेष लाभ होता नहीं है।

एक दूसरी बात को आप देखें। हमारे वित्त मन्त्री जी ने जो संगठित उद्योग है, जो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, उनको तो राहत दे दी है लेकिन जो असंगठित उद्योग हैं और जो अपनी आवाज़ उठा नहीं उकते हैं, उनको कोई राहत नहीं दी है। जिनकी बात का असर उन पर पड़ता है, उनको तो राहत दे दी है, जिन की बात का असर नहीं पड़ता है, उनको नहीं दी है। इन्होंने टैक्स लगा दिया और किसी ने अज्ञानवश या किसी दूसरे कारण से ऐतराज़ नहीं किया तो कह दिया गया कि सब टैक्स ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि रजिस्टर्ड फर्म्स के टैक्सेशन में फर्क डाला गया है। जो प्रोफेशनल लोग हैं चार्टर्ड एकाउण्टेंडेटस हैं, सालिसिटर्ज़ हैं, उनकी फर्में अगर हैं तो दस परसेंट उन पर टैक्स लगेगा और जो बिजिनेस चलाते हैं, इण्डस्ट्री चलाते हैं, उनकी फर्में हैं तो बीस परसेंट लिया जाएगा। यह भेद जो किया गया है, इसकी तह में हमें जाना चाहिये। चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स या सालिसिटर्ज़ कोई रुपया नहीं लगाते हैं, वे केवल दिमाग से ही काम करते हैं और उनके पास काम करने वालों की तादाद भी बहुत थोड़ी होती है। कितना उपयोग अपनी प्रतिभा का वे देश के लाभ के लिए कर रहे हैं, यह भी एक विवादास्पद बात हो सकती है। दूसरी तरफ जो बिजिनेस करते हैं या उद्योगों में लगे हुए हैं, वे पूंजी लगाते है, धन लगाते हैं और साथ ही साथ अपना दिमाग भी लगाते हैं, खतरे उठाते हैं और सरकार की आमदनी बढ़ाते हैं, सेल्स टैक्स बढ़ाने में सरकार की मदद करते हैं। इसलिए होना तो यह चाहिये था कि दस परसेंट बिजिनेस वालों से कर लिया जाता और बीसपरसेंट उनसे। लेकिन यहां तो उलटा काम हो गया है। इसको किस तरह से समाजवाद की कसौटी पर नापा जा सकता है, इस को आप देखें।

[श्री काशीराम गुप्त]

वकील या डाक्टर या इस प्रकार के जो लोग हैं, वे अगर फर्में बना कर बैठ जायें तो एक नया तरीका टैक्स से बचने का निकल आएगा । दूसरे लोग चूंकि संगठित नहीं हैं, रजिस्टर्ड फर्मों के लोग, बिजिनेस के लोग संगिठत नहीं हैं, इसलिए उनकी सुनाई नहीं हो सकती है ।

इस तरह का संगठन न होने के कारण जो हानि हुई है, उसका मैं एक दूसरा उदाहर आपके सामने रखना चाहता हूं । आप स्ट्रा बोर्ड की ड्यूटी को लें । स्ट्रा बोर्ड हर तरह के काम में आता है । छोटी छोटी जो इण्डस्ट्रीज हैं, छोटे छोटे जो काम करने वाले हैं, उनके पैकिंग बाक्सिस के काम में यह आता है । चूंकि ये लोग बिखरे हुए हैं, इनकी कभी सुनाई नहीं हो सकती है । इस टैक्स का नतीजा यह हुआ है कि स्ट्रा बोर्ड का करीब ३० परसेंट दाम बढ़ गया है । कोई चूं चरां करने वाला नहीं है । चूंकि उनमें संगठन नहीं है, इसलिए उनको राहत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है । अगर यह दृष्टिकोण रहता है तो अंग्रेज की सरकार और अपनी सरकार में क्या अन्तर रह जाता है । अंग्रेज भी यही करता था, हमारी सरकार भी यही कर रही है । जो जवाबदेह सरकार होती है, जो लोकतन्त्रीय सरकार होती है, उसमें और अंग्रेज सरकार में ऐसी दशा में कोई फर्क नहीं रह जाता है ।

एक उदाहरण मैं खाद्य और और अखाद्य तेलों का देना चाहता हूं । इसके ऊपर से जो ड्यूटी हटाई गई है उसका किस तरीके से असर पड़ा है इससे पहले की जो जानकारी है, वह हमारे सामने होनी चाहिये । वह यह है कि जो छोटे कोल्हू लोग चला रहे थे, उन पर पहले कोई ड्यूटी नहीं थी, उनसे ज्यादा जो चला रहे थे, ज्यादा कोल्हू जो चला रहे थे, उन पर थोड़ी सी थी और उनसे ज्यादा पर थोड़ी और ज्यादा थी और इस तरह से वह आगे चलती थी । एक समान जब ड्यूटी लग गई तो जो छोटी पूंजी वाले थे, जिन्होंने पांच सात या दस हजार लगा रखा था और दो चार आदमी काम पर लगा रखे थे, वे सब समाप्त होते जा रहे हैं और केवल सरकार की नीति के कारण हो रहे हैं । सरकार की नीति के कारण हो वे आगे बढ़े थे और उसी की नीति के कारण वे समाप्त हो गए हैं । इस नीति से कितना नुकसान जनता का हो जाता है, कितनी बेरोजगारी फैल जाती है, इस दृष्टिकोण को अगर हम सामने नहीं रखते हैं तो कर नीति सही नहीं कही जा सकती है ।

यहां पर विशेष चर्चा हमारी मिश्रित अर्थ व्यवस्था की होती है । सरकार तथा सदन के माननीय सदस्य मानते हैं कि यह सही नीति है और इस पर चला जाना चाहिये । लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि क्या होता है । मोनोपोली कैपीटल को छोड़ कर भी जितने भी प्राइवेट उद्योग वाले हैं, उन सब की कुछ ऐसे तरीके से नुक्ताचीनी की जाती है और इसके कुछ हम इस प्रकार से अभ्यस्त हो गए हैं कि हम मानने लग गए हैं कि ये जो लोग हैं, ये सब के सब जो करते हैं, गलत करते हैं, गन्दा काम करते हैं और प्राफिट मोटिव जो शब्द है, उसका भी इसी अर्थ में प्रयोग हम करते हैं । इसका अर्थ यह निकलता है कि ये जो लोग हैं, ये बड़े भारी शोषक हैं । अगर यह दृष्टिकोण चलता है और उधर जो लोग इस व्यापार में लगे है, वे यह दृष्टिकोण अपनाते है कि किसी भी तरह पैसा बचा लेना चाहिये, टैक्स अदा नहीं करना चाहिये और सरकार यह दृष्टिकोण रखती है कि किसी भी तरह से पैसा उनसे छीन लेना चाहिये, तो इसको मिश्रित अर्थ व्यवस्था नहीं कहा जा सकता है और न ही इसको समाजवाद कहा जा सकता है, बल्कि अंग्रेजी में इसको अगर हम कंफ्युशनिज्म या कनफ्युशनवाद कहें तो ज्यादा ठीक होगा । यह जो स्थिति चल रही है यह बड़ी घातक है और इसको ठीक करना चाहिये । जिसका जो उचित स्थान है और उसम जो उसका उचित सम्मान है उसको मान कर हम को चलना चाहिये ।

माननीय श्री द्विवेदी पहले चर्चा कर रहे थे सिराजुद्दीन कम्पनी की । मैं निवेदन करूं कि नहीं मालूम हमारे देश में कितनी सिराजुद्दीनों की फर्म्स है जिनसे कांग्रेस का सारा काम चलता है । कम्पनी ला के ढांचे को इस तरह से बनाने का तात्पर्य ही यह था कि कम्पनियों से इस तरह से पैसा लेकर सारी

राजनीति चले, चुनाव की सारी राजनीति चले। सब पार्टियां आहिस्ता आहिस्ता उसमें फंसती चली जायें और देश में समाजवाद का नारा लगा कर उसको पूंजीवाद से भी बुरी दशा में पहुंचा दिया जाये। क्योंकि यदि उनसे पैसा लिया जाता है तो निश्चित रूप से पार्टी उन लोगों के चंगुल के असर से बाहर नहीं जा सकती। मैं तो मूलभूत बातों में जाना चाहता हूं, मुझे इससे मतलब नहीं कौन मिनिस्टर इसमें फंसा है और कौन नहीं फंसा है। मैं जानता हूं कि चाहे मिनिस्टर हो, चाहे बाहर का हो चाहे शासन हो, सब को यह काम करना पड़ रहा है, कोई इससे बचा हुआ नहीं है।

मुझे अपने चुनाव क्षेत्र से मालूम हुआ कि वहां पर सन् १९५७ में क्या हुआ। एक ऐसा आदमी, जिसके बारे में शायद हमारे वित्त मंत्री जी इस पक्ष में होते कि उसे टिकट न दिया जाय, वह चालाकी से टिकट ले गया। उस पर बाकायदा आगे बढ़ कर आक्षेप लगाया गया। आज स्वर्गीय श्री जय नारायण व्यास दुनियां में नहीं हैं, उन्होंने आक्षेप लगाया और लोगों ने लगाया कि लाखों रुपयों के कूपन बिकवाये गये। नेहरू फंड के नाम पर लाखों रुपये इक्ट्ठे किये गये लेकिन उन का हिसाब नहीं छापा गया और सारा रुपया चुनाव में लगाया गया।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : लोग तो यह भी कहते हैं कि आप ने बिना कूपन लाखों रुपये जमा किये और खा गये।

श्री काशी राम गुप्त : मैं किसी खास आदमी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह किसी एक जगह का प्रश्न नहीं है। यह एक मूल प्रश्म है। यह केवल कांग्रेस पार्टी का भी प्रश्न नहीं है, यह सारे देश की पद्धति का प्रश्न है कि आया चुनाव लड़ने वाली पार्टियां पैसा लें तो कहां से लें और किस प्रकार से लें। इसके लिये यह कहना कि एक पार्टी लेगी और दूसरी पार्टी नहीं लेगी, इसमें कोई तत्व नहीं है। वास्तविकता यही है कि कोई भी पार्टी हो लेकिन अगर इस रास्ते को हमने अपनाया और यह जारी रहा तो सब की यही दशा होने वाली है। इस सम्बंध में हम सब को सोचना चाहिये कि हम इस बीमारी से बचें। और उससे बचने का एक ही तरीका है कि हम आम जनता से पैसा ले कर चुनाव लड़ने की पद्धति को जारी करें। यह तभी सम्भव होगा जब आप विधान सभाओं और लोक सभा के चुनाव अलग अलग करायेंगे। नहीं तो यह गपड़ चौथ बराबर चलती रहेगी।

अभी कल की बात है कि हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री पटनायक ने एक ऐसी अजीब नई बात कही जिस का ठिकाना नहीं है। लेकिन शायद हमारे माननीय सदस्यों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो लोक सभा के सदस्य हैं उन को लगभग १,५०० रु० मासिक मिलता है। मैंने बहुत सोचने की कोशिश की, श्री ज्योतिषी जी उधर बैठे थे, उन्होंने कहा भी था कि कैसे मिल सकता है। लेकिन हमको अपनी जेब टटोलने की कोशिश करनी चाहिये। मैंने हिसाब लगाया। ४०० रु० मासिक तो हम को तन्ख्वाह मिलती है, पांच महीने बराबर हम लोग यहां बैठें और श्री यशपाल सिंह इसको तो शायद मान ही लेंगे कि हम को २१ रु० रोज मिलता है और वे भी उस को जायज मानते हैं, तो यह करीब २५० रु० मासिक अर्थात ३,००० रु० वार्षिक बनता है, ५० रु० इस बात का मान लें कि मकान किराया आदि का कुछ फायदा हमारा कर देते हैं, तो इस तरह से कुल मिला कर कोई ७५० रु० बनता है। फ्री पास जो मिलता है तो वह आम तौर से ड्यूटी के लिये मिलता है और उसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल आप कोई भी हिसाब लगा लें, लेकिन १५०० रु० मासिक कैसे बनता है ? इसलिये अगर कोई सदस्य जबाबदारी से बात नहीं करते हैं और उस के बारे में चर्चा करते हैं तो इससे जनता में बड़ा भ्रम फैलता है। अगर इस प्रकार से हम जनता में भ्रम फैलाने का कोई काम करें तो यह देश के हित के विरूद्ध है और इस सदन के मान और प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य श्री पटनायक का कौन सा हिसाब है १,५०० रु० मासिक का इसको वे देने की कृपा करें तो सब सदस्य उस पर विचार करेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि यह एक गम्भीर विषय है।

]श्री काशी राम मुप्ता]

इस सम्बंध में हाउस के सभी सदस्यों को मिल जुल कर एक कमेटी बना कर वास्तव में देखना चाहिये कि क्या स्थिति है । जैसा कल माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे जनता के पैसे से चुनाव लड़ कर आते हैं, वे कोई काम नहीं करते सारे दिन इस सदन के काम में लगे रहते हैं । उनके लिये मैं कह सकता हूं कि अगर वे सारे दिन को यहां पर लगा कर इतना रुपया लेते हैं तो यह कोई बहुत अधिक नहीं है। अगर वे अपने बच्चों को यहां रखते हैं तो उनका इस पैसे से बड़ी मुश्किल से निर्वाह होता है, जिसके बारे में इधर उधर की बहुत सी बातें सुनने में आती हैं । मैं समझता हूं कि यह एक बहुत गम्भीर विषय है । इसलिये अगर हम यहां पर इस सदन के माननीय सदस्यों की आर्थिक स्थिति क्या है इस की चर्चा भी ठीक से नहीं कर सकेंगे तो दूसरी चर्चायें कैसे ठीक से कर सकेंगे ? यहां प्रधान मंत्री के खर्च की बात कही गई है । इस सम्बंध में मैं कहना चाहूंगा कि यह जरूर है कि हमारी प्रदेश सरकारें जो हैं वे ऐसा खर्च करती हैं जो कि वाजिब नहीं है । किन्तु उन सब के बारे में इस रूप से सदन में विरोधी पक्ष के लोग कटाक्ष करें तो यह सही नहीं हो सकता है । हमारे लिये यह जानना जरूरी है कि हमें कितना खर्च करना चाहिये । अगर हम इस स्थिति में हैं तब तो हमें कटाक्ष करने का पूरा अधिकार है और करना चाहिये और अपने सुझाव देने चाहियें, नहीं तो नहीं ।

एक बात मैं यहां पर राजस्थान कैनाल के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं क्योंकि इसका फाइनेन्स बिल की नीति से सम्बंध है । राजस्थान कैनाल बनाई जा रही है लेकिन भारत सरकार ने उसका सारे का सारा रुपया राजस्थान के सिर पर मढ़ दिया है । मैं इस को मानता हूं कि उधार मिलना चाहिये, लेकिन सरकार यह कहती है कि वह रुपया पंचवर्षीय प्लैन के अन्तर्गत मिलेगा नतीजा यह है कि मामला गड़बड़ी में पड़ रहा है । जिस राजस्थान कैनाल से क्रांति आयेगी और जो कि सारे देश के लिये लाभकारी होगी उस रुपये को वास्तव में अलग से देना चाहिये, उस को प्लैन का हिस्सा नहीं बनाना चाहिये और जो कंट्रिब्यूशन यहां का होना चाहिये उस में उसको नहीं जोड़ना चाहिये। राजस्थान कैनाल का विषय एक बहुत बड़ा विषय है, इसमें औरों की नकल नहीं हो सकती क्योंकि और जगहों पर तो आबादी है, लेकिन यहां पर नई आबादी की जायेगी और एक नया सिलसिला होगा । इसमें जनता का करोड़ों रुपया खर्च होगा । इसलिए इस समस्या को एक महत्व की बात मान कर उसी रूप में इस को लेना चाहिये ।

श्री मोरारजी देसाई: वहां से जो फायदा होगा वह भी तो राजस्थान गवर्नमेंट को ही मिलेगा?

श्री काशीराम गुप्त : श्रीमान् जी, इसमें रुपया देने का प्रश्न है । इस समय हम रुपया मांग रहे हैं । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप को वापस नहीं दिया जायेगा । मेरा कहना केवल यह है कि जो प्लैन का रुपया २०० करोड़ है उसमें इस का समावेश न किया जाये, उस के अतिरिक्त दिया जाय और वसूल किया जाय । केवल इस समय रुपया दिया जाय ताकि सारी प्लैन गड़बड़ न हो, इस दृष्टिकोण से यह बात कही जा रही है । इसी दृष्टिकोण से मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सबसे पिछड़ा हुआ है पावर में, बिजली में । वहां पर ज्यादातर वेल इरिगेशन है, कुंओं से सिंचाई होती है, इसलिये यह परम आवश्यक है कि वहां पर बिजली का पहुंचना प्रथमिकता से होना चाहिये । यह बात हमारा प्लैनिंग कमिशन भी मानता है । वहां पर जो रुपया दिया गया है वह सब से कम है । सब से अधिक रुपया ३० करोड़, मद्रास को दिया गया लेकिन हमारे यहां केवल डेढ़ या दो करोड़ रुपया पहुंचा है । जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं अगर उनको आप आगे नहीं बढ़ायेंगे तो आप की समाजवादी समाज की नीति अमल में नहीं आ सकेगी ।

अन्त में मैं गोल्ड कंट्रोल के विषय में कहना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में जो १४ कैरेट का तरीका निकाला गया है, सम्भवतः हमारे वित्त मंत्री उसको ही एक अचूक इलाज मानते हैं। उससे क्या-क्या बीमारियां बढ़ी इसकी वे जांच करायें, कितने रुपये का सरकार का सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में नुकसान हुआ, कितने लोग किस रूप में बेकार हुए, उन की क्या दशा है, न सब का टोटल लगायें और देखें कि जो ३० या ४० करोड़ रुपये की स्मगलिंग होती है उस से मुकाबला करें और उसका क्या नतीजा होगा। इस का दूसरा तरीका भी हो सकता था और वह यह कि गोल्ड ट्रेड को सरकार अपने हाथ में ले लेती। सरकार स्वयं मंगवाने वाली होगी तो गोल्ड का स्मगलिंग नहीं हो सकेगा क्योंकि कोई दूसरा ला ही नहीं हो सकेगा। उसके बाद उसमें से जिस प्रकार से लोगों को जरूरत होती उस प्रकार से उनको दे दिया जाता। परमिट सिस्टम तो अब भी जारी किया गया है। परमिट सिस्टम से लोगों की उपयोगिता के नाते उनको सोना दिया जा सकता तो आज जो हमारे देश में मध्यम और छोटे वर्ग की आर्थिक स्थिति डांवांडोल हुई है, वह न होती क्योंकि वह आर्थिक स्थिति ऐसी है जो जुड़ी हुई है हमारे सारे कामों से। चाहे कोई भी लोग हैं वे केवल समय पर ही सोना खरीदते हैं। बैंकिंग सिस्टम हमारे देश में चाहे कितना ही आगे बढ़ जाये, वह अभी इस रूप में नहीं पहुंचा है कि लोग सोने के इस्तेमाल को इस विषय में खत्म कर दें। कारण यह है कि सोना जो है वह अन्तर्राष्ट्रीय माध्यम भी है और हमारे देश का माध्यम भी है, वह एक दिन में खत्म नहीं हो सकता और उसके लिये इतनी जल्दी करना हानिकारक है। इस देश में इस ट्रेड का नेशनइलाजेशन करने की कोशिश नहीं की गई और यह तरीका अख्तयार किया गया। नतीजा यह हुआ कि बहुत से गोल्ड स्मिथ्स बेकार हो गये। अब सेल्स टैक्स भी नहीं आयेगा और साथ में चोर बाजारी भी चल गई है। लोगों में सोने को छिपाने की प्रवृति बढ़ गई है। सोना रोकने की बात जो है वह केवल कागज में ही है, अमल में नहीं आई है। कागज पर भाव सोने का कुछ दिखलाया जाता है और बाजार में कुछ भाव लिया जाता है। यदि किसी योजना से ऐसी स्थिति अनिवार्य रूप से पैदा हो जाती है तो उस योजना को योजना नहीं कहा जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए? मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि आप फिर से २२ कैरेट को चालू कर दें। मेरा तात्पर्य यह है कि गोल्ड ट्रेड को सरकार अपने नियंत्रण में ले और नए सिरे से योजना बना कर उस को चलाए जिससे किसी को हानि न हो सके।

अन्त में मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

श्री पाराशर (शिवपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को इस बिल की धारा २९ के लिए जिसके द्वारा उन्होंने नमक कर को समाप्त किया है, साधुवाद देता हूं। ऐसा करके उन्होंने समाजवादी समाज रचना की और एक कदम बढ़ाया है और जो सबसे नीचे का तबका है उसको राहत पहुंचायी है और इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं।

साथ ही साथ इसके आगे की दफा ३० को समझने में मुझ को कुछ मुश्किल हो रही है और मुझे विश्वाश है कि वह इस पर पुनर्विचार करेंगे। इसके क्लाज ए० में लिखा है कि जो अंग्रेजी दवा है उस पर एक रुपया और दस नए पैसे टैक्स लगेगा एक खास मिकदार पर, लेकिन आयुर्वेदिक दवा की उसी मात्रा पर और जो दवा उसी किस्म की बनेगी उस पर कर लगेगा १५ रुपया ५० नए पैसे। यह मेरी समझ में नहीं आता। मुझे बताया गया है कि ये दोनों दवाएं एक ही किस्म की होती हैं। इससे आयुर्वेद को ठेस पहुंचेगी। हमारे वित्त मंत्री जी सुलझे विचार के हैं। मैं आशा करता हूं कि वह इस पर विचार करेंगे और इसमें ऐसा संशोधन कर देंगे कि आयुर्वेद की दवा पर अधिक कर न लगे।

श्री कमल नयन बजाज जी ने सुपर टैक्स की बाबत जो कहा उस का मैं समर्थन करता हूं। वापस ले लिया जाय क्योंकि ट्रेड और बिजनैस में उस की फाउंडेशन पर रिजर्व बहुत कम है। मैं भी उन का

[श्री पाराशर]

इस विषय में समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर ट्रेड और बिजनैस की दृष्टि से विचार कर लिया जाए ।

इस इमरजेंसी के समय में जो कर लगाये गये हैं मैं उनका पूरा-पूरा समर्थन करता हूं । बल्कि मेरा तो विश्वास है कि कर लगाने के अलावा हमारे पास कोई और चारा ही नहीं था । जो भी हमारी रक्षा व्यवस्था है उस पर हम अधिक कर लगाकर ही खर्च कर रहे हैं । और अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाये तो यह कर हमारी रक्षा व्यवस्था के लिये कम है, लेकिन क्योंकि हमारी क्षमता इससे अधिक कर देने की नहीं है इसलिये ज्यादा कर नहीं लगाये गये और हमको अपनी रक्षा व्यवस्था के लिये विदेशों से सहायता और ऋण की याचना करनी पड़ रही है ।

हमारे मित्र श्री द्विवेदी जी ने कहा कि हमारे रक्षा मंत्री ने यह क्यों कहा कि वह चीन को हटाने के लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं । अपने-अपने विचारों में भिन्नता हो सकती है । परन्तु रक्षा मंत्री ने उस दिन जो शब्द कहे थे वे आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं कि वह इस देश की रक्षा व्यवस्था को ऐसा बना देना चाहते हैं कि जो भी इस देश की तरफ आंख उठाये वह एक बार नहीं, दो बार नहीं, दस बार नहीं बल्कि सौ बार सोचे । मैं तो चाहता हूं कि परम पिता परमात्मा हमारे रक्षा मंत्री को इतना बल दे कि वह इस देश की रक्षा व्यवस्था को ऐसा सुदृढ़ कर दें कि अगर कोई इस देश की तरफ कुदृष्टि करे तो उसको सौ बार नहीं बल्कि हजार बार सोचना पड़े । मेरा विचार है कि इस प्रकार की घोषणा से देश में बल आता है, लेकिन यह केवल घोषणा ही न रह जाये । जिस समय लक्ष्मण जी मेघनाथ से लड़ने चले थे तो उन्होंने कहा था :

जौं तेहि आजु बधें बिनु आवों । तौ रघुपति सेवक न कहावों ।

और उन्होंने मेघनाथ का बध किया । अगर कोई अपने नेता की नजर में अगर जाता है तो उसका इससे अधिक अपमान और क्या हो सकता है ।

सम्भावितस्य चा कीर्तिर्मरणादति रच्यते ।

अपने नेता की नजरों में गिर जाना जीवन की सब से महान् विपत्ति है । लक्ष्मण ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं मेघनाद का वध किये बिना नहीं आऊंगा । तो उनको उस प्रतिज्ञा से बल मिला और वह सफल हुये । इसी प्रकार हमारे रक्षा मंत्री ने जो घोषणा की है मेरा निश्चित मत है कि उसको वह पूरा करेंगे और अपने प्रयास में सफल होंगे ।

यह बात मैं भी मानता हूं, जैसा द्विवेदी जी ने कहा, कि केवल प्रतिज्ञा करने से काम नहीं चलेगा । हमें ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि जो देश का शासन है और जो देश का गठन है वह भी ठीक तरह से चलता रहे और यदि उसमें कोई त्रुटि है तो उसको दूर करना चाहिये । मुझे उसमें कुछ त्रुटि नजर आती है और मेरा सरकार से निवेदन है कि उस पर गौर करना चाहिये और उसको दूर करना चाहिये ।

इस इमरजेंसी के समय में बार-बार कहा गया था कि चीन का सिपाही पानी गरम करके उस में चाय गरम कर लेता है और चावल गरम कर लेता है और लड़ता है । मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम इस प्रकार की बातों को सुनने के हम आदी नहीं हैं । आपने भारतीय सैनिकों को यह बात पहले क्यों नहीं बतायी । हमारे सैनिकों में तो यह क्षमता है कि जहां चीनी सिपाही पानी गरम करके चाय बना कर और चावल बना कर खाकर लड़ता है, वहां हमारे सिपाही अपनी जेब से मुट्ठी भर चने निकाल कर उनको खा कर रात और दिन लड़ सकते हैं । लेकिन आपने

इसकी पहले से व्यवस्था क्यों नहीं की। यदि आप हमारे सैनिकों को यह पहले बता देते तो हमारे सैनिक वह काम करते जो चीनी सैनिक नहीं कर पाते।

आप कहते हैं कि चीनी सिपाही रूई के कोट और पाजामे पहन कर लड़ने आता है। यह बात हमको पता नहीं थी। मैं पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में गया और मैंने चीनियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से अध्ययन किया। मुझे एक ऐसी किताब मिली जिसमें चीनी सिपाहियों का कोरियन वार के समय का चित्र छपा है। उसमें चीनी सिपाही रूई के कोट पजामे पहने भेड़िये से दिखायी दे रहे हैं। अगर आप चाहते तो आपको भी इसका पता लग सकता था और आप अपने सिपाहियों को उसके संबंध में जानकारी दे सकते थे। हमको अपनी कमजोरियों को अच्छी तरह देखना चाहिये और उनको दूर करना चाहिये। दुश्मन को हमारी कमजोरियां मालम हैं। इसलिये हमको सावधान रहने की जरूरत है कि यदि आगे हमारे ऊपर चीनी आक्रमण हो तो हम उसका सामना करने के लिये पूरी तरह तैयार रहें। हमारे रक्षा मंत्री जी ने जैसी घोषणा की है हम उम्मीद करते हैं कि वे उसको पूरा भी अवश्य करेंगे। हम चाहते हैं कि उनकी घोषणा के अनुसार ही हम सफलता प्राप्त करें। हमसे जो वह कहें वह हम करने को तैयार हैं लेकिन हम किसी प्रकार अपमान सहन करने के लिये तैयार नहीं हैं।

रक्षा के प्रश्न के साथ देश की संचार व्यवस्था का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। हमारी जैसी संचार व्यवस्था इस समय है उससे काम नहीं चलेगा। यह व्यवस्था अंग्रेज की बनायी हुई है जिसकी सीमा पूर्व में सिंगापुर थी और पश्चिम में अदन थी। इसलिये उसने अपनी रेलवे लाइन इस तरह बिछायी थी कि पेशावर से कलकत्ता तक, या मद्रास तक या बम्बई तक, यानी उसने अपनी रेलवे लाइन्स को पोर्ट टाउन्स तक पहुंचाया था। क्योंकि उसकी सीमा एक ओर अदन और दूसरी ओर सिंगापुर थी। लेकिन आज हमारी स्थिति उससे भिन्न है। इसलिये हमको अपने देश की आंतरिक संचार व्यवस्था को मजबूत बनाना है। ऐसा न हो कि आक्रमण के समय हमारी संचार व्यवस्था भंग हो जाये। ऐसा होगा तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी। इस समय हमारी संचार व्यवस्था खतरे की स्थिति में है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको देश के भीतरी भागों में दूसरी लाइनें डालने की कोशिश करनी चाहिये। उदाहरण के लिये अभी पंजाब से बिहार को जाने के लिये उत्तर प्रदेश से होकर जाना होता है। मेरा सुझाव है कि आपको दूसरी लाइन डाल कर पंजाब को बिहार से सीधा कनेक्ट करना चाहिये। अगर चम्बल पर कुछ लाख रुपया खर्च करके पानी पर पुल बना दिया जाये तो पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को जोड़ा जा सकता है। लेकिन इस प्रकार देश के हिस्सों को कनेक्ट करने के बारे में आपने सोचा नहीं है। मिलिटरी प्वाइंट आफ व्यू से आपको इस चीज को सोचना चाहिये। आपको सवाई माधोपुर को झांसी से और कानपुर से रेल द्वारा तत्काल जोड़ना चाहिये। इससे आपको युद्ध के समय फौज और हथियार ले जाने में बड़ी सुविधा मिल सकती है। आपने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं है।

आज ही सदन में चर्चा हुई कि हमारे समुद्री किनारे के पास चीन का जहाज देखा गया। आप उसको चीन का जहाज मानें या न मानें, लेकिन हमको खतरे की हर संभावना के लिये तैयार रहना है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

अब मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। जिस वक्त देश लड़ने को तैयार हो तो उसकी भीतरी व्यवस्था काफी सक्षम होनी चाहिये। श्रीमान्, आप मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि आज आपकी ला एंड आर्डर की व्यवस्था वैसी नहीं है जैसी कि किसी देश की लड़ने के समय होनी चाहिये। मेरी स्टेट को तो छोड़ दीजिये। मैं अपनी कांस्टीट्युएन्सी की बात नहीं करूंगा। इसलिये नहीं करूंगा कि वह तो ऐसा दिखाई देगा कि मैं पराकाष्ठा की बात कर रहा हूं,

[श्री पाराशर]

एक्स्ट्रीम केस की बात कर रहा हूं। मैं एक्स्ट्रीम केस की बात नहीं करूंगा। मेरी कांस्टीट्युएंसी में तो ऐसा होता है कि डाकू दिन में आता है—रात को उस को आने की जरूरत नहीं है—और वह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से बड़े से बड़े धनवान आदमी को उठा कर ले जाता है। इस लिये मैं एक्स्ट्रीम केस को साइट नहीं करूंगा। वहां जो कुछ हो रहा है, उसको होने दीजिये। जो कुछ हमारे भाग्य में होगा, हम उस को भुगत लेंगे। लेकिन कल या परसों मैंने अखबारों में पढ़ा कि उत्तर प्रदेश में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिस में कहा गया है कि पिछले साल वहां पर आठ हजार डाकू गिरफ्तार हुये और ९५ डाकू मारे गये। तो क्या सारा उत्तर प्रदेश डाकुओं से भर गया है? आठ हजार डाकुओं की गिरफ्तारी एक बड़ी बात होती है। यह तो नहीं होना चाहिये था। राजस्थान की हालत आप देख लीजिये। यह भी नहीं होना चाहिये था। मैं इस पर अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश के हित में यह आवश्यक है कि इसकी व्यवस्था की जाये।

जहां तक पानी और बिजली की व्यवस्था का संबंध है, रिहन्द एक ऐसा बांध बनाया गया है, जिसकी बिजली के बारे में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में झगड़ा समाप्त नहीं हो रहा है माता टीला बांध बनाने के लिये मध्य प्रदेश की जमीन ली गई और बांध बनाया गया उत्तर प्रदेश का, लेकिन जिनकी जमीन ली गई है, उन बेचारों को बिजली मिले या न मिले, इस पर कोई सोचता ही नहीं है। आज तक यह समस्या हल नहीं हो सकी है। यह छोटी बातें मानी जाती हैं, लेकिन देश की सुरक्षा सुदृढ़ता और आंतरिक व्यवस्था के लिये हम को इन छोटी बातों को हल करना चाहिये। जिस राज्य की आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ और सुसंचालित नहीं होती है, वहां कभी-कभी कुछ ज्यादा खतरे पैदा हो जाते हैं।

जहां तक सहकारिता का संबंध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस के अन्तर्गत बड़ा सुन्दर काम हो रहा है और उसके बारे में मुझे कोई शिकायत नहीं है। उस मंत्रालय की डिमान्ड्ज पर विचार करते समय बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करते रहते हैं। मुझे समय नहीं मिला और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने तजुर्बे और अनुभव पर आधारित दो बातें आप के सामने पेश करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि उस में अफसरवाद बढ़ रहा है। मैं अधिकार-पूर्वक कहना चाहता हूं कि यदि इस मंत्रालय के कोई अधिकारी मुझ से इस बारे में बातें करना चाहें, तो मैं आंकड़ों के साथ यह सिद्ध करने के लिये भी तैयार हूं। दूसरी बात यह है कि अफसर-वाद के साथ-साथ सहकारिता में विदेशी प्रभाव भी बढ़ रहा है। माननीय सदस्य यह सुन कर चौंकगे कि सहकारिता में विदेशी प्रभाव क्या होता है। विदेशों की कई ऐसी संस्थायें हैं, जो बड़े शुद्ध भाव से सहकारिता की सेवा करने के लिये हमारे देश में आई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं, लेकिन मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार सन् १६४० में इस देश में व्यापार की कोठी बनाई गई थी और उस कोठी की आड़ में एक देश ने अपना झंडा यहां पर गाड़ दिया था, उसी प्रकार अगर कोई देश सहकारिता की आड़ में इस देश में अपना झंडा गाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वह बड़ी गलती में है। उसका यह प्रयास इस देश में सफल नहीं होगा। इससे ज्यादा मैं इस संबंध में नहीं कहना चाहता हूं। अगर आवश्यक हुआ, तो इस संबंध में फिर निवेदन करूंगा।

मालूम होता है कि हमारे कुछ माननीय सदस्यों को दो तीन हफ्ते से कुछ ऐसा हो गया है कि सिराजुद्दीन केस का उल्लेख किये बगैर उनका भाषण समाप्त ही नहीं होता है। बेहतर यह है कि वे सिराजुद्दीन केस को एक मन्त्र समझ कर एक माला बनवा लें और "सिराजुद्दीन केस", "सिराजुद्दीन केस" यह मन्त्र जपना शुरू कर दें। अगर वे समझते हैं कि इसमें इतना बल है, तो सब कांग्रेस गवर्नमेंट्स

ख़त्म हो जायेंगी । मैं अपने सामने बैठने वाले विरोधी माननीय सदस्यों को बड़ा प्रतापी और महान् योद्धा समझता था और मैं समझता था कि वे कुछ प्रतापवान् बातें कहेंगे, लेकिन अभी किसी योद्धा ने चले चलाए कारतूस को अपनी बन्दूक में इस्तेमाल नहीं किया । चला हुआ कारतूस तो खोखला होता है । सिराजुद्दीन केस पर तीन चार हफ्ते पहले चर्चा हो गई है और माननीय सदस्यों को कह दिया गया है कि अगर उनके पास कुछ सामग्री है, तो वे लायें और उसकी एन्क्वायरी की जायेगी । लेकिन नहीं, वे तो सिराजुद्दीन केस की माला जपे जा रहे हैं । उस बात के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं । जिसके शस्त्रागार में केवल एक ही हथियार रह गया हो, वह बेचारा उसी को न चलायेगा, तो और क्या करेगा ? वह हथियार चल चुका, तो भी वह उसी को चलाए जायेगा, वह चले चलाए हुए कारतूस को ही चलाए जायेगा ।

इस सम्बन्ध में मुझे एक कहानी याद आती है । किसी एक गांव में एक बचारी सीधी-सादी लड़की पर यह इल्ज़ाम लगा दिया गया कि उसने कोई अनाचार किया है । उसने कहा, "ठीक है, अगर मैंने किया हो, तो मुझे सज़ा दीजिए ।" कुछ गांव वालों ने कहा कि "नहीं, यह ग़लत बात है । उसने कुछ नहीं किया है । वह बड़ी सीधी-सादी लड़की है ।" कुछ दूसरे गांव वालों ने कहा कि उसको सज़ा दी जाए । जिन लोगों ने उसको सज़ा देने का फ़ैसला किया, उन्होंने कहा कि पत्थर मार-मार कर उसको ख़त्म कर दिया जाये । इस पर उस लड़की ने यह प्रस्ताव रखा कि मुझ पर पहला ढेला वह मारे, जिसने पहले किसी परस्त्री की तरफ आंख उठा कर न देखा हो ।

संयोग की बात है कि कहीं से कोई महात्मा पुरुष वहां आ गए ।

श्री स० मो० बनर्जी : जैसस क्राइस्ट ।

श्री पाराशर : उन्होंने कहा, "बिल्कुल ठीक है, इस लड़की को सज़ा मिलनी चाहिए । मैं भी इसके पक्ष में हूं, लेकिन इस लड़की ने जो शर्त रखी है, उसको मंजूर करना चाहिए और तब इसको सज़ा देनी चाहिए ।"

श्री स० मो० बनजी : यहां लड़की नहीं, लड़का है ।

श्री पाराशर : उस महात्मा ने यह भी कहा कि मुझ में ऐसी शक्ति है कि अगर किसी ऐसे पुरुष ने ढेला मारा, जिसने पहले किसी परस्त्री की तरफ़ देखा हो, तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जायेगी । उस महात्मा के प्रताप में वे लोग विश्वास करते थे । उसकी यह बात सुन कर जो लोग उस लड़की को सज़ा देना चाहते थे, वे एक एक करके खिसक गए और लड़की घर चली गई ।

हमारे माननीय सदस्य एन्क्वायरी की बात को मंजूर नहीं करते हैं और ख़ाली कारतूस चला रहे हैं । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपा करके इन बातों को बन्द करें । ये प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के अनुकूल नहीं हैं । इस प्रकार की थोथी और निराधार बातों को कह कर वे अपने देश और स्वयं अपनी पार्टी को बदनाम न करें और अपने आपको कमज़ोर सिद्ध न करें । अगर उनमें ताकत है, तो वे एन्क्वायरी की बात को मंजूर करें और अपना मुंह उज्जवल करें ।

उपाध्यक्ष महोदय श्री वी० के० रामस्वामी उपस्थित नही । श्री एस० बी० पाटिल ।

श्री देवराव शि० पाटिल (यवतमाल) : .....आपने मुझे वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका अनुगृहीत हूं ।

[श्री देवराव शि० पाटिल]

वित्त मन्त्री जी ने कल अपनी बजट प्रोपोज़ल्ज़ के बारे में मिट्टी के तेल पर लगाए गए कर में कमी करने, अनिवार्य-बचत योजना को कुछ व्यक्तियों पर लागू न करने और अधिलाभ कर में कुछ राहत देने की घोषणा की और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं ।

अधिलाभ कर में दी गई रियायत पर कुछ निराशा प्रकट की जाती है । मन्त्री महोदय जब पहले बम्बई गए थे, तो इस बारे में राहत की आशा बताई गई थी । लेकिन इस समय जो निराशा बताई जाती है, उस पर वह ध्यान न दें, क्योंकि अधिलाभ कर के प्रति पूंजीपतियों का विरोध ग़लत है । पूंजीपतियों का कहना था कि इससे पूंजी-निर्माण नहीं हो सकेगा, शेयर ख़रीदने में प्रेरणा नहीं मिलेगी और देश के उद्योग और व्यवसाय पर उसका बुरा असर पड़ेगा । कुछ हद तक छोटी कम्पनीज़ के बारे में कोई कन्सेशन या कोई रियायत देने की बात थी और उस पर विचार हुआ है, लेकिन आज इस पर जो निराशा प्रकट की जाती है, उस पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है । इसकी दूसरी वजह यह है कि उद्योग में सुपर टैक्स देने की क्षमता है और उसमें छः प्रतिशत छट के बाद जो ज्यादा लाभ होगा, उससे आधा ही उनको देना पड़ेगा । उससे औद्योगिक विकास में बाधा पड़ने की सम्भावना नहीं है । जहां तक सुपर टैक्स का सम्बन्ध है, यह सदन उसके पक्ष में है, इस लिए उस पर फिर विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।

यह कहा गया है कि कृषि-उत्पादन घट गया है और यह बात सही है । इस बिल की क्लाज़ ६ (डी) में कहा गया है : टु इन्क्रीज़ दि रेट आफ ड्यूटी आन डीज़ल आयल । मैं प्रार्थना करूंगा कि इस को डिलीट करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए । कृषि उत्पादन में वृद्धि की बात कही जाती है, लेकिन जब कृषक को सहायता देने की बात आती है, तो उस पर दुर्लक्ष्य किया जाता है । आज अगर देहातों में किसानों की तरफ देखा जाये, तो मालूम होगा कि किसान आज इर्रीगेशन से ज्यादा पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए पम्पिंग सैट और आयल इंजिन लगा रहे हैं और उसके लिए जो आयल इस्तैमाल किया जाता है, उस पर यह दाम बढ़ाना ग़लत होगा । इससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा । मेरी प्रार्थना है कि जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, वह भी एक उद्योग है और इस उद्योग के लिए जहां तक डीजल आयल का इंजनों में इस्तैमाल करने का सम्बन्ध है, उसमें छूट दी जानी चाहिये । आज छोटे-छोटे देहातों में भी किसान पम्प लगा रहे हैं और उनकी सहायता से इर्रीगेशन कर रहे हैं । यदि छूट दी जाती है तो उनको सुविधा होगी । अगर दाम बढ़ाये जाते हैं तो उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा । उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि एक टीन पर अगर बीस रुपये बढ़ जाते हैं तो वार्षिक उसको तीस रुपये ज्यादा देने पड़ेंगे । इससे किसान पर बहुत अधिक बोझा पड़ेगा और वह इन पम्पों का इस्तैमाल नहीं कर सकेगा ।

जो कर प्रोपोजल्ज़ हैं और इनमें जो बहुत से कर लगाये गए हैं इन कर प्रस्तावों का इस सदन में भी और बाहर भी समर्थन हुआ है । इसका कारण यह है कि इन करों को इसलिए लगाया गया है कि हमको शत्रु को अपनी भूमि से खदेड़ना है जिसका हमने पक्का इरादा कर रखा है । आज तक डिफेंस पर सिर्फ ३५० करोड़ रुपया खर्च किया जाता था । इस बजट में हमने डिफेंस पर ८६७ करोड़ के करीब खर्च करने की व्यवस्था की है । शत्रु की शक्ति को देखते हुए ही हमें इसमें इतनी वृद्धि करनी पड़ी है । कहा जाता है कि इन कर प्रस्तावों का देश के सभी वर्गों पर, किसान वर्ग पर, गरीब वर्ग पर तथा पूंजीपति वर्ग पर समान असर पड़ेगा । कर प्रस्तावों में विसंगतियां पाई जाती हैं, उनको दूर करने का वित्त मन्त्री जी ने बहुत प्रयत्न किया है । जहां तक गरीबों का ताल्लुक है, उनकी कर देने की क्षमता को

देख कर उन पर कर लगाया जाना चाहिये जबकि वह उन पर ज्यादा लगा दिया गया। जो पूंजीपति हैं, उनकी जो आमदनी होती है, उसको अगर देखा जाए तो पता चलेगा कि उन पर इसका भार कम पड़ा है। पूज्यनीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रीय विकास मण्डल की मीटिंग जो कि १८ जनवरी को हुई थी कहा था कि करों में ऐसे फेर बदल किए जाने चाहियें जिससे उनका बोझा गरीब वर्गों पर अधिक न पड़े। मेरी प्रार्थना है कि आप इनमें ऐसे फेर बदल करें कि धनी वर्गों पर इनका ज्यादा असर पड़े।

मिट्टी के तेल पर जो कर लगा है, कहा जाता है कि वह आय बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि खपत कम करने के लिए लगाया गया है। इसका मैं समर्थन करता हूं। देश को रक्षा सामग्री प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और हथियार हमें विदेशों से ही मिल सकते हैं। देश की मिट्टी के तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर मिट्टी का तेल बाहर से आयात किया जाता है तो उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा की जरूरत होगी। इसलिए उसकी खपत को कम करना आवश्यक है। लेकिन मन्त्री महोदय से मैं सहमत नहीं हूं कि मिट्टी के तेल पर कर लगाने से खपत कम होगी। गांवों को आप आज तक बिजली नहीं दे सके हैं और गांवों का अंधेरा दूर करने के लिए तेल का मन्द प्रकाश ही उन लोगों को मिलता है। अब जब आप कर लगा देंगे तो मिट्टी का तेल भी उनके लिए खरीदना मुश्किल हो जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि पूंजीपति वर्ग पर थोड़ा सा और कर लगा कर, मिट्टी के तेल में और अगर आप कुछ राहत दे सकें तो देने की कोशिश करें।

अधिलाभकर के बारे में मैंने अभी एक सुझाव दिया है। उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। गोल्ड पर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि उसके दो उद्देश्य हैं। एक तो यह है कि नान-आर्नामेंट गोल्ड की मूवमेंट जो हाथों हाथ होती है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाए और दूसरा यह कि चौदह कैरट प्योरिटी से ज्यादा के गोल्ड आर्नामेंट नहीं बन सकेंगे। इन दोनों ही उद्देश्यों को अगर देखा जाए तो इस पालिसी को आम समर्थन मिला है। देहाती सुनारों के बारे में अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि स्मगलिंग का जो गोल्ड आता है और जिसको स्मगलर्ज लाते थे, उनके आर्नामेंट्स जो बनाते थे। अब जब इन सुनारों का धंधा समाप्त हो गया है, मेरी प्रार्थना है कि जो धंधा भी आप उनको दे सकते हों, देने की कोशिश करें।

इस बजट के दो उद्देश्य हैं, एक तो शत्रु को खदेड़ना और दूसरे विकास की जो स्कीम्ज़ हैं, कार्यक्रम हैं, उनको चलाते रहना। विकास का उद्देश्य यह है कि भारतीय जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उनको आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त हों। जबकि चीनी आक्रमण हुआ है और एमरजेंसी डिक्लेयर हुई है उसमें गरीबी और उससे पैदा होने वाले जो सवाल हैं, उन पर और भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। गरीबी दूर करना बहुत जरूरी है। जब तक गरीबी दूर नहीं होती है तब तक कोई भी सवाल चाहे वह एग्रेशन का हो या कोई दूसरा हो, शक्तिशाली ढंग से हल नहीं हो सकता है। इस वास्ते इस समस्या को हमें सबसे पहले हल करना होगा। नेशनल सैम्पल सर्वे की जो रिपोर्ट है, उसको मैंने देखा है। उसमें कहा गया है कि लगभग ५१.७ परसेंट किसान वे हैं जिनकी मासिक आय १०० रुपये से भी कम है। कृषि मजदूर जांच समिति की रिपोर्ट से मालूम होता है कि कृषि में लगे हुए मजदूरों की संख्या भारत की कुल आबादी का बारह परसेंट है और इनकी वार्षिक आमदनी १९५०-५१ में १०४ रुपये थी जो कि १९५६-५७ में जाकर ९९.४ रह गई। पर कैपिटा इनकम भारतीय जनता की बढ़ी है लेकिन देहाती पापुलेशन जो है, उसकी इनकम घट गई है। इस वास्ते मेरी प्रार्थना है कि उनकी तरफ आपका ध्यान जाए। उनमें जो बेरोज़गारी व्याप्त है, वह हल होनी चाहिये। हर एक चीज़ के दाम बढ़े कन डाक ऐसी चीज़ है जिसके दाम घटे हैं और वह है देहात में मज़दूर की मजदूरी। इनकी समस्या आप हल करना चाहते हैं तो उसके लिए यह भी जरूरी है कि कृषि का उत्पादन बढ़े तथा देहातों

[श्री देवराव शि० पाटिल]

में छोटे-छोटे उद्योग ज्यादा से ज्यादा शुरू किए जाएं, ग्रामोद्योग ज्यादा से ज्यादा शुरू किए जाएं। इन उद्योगों से तथा कृषि की पैदावार बढ़ाने से हमारे देहाती मजदूरों की समस्या हल हो सकती है।

कृषि नीति के बारे में एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं और इसके साथ ही साथ जो मूल्य नीति है, वह भी आ जाती है.....

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें। एस० बी० पाटिल को बुलाना था और आप बोल पड़े।

श्री देवराव शि० पाटिल : यहां पर पाटिल बहुत से हैं, इसलिए ऐसा हो गया है। मैंने कल भी आप को लिख कर दिया था कि मैं बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री देवराव शि० पाटिल : एक आखिरी बात कह कर खत्म कर दूंगा।

हमारे वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि अत्यावश्यक जो चीजें हैं, उनकी कीमतों को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, उनको रोका जाएगा और हो सकेगा तो उनमें कमी की जाएगी। बजट के बाद से अधिकतर चीजों के दाम बढ़े हैं। चूंकि बक्त नहीं है, मैं सारी डिटेल्ज़ आपको बता नहीं सकता हूं। यह इसी से स्पष्ट है कि अगस्त, १९६२ से जनवरी, १९६३ तक भाव नहीं बढे थे और उसके बाद बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन आप देखें कि किसान की जो पैदावार होती है, किसान का जो प्रोडक्शन होता है, जब तक वह उसके पास रहता है, और जब तक वह मार्केट में नहीं आता है, उस वक्त तक दाम नहीं बढ़ते हैं। जैसे ही किसान का माल व्यापारियों के हाथों में गया कि दाम बढ़ना शुरू हो गया। इसलिये आखीर में मैं आप से यह रिक्वेस्ट करता हूं काटन के बारे में कि सितम्बर और अक्तूबर में जो भाव थे वही आज हो गये हैं। बीच में २००, २०० रु० फी क्विन्टल गिर गये थे। इसलिये चार महीने पहले मैंने उसकी फ्लोर प्राइस बढ़ाने के लिये विनती की थी, लेकिन उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। और आज मैं ऐसा सुनता हूं कि जब सब माल ट्रेडर्स के पास चला गया है, मिल ओनर्स के पास चला गया है तब उसके फ्लोर प्राइस के बढ़ाने की बात कही जाती है। जब किसान के पास कच्चा माल होता है तब उसके भाव की तरफ कोई ध्यान नहीं देता लेकिन जैसे ही कच्चा माल पक्का माल बनाने के लिये व्यापारियों के हाथों में चला जाता है तब भाव बढ़ाने की बात होती है। यह इस मन्त्रालय के लिये बहुत महत्वपूर्ण बात है और मन्त्री महोदय को इसके ऊपर जरूर ध्यान देना चाहिये।

श्री ह० च० सौय (सिंहभूम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपको आज मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आखिर में ही सही इस योग्य तो समझा कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ कह सकूं।

माननीय वित्त मन्त्री ने कम्पलसरी डिपाज़िट के बारे में किसानों को जो छट दी है कि जो किसान ५ रु० या उससे कम मालगुजारी देते हैं उनको इस कम्पलसरी डिपाजित स्कीम से बरी कर दिया जाय, उसके सम्बन्ध में मैं आग्रह करूंगा कि जिस उद्देश्य से वे यह छूट दे रहे हैं वह उद्देश्य इससे पूरा नहीं होगा। इसलिये छूट कम से कम १५ रु० तक की होनी चाहियें। जब किसानों की वे इस तरह की छूट देना चाहते हैं तब मैं सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जमीनों के सम्बन्ध में जितने भी कानून बने हैं, विशेषकर लैंड सीलिंग के बारे में, उसमें जमीन की उर्वरा शक्ति, उत्पादन शक्ति के बारे में बात की जाती है, लेकिन यहां पर ५ रु० का फ्लैट रेट रक्खा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, खास कर पहाड़ी इलाके, जहां की पैदावार बहुत कम है। वहां जो किसान १५ या २० रु० तक मालगुजारी देते हैं उनकी आमदनी बहुत कम है। इसलिये जो भी छूट दी जा रही है उसको बढ़ा कर १५ रु० कर दिया जाय।

दूसरी चीज जिसकी ओर मैं इशारा करूंगा वह है तम्बाकू के बारे में। तम्बाकू पर और अधिक टैक्स लगाया गया है। मेरा इशारा अपने इलाके के तम्बाकू पैदा करने वालों की ओर है। फाइनेन्स ऐक्ट में कहा गया है कि जिस तम्बाकू से बीड़ी सिगरेट नही बनती है उस पर ५० नये पैसे ड्यूटी लगाई जायेगी। मेरे क्षेत्र में करीब दो या तीन हजार ऐसे किसान हैं जिनकी असली खेती धान की है, मगर इस मौसम में वे तम्बाकू की खेती करते हैं। उनके साथ यह अन्याय किया जा रहा है। वे लोग जो तम्बाकू पैदा करते हैं उससे बीड़ी सिगरेट नहीं बनती, देहाती हलकों में किसान उसको दूसरे तरीके से काम में लाते हैं। फिर भी उस तम्बाकू पर उसी तरह से टैक्स लग रहा है जिस तरह से बीड़ी सिगरेट वाली तम्बाकू पर होता है। इसलिये मेरा आग्रह है कि रांची और सिंहभूम इलाके में जो गलत तरीके से तम्बाकू पर टैक्स लगाया जा रहा है, कानून के बर्खिलाफ उसकी जांच की जाय और जो २ या ३ हजार तम्बाकू पैदा करने वाली फैमिलीज हैं, जो कि ज्यादा टैक्स लगने के कारण अपनी तम्बाकू की खेती को छोड़ रहे हैं उनके ऊपर विचार किया जाय और उनके साथ न्याय हो।

तीसरी चीज जिसके बारे में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि बजट के सिलसिले में हमने सारे रुपये मंजूर कर लिये। लेकिन मैं सन् १९६१-६२ के ऐप्रोप्रिएशन अकाउण्ट्स पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि इतना सारा रुपया जो हम लोग मंजूर करते हैं उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा कई मदों का लौटा दिया जाता है। उदाहरण के लिये इस किताब में मैं देख रहा हूं, सन् १९६१-६२ के ऐप्रोप्रिएशन अकाउण्ट्स (सिविल) में, कि पेज ८५ पर अंडमान और निकोबार के खर्चों के बारे में जो हिसाब बतलाया गया है उसमें लिखा है कि जो भी प्राविजन किया गया है उसमें ५० प्रतिशत से अधिक लौटा दिया गया, इसलिये कि सारी स्कीम इम्प्लिमेंट नहीं हो सकी। यह पता नहीं चला कि इम्प्लिमेंट क्यों नहीं हो सकी। इसी तरह से आगे बढ़ कर देखते हैं कि कई ऐसी स्कीमें हैं जिनमें ५० से ६० प्रतिशत तक सरेंडर हुआ है। आज जबकि अपने देश की रक्षा के लिये हमें बहुत धन की आवश्यकता है, तब यह रुपया देने का प्रबन्ध मुश्किल से किया जाता है। क्या मैं ऐसी आशा करूं कि इतने सारे रुपये को सरेंडर न किया जाय बल्कि काम में लाया जाय।

आज जो औद्योगिक क्षेत्र है उनमें नये कारखाने और खदानें बनाई जा रही हैं। पहले भी मैंने इस ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि जो हजारों कुटुम्ब उन जमीनों से हटा दिये जाते हैं जहां पर नये कारखाने और नई खदानें बनाने के लिये जमीनें ली जाती हैं, उनके सम्बन्ध में ढेबर कमीशन ने सिफारिश की थी कि जो सारे प्रोजैक्ट बनते हैं उन पर वहां के लोगों को फिर से बसाने का और ट्रेनिंग देने का खर्च उसी प्रोजैक्ट में शामिल होना चाहिये। पिछले सारे बजट और बजट में भी मैं इस बात की खोज में था, मैं देखना चाहता था कि जो आश्वासन ढेबर कमीशन का है, और जिसको राज्यों और केन्द्रीय सरकारों ने भी मान लिया था, उसको कहां तक शामिल किया गया है। सारी खोज के बावजूद मैं इस बात से बहुत हैरान हूं कि उस सिफारिश को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

इसके बाद एक बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान के मुताबिक जो हमारे सारे देश में शेड्यूल्ड एरियाज हैं उनकी सिविल एरियाज में जो ऐडमिनिस्ट्रेशन हैं उनमें तेजी लाने के लिये, एफिशिएन्सी लाने के लिये विशेष ग्रांट दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद मैं देखता हूं कि इस ग्रांट का सदुपयोग नहीं हो रहा है। ढेबर कमीशन ने यह कहा है कि हमारी जितनी भी वेलफेअर स्कीम्स बनती हैं, उनके लिये सेपरेट हेड खर्च का अलग हिसाब होना चाहिये ताकि यह पता चल सके कि उसका सही ढंग से उपयोग हुआ या नहीं और कितना रुपया सरेन्डर हुआ। लेकिन इस बजट में और इस फाइनेन्स बिल में भी हम देखते हैं कि इसकी ओर कोई ध्यान नहीं गया है। सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है कि मैं जो भी बातें कह रहा हूं उसको खुद वित्त मन्त्री और दूसरे सारे मन्त्री जो हैं वे सुनना भी नहीं

[श्री ह० च० सोय]

चाहते। न तो फाइनेन्स मिनिस्टर सुन रहे हैं और न उनके उपमन्त्री जी ही सुन रहे हैं। उनका सारा ध्यान गप्पों में ही लगा हुआ है।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : हमारे कान उधर ही हैं।

श्री ह० च० सोय : मैं फाइनेन्स मिनिस्टर से यह दरख्वास्त कर रहा था कि ढेबर कमीशन ने यह जो सिफारिश की है कि जो वेलफेअर स्कीम्स बनती हैं उनमें काफी रुपया सरेन्डर होता है इसलिये वेलफेअर स्कीम्स के लिये खास तौर पर अलग हेड बनाया जाय, उसके लिये सेपरेट बजट हो। मैं दरख्वास्त करूंगा आपके जरिए से कि फाइनेंस मिनिस्टर इस चीज की जांच करें और उसकी व्यवस्था करें। जहां तक मेरी जानकारी है इस वर्तमान बजट में इसकी व्यवस्था नहीं हुई है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या उन्हें कुछ और समय चाहिये।

श्री ह० च० सोय : जी हां, अभी और कुछ समय लूंगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : वे कल भाषण जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, १९ अप्रैल/२९ चैत्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

गुरुवार, १८ अप्रैल, १९६३

२८ चैत्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. .	४५१९—४४
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
९२०	दामोदर घाटी निगम कार्यालय का बोकारों ले जाया जाना	४५१९–२०
९२१	सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण	४५२१—२३
९२२	राज्यों की आवास योजनाओं में कटौती	४५२३—२५
९२३	गन्डक नारायणी बाढ़ नियंत्रण योजना	४५२५—२७
९२४	चांदी का भाव	४५२७–२८
९२५	नेपाल और भारत के जल संसाधनों संबंधी संयुक्त बोर्ड	४५२८—३१
९२६	ट्रैक्टरों पर उत्पादन शुल्क .	४५३१–३२
९२७	पलाई सेंट्रल बैंक का परिसमापन . .	४५३२—३४
९२८	देश के तटवर्ती क्षेत्रों में तस्कर व्यापार	४५३४
९२९	वृहद कलकत्ता के लिये जल संभरण .	४५३४—३६
९३०	केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क पुनर्गठन समिति .	४५३६–३७
९३१	बन्धक रखे हुये सोने की वापसी . . .	४५३७—३९
९३२	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना का विस्तार . .	४५३९—४१
९३३	दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण . .	४५४१—४४
९३४	कोसी नदी की धारा को मोड़ना . . .	४५४४
अल्प-सूचना		
प्रश्न संख्या		
५	कांस्टीट्यूशन हाउस में भोजन व्यवस्था के ठेके . .	४५४४—४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	४५४८—६७
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
९३५	दिल्ली जल संभरण तथा मल अपवहन उपक्रम .	४५४८
९३६	नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड .	४५४८–४९

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

९३७ नदी घाटियों के जल साधन . . . ४५४९
९३८ तापीय विद्युत् केन्द्र . . . ४५४९–५०
९३९ विदेशी मुद्रा की आवश्यकतायें . . . ४५५०
९४० बाढ़ नियंत्रण योजनायें . . . ४५५०–५१

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०३८ उड़ीसा के परिवार नियोजन ४५५१
२०३९ सिंगापुर तथा लंका से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति . . ४५५१
२०४० उड़ीसा के महा लेखापाल के कार्यालय के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ४५५१–५२
२०४१ उड़ीसा में मार्गोपाय स्थिति में सुधार . . . ४५५२
२०४२ पदोन्नति के लिये आरक्षण . . . ४५५२
२०४३ धुवारन तापीय विद्युत् केन्द्र . . . ४५५२
२०४४ इन्द्रवती जल-विद्युत् परियोजना ४५५३
२०४५ उड़ीसा में विद्युतीकरण ४५५३–५४
२०४६ उड़ीसा में क्षय रोग के अस्पताल . . ४५५४
२०४७ लंका के रेडक्रास से कम्बल ४५५४
२०४८ कोलम्बो योजना के अन्तर्गत इंगलैंड में प्रशिक्षण . . ४५५५
२०४९ विदेशी ऋणों पर व्याज का भुगतान . . . ४५५५
२०५० उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण . . ४५५६
२०५१ दिल्ली में शहीद स्मारक ४५५६
२०५२ मद्रास राज्य में विद्युत जनन ४५५६–५७
२०५३ मद्रास में सीमाशुल्क कार्यालय के एजेंट . . . ४५५७
२०५४ निष्क्रांत सम्पत्ति का हस्तांतरण . . . ४५५७–५८
२०५५ दामोदर घाटी निगम में वित्तीय मंत्रणाकार तथा मुख्य लेखाधिकारी ४५५८
२०५६ करों की वसूली ४५५८–५९
२०५७ पंजाब राज्य में मेडिकल कालेज ४५५९
२०५८ बम्बई में हीरों की बरामदगी ४५५९
२०५९ रामकृष्णपुरम में क्वार्टर ४५५९–६०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०६०	पी० एल० ४८० के अधीन रुपयों की आय	४५६०
२०६१	दिल का दौरा	४५६०
२०६२	पंजाब में आवास योजनायें	४५६१
२०६३	राज्यों को दी गई निष्क्रांत भूमि	४५६१
२०६४	राष्ट्रीय रक्षा कोष	४५६१—६२
२०६५	दफ्तरों तथा निवास के लिये स्थान	४५६२
२०६६	पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये देहली में कालकाजी कालोनी	४५६२–६३
२०६७	आसाम में ग्रामीण विद्युतीकरण	४५६३
२०६८	केरल में बाढ़ नियंत्रण योजनायें	४५६३–६४
२०६९	कोठार बांध	४५६४
२०७०	आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण	४५६४
२०७१	आंध्र प्रदेश में परिवार नियोजन केन्द्र	४५६४–६५
२०७२	उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र	४५६५
२०७३	परिवार नियोजन	४५६५–६६
२०७४	विश्व स्वास्थ्य दिवस	४५६६
२०७५	चिकित्सा छात्र	४५६७
२०७६	केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड	४५६७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना ४५६७–६९

(१) डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने आंध्र तट के पास अज्ञात जहाजों के, जिनमें से एक पर चीनी नाम लिखा था, देखे जाने के समाचार की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया ।

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) सरदार कपूर सिंह ने भारत की प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के बारे में अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ बात-चीत करने के लिये भारत सरकार द्वारा भेजे गये उच्च शक्ति प्राप्त प्रतिरक्षा शिष्टमंडल की ओर आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री का ध्यान दिलाया ।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—(जारी)

आर्थिक और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४५६९–७०

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१(१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति :—

(क) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), १९६३

(ख) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), १९६३

(ग) राजस्व प्राप्तियों संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक), १९६३

(२) विनियोग लेखे (असैनिक), १९६१–६२ की एक प्रति ।

(३) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) आपात्कालीन जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ५ की उपधारा (६) के अन्तर्गत, दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८८५ में प्रकाशित आपात्कालीन जोखिम (माल) बीमा (संशोधन) योजना, १९६३ ।

(दो) आपात्कालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उप-धारा (७) के अन्तर्गत, दिनांक ३० मार्च, १९६३ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ८८६ में प्रकाशित आपात्कालीन जोखिम (कारखाने) बीमा (संशोधन) योजना, १९६३ ।

(तीन) आपात्कालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा २० के अन्तर्गत, दिनांक ३० मार्च, १९६३ की एस० ओ० संख्या ८८७ ।

(चार) आपात्कालीन जोखिम (माल) बीमा अधिनियम, १९६२ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत, दिनांक ३० मार्च, १९६३ की एस० ओ० संख्या ८८८ ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४५७०

इकत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

सदस्य द्वारा वक्तव्य . . . . . ४५७०—७२

श्री अ० क० गोपालन ने गृह-कार्य मंत्री द्वारा १ अप्रैल, १९६३ को साम्यवादी दल के विरुद्ध सभा में लगाये गये कुछ आरोपों के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

विषय पृष्ठ

सदस्य द्वारा वक्तव्य--(जारी)

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने उस के उत्तर में एक वक्तव्य दिया।

विधेयक—पुरस्थापित ४५७२

विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६३।

विधेयक—विचाराधीन . . . . . ४५७२—४६१४

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने प्रस्ताव किया कि वित्त विधेयक १९६३ पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

शुक्रवार, १९ अप्रैल, १९६३/ २९ चैत्र, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

वित्त विधेयक, १९६३ पर अग्रेतर चर्चा।

GIPND—LS III—440 (Ai) LS—6-6-63—160.